राजस्थान विधान सभा

सप्तम बैठक, मंगलवार, दिनांक १६ अक्टूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११.१८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६३

राजस्थान में कम्युनिटी प्रोजेक्ट व नेशनल एक्सटेन्शन ब्लोक्स एस्टेब्लिशमेंट पर व्यय

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Development and Planning Minister be pleased to state :—

(*a*) What is the percentage of expenditure on establishment in respect of Community Project Blocks and NES Blocks in Rajasthan?

(*b*) What is the corresponding figure in the estimates of the Government of India?

(*c*) What are the causes for such high expenditure on establishment in our State?

(*d*) What steps are being taken to bring it down to a normal level?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(*a*) A statement showing percentage of expenditure on personnel in respect of Community Development and National Extension Blocks in Rajasthan Year-wise is given below :—

	Total expenditure.	*Expenditure on establishment.*	*Percentage.*
(i) C.D. Blocks.			
1952-53	2.08	1.23	59%
1953-54	33.96	5.27	15%
1954-55	58-78	8.91	15%
1955-56	66.34	9.83	14%
(ii) National Extension Service Blocks.			
1953-54	2.16	.32	15%
1954-55	12.33	3.14	25%
1955-56	39.39	8.76	22%

Scanned by CamScanner

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(*b*) The Government of India (Community Projects Administration) have prescribed the following ceilings of expenditure on personnel in the Community Development and National Extension Service Blocks :—

Community Development Blocks	13%
National Extension on Services Blocks	22.2%

(*c*) Except in the year 52-53 the percentage of expenditure on establishment on the total expenditure was not very high and there was little difference between the ceilings prescribed by the C.P.A. and the actual expenditure. The reason for this high expenditure in the year 1952-53 was that it was the year when this programme was launched in this State. The technology and Methodology of the new programme was not well known either to the Government officials or the people.

The equipment and the sanction of the budget from the C.P.A. were received late and the work could not thus be started right from the start *i.e.* 1st October, 1952.

On the people's side, the people's participation which is the essence of this programme was not forthcoming, secondly the Government expenditure also lagged behind.

The expenditure on the staff was, however, essential as the people had to get acquainted with the programme in all spheres of activities and together momentum to start work.

(*d*) The expenditure as indicated above has almost reached the normal level as prescribed by the C.P.A. during the year 55-56 and it is hoped that in this year it will still go down.

श्री हरिकृष्ण व्यास—एस्टब्लिशमेन्ट के जो फीगर्स दिये हैं एक्सपेन्डिचर साइड में उनमें क्या व्हिकल्स के ऊपर जो खर्चा होता है वह भी इन्क्लूडेड है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिये क्योंकि पर्सनल्स पर खर्चा दिया गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न एस्टेब्लिशमेन्ट से ताल्लुक रखता है, पर्सनल्स के ऊपर जो खर्चा होता है उससे इसका ताल्लुक नहीं है । "What is the percentage of expenditure on establishment in respect of Community Project Blocks and National Extension Service Blocks in Rajasthan." The answer required to be given by the Hon'ble Minister is for personnel as also all other establishment expenditure including office, vehicles, administrative material, equipment etc. etc. I want to know whether the figures given are for expenditure on establishment or only for expenditure on personnel.

Page No.3

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—It is only establishment.

श्री एच० के० व्यास—Total expenditure including expenditure on maintenance and running of the vehicles put up at the disposal of these several officers?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एस्टेब्लिशमेन्ट में जहां तक पेंट्रोल और दूसरे खर्चे का सवाल है, वह इसमें नहीं आता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेन्डिचर के अलावा इस प्रकार का जो खर्चा है जिसका संबंध मोटर, दफ्तर आदि जो भी नोर्मल एस्टेब्लिशमेंट से है, उसमें इन्क्ल्यूड होना चाहिये; क्योंकि इनका संबंध भी दफ्तर के मेन्टीनेन्स से है। यह सब इन्क्ल्यूड करने पर आंकड़ा कितना हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह एक अलग प्रश्न है, इसका उत्तर बाद में दिया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एस्टेब्लिशमेंन्ट के जो फीगर्स दिये गये हैं उनमें क्या क्या इन्क्ल्यूड किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पर्सनल्स पर खर्चा, व्हिकल्स और जीप्स के ड्राइवरों का खर्चा आदि सारे के सारे इसमें आ गये। इस प्रकार का सारा खर्चा इसमें इन्क्ल्यूडेड है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें लोन्स का टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्ल्यूडेड है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्ल्यूडेड है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में है कि भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जो लोन्स दिये जाते हैं वे इसमें इन्क्ल्यूड नहीं होने चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं। उसमें ऐसा दिया गया है कि एक ब्लॉक में ४ लाख रुपये खर्च होने चाहिये तो उन ४ लाख में लोन्स की अमाउन्ट भी इन्कल्यूडेड है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछना चाहता हूं कि फिगर्स जो वर्क आउट किये हैं, Regarding percentage of expenditure on establishment in respect of Community Project Blocks. क्या भारत सरकार के ध्यान में यह बात है कि इनका बजट बनाते समय लोन्स के फीगर्स इन्क्ल्यूड नहीं किये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां तक मेरी जानकारी है लोन्स के फीगर्स को इन्क्ल्यूड नहीं किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि भारत सरकार के कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि एस्टेब्लिशमेन्ट एक्सपेन्डिचर के फीगर्स दूसरे स्थानों की बनिस्पत यहां ज्यादा हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पिछले साल ५५-५६ में जो खर्चा हुआ है, सी. डी. ब्लॉक में वह १४ पर्सेन्ट हुआ है, जब कि १६ पर्सेन्ट एलोटेड है और एक्सटेन्शन ब्लॉक्स में २२ पर्सेन्ट हुआ है जब कि २२.२ पर्सेन्ट एलोटेड है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या भारत सरकार के कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि मिस्टर डे. जो कुछ महीनों पहले तक इस विभाग के इन्चार्ज थे, उन्होंने भारत सरकार को अपनी ओर से पिछले साल जो रिपोर्ट दी थी उसमें इसका उल्लेख किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पिछले साल की रिपोर्ट सन् ५४-५५ को रेफर करती होगी।

प्रश्न संख्या ६४

राजस्थान में बहुद्देशीय उच्च पाठशालाएं एवं उनके खोलने के आधार

श्री भैरू सिंह (१६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में कहां कहां मल्टी पर्पज हाई स्कूल खोले गये हैं ?

(ख) मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल खोलने के लिये क्या आधार माना गया है ?

(ग) तहसील दांतारामगढ़ के दांता व लोसल हाई स्कूल किन किन कारणों से मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल खोले जाने के हेतु उपयुक्त नहीं समझे गये ?

(घ) क्या भविष्य में मल्टी पर्पज हाई स्कूल खोले जाने वाले स्कूलों की सूची में दांता व लोसल हाई स्कूल का नाम भी है ? यदि हां, तो किस वर्ष के लिये ?

(ङ) जिन जिन स्थानों पर मल्टी पर्पज हाई स्कूल खोले गये हैं, वहां इससे पूर्व कुल छात्र संख्या व दशम श्रेणी में छात्र संख्या कितनी कितनी थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ख) निम्नलिखित आधार पर खोले जाते हैं:—

१. छात्रों की संख्या।
२. स्कूल विस्तार की संभावना।
३. स्थानीय विकास की आवश्यकताएं।
४. जिलेवार वितरण।

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

(ग) इनसे भी कई उपयुक्त स्थान हैं जहां पर मल्टी पर्पज़ स्कूल खोलना आवश्यक है।

(घ) अभी तक सरकार का किसी हाई स्कूल को मल्टी पर्पज़ स्कूल में परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ङ) इसकी सूचना भी (क) भाग के उत्तर में, सदन की मेज पर रखदी गई तालिका में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरूं सिंह—क्या सरकार ने ऐसी सूची बना रखी है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस वर्ष इतने मल्टी पर्पज हाई स्कूल खोले जायेंगे और उसके बाद फलां फलां जिले का नंबर आयेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—प्रथम बार २५ खोले गये थे, उसके बाद में अभी खोलने का विचार नहीं है, इसलिये सूची बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूं सिंह—जिस समय २५ मल्टी पर्पज स्कूल खोले गये उस समय क्या राजस्थान के सभी स्थानों के बारे में निश्चित सूची बनाई गई थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—जिन जिन केसेज़ को तैयार किया गया उस समय सब को देखा गया और फिर इनके बारे में निश्चय किया गया।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह माना जाय कि जिन स्थानों पर ये स्कूल खोले गये हैं उनके अलावा बाकी के केसेज़ तैयार नहीं हुए थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—तैयार हुए होंगे लेकिन जिन स्थानों पर खोले गये उनके मुकाबले में दूसरे स्थानों को अधिक उपयुक्त नहीं समझा गया होगा।

श्री भैरूं सिंह—'होंगे' से क्या तात्पर्य है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निवेदन कर दूं कि लिस्ट देखी जाय तो जाहिर होगा कि आम तौर से प्रयत्न यह किया गया कि छोटी रियासतों की भूतपूर्व केपिटल्स में जहां कोलेजेज़ नहीं थे उन स्थानों को प्रिफरेन्स दिया गया। उसके बाद जिलों में जहां हर तरह की स्कूलें हैं और बिल्डिंग की सुविधा है वहां खोली गई।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह मानना चाहिये कि जो २५ स्कूल खोले गये उनके लिये मुख्य आधार यह माना गया कि पुराने स्टेट्स की राजधानियां हों या डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स हों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पुराने स्टेट्स के हैडक्वार्टर्स होते हुए भी जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स नहीं हैं वहां भी खोले गये।

श्री भैरूं सिंह—इनमें कई ऐसे स्थान हैं जैसे नाथद्वारा, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदि; क्या यह सब आधार उदयपुर डिविजन में ही लागू होगा, बाकी स्थानों के लिये नहीं होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं, स्कूलों के तादाद पर ख्याल फरमाते तो पता चलता कि उनमें से केवल ४ उदयपुर डिविजन में हैं, तो कोई ज्यादा नहीं हैं।

श्री भैरूं सिंह—मेरा मतलब आधार से है। नाथद्वारा में किसलिये खोली गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उदयपुर में सबसे बड़ा स्कूल वहीं पर है।

श्री भैरूं सिंह—क्या दूसरी जगह खोलने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं। जोधपुर, नागोर, बाड़मेर, पाली, सोजत में खोले गये हैं। उसके बाद कोटा में, बारां में, जयपुर में खोले गये। जयपुर में गर्ल्स स्कूल को बदला गया। इसके अलावा झुन्झुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सुजानगढ़, गंगानगर, आदि स्थानों पर खोले गये।

श्री भैरूं सिंह—लेकिन सीकर में क्यों नहीं खोला गया ? सीकर में कौनसी खामी है।

श्री अध्यक्ष—वह भी लोसल दांता रामगढ़ में . . . .

(हंसी)

श्री भैरूं सिंह—जिन जगहों पर खोले गये, उनके मुकाबिले में सीकर में किस बात की खामी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सीकर में इन्टर कालेज पहले से मौजूद है।

श्री एच० के० व्यास—जहां जहां ये स्कूल खोले गये वहां वहां इक्विपमेंट्स भेज दिये गये हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हालां कि यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता फिर भी मैं सूचना के लिये बता दूं कि इसकी कार्यवाही भी जारी है।

श्री भैरूं सिंह—जिन जिन जगहों पर इन्टर कॉलेज मौजूद हैं फिर भी वहां मल्टी पर्पज स्कूल खोले गये हैं, तो फिर सीकर में न खोलने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जितनी सुविधा गवर्नमेन्ट के पास है उतनी ही मल्टी पर्पज हाई स्कूलें खोली गई हैं।

श्री भैरूं सिंह—जहां जहां जिन जिन बातों को देख कर उन जगहों पर मल्टी पर्पज हाई स्कूल खोले गये, उनके मुकाबले में सीकर में किन किन बातों की कमी थी, जो वहां मल्टी पर्पज हाई स्कूल नहीं खोला गया ?

Page No.7

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं, मैंने जो अर्ज किया उस पर विचार नहीं किया गया। आम तौर से जहां डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स बड़े हैं उन स्थानों को लिया गया है; जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर को छोड़ कर दूसरे स्थानों पर खोले गये हैं।

श्री भैरूंसिंह—तो क्या सरकार ने आयन्दा के लिये ऐसी सूची बना रखी है कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि आयन्दा इन इन स्थानों पर मल्टी पर्पज हाई स्कूल खोले जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो तादाद पर निर्भर करेगा।

श्री एच० के० व्यास—उदयपुर के साथ इतना अन्याय क्यों किया गया है ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी सहानुभूति का आयन्दा ख्याल रखेंगे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री एच. के. व्यास।

प्रश्न संख्या ६५

प्लानिंग कमीशन के नियमों के अनुसार राजस्थान के विभिन्न अधिनियमों में खुदकाश्त की परिभाषा में संशोधन

श्री एच० के० व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(*a*) Has the Government studied the decisions of the Planning Commission in regard to the agrarian sector?

(*b*) If so, what steps does the Government propose to take so as to amend the definition of Khudkasht in the various Acts to bring it in line with the decisions of the Planning Commissioner in this regard?

श्री दामोदरलाल व्यास—(*a*) Yes.

(*b*) Government have appointed a Land Commission for the purpose and necessary action would be taken on receipt of the report of the said commission.

श्री एच० के० व्यास—क्या लैंड कमीशन के terms of reference में इस बात का उल्लेख है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लैंड कमीशन के terms of reference बहुत वाइड हैं, उसमें यह बात आ जाती है।

श्री एच० के० व्यास—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि कौनसी टर्म में वह बात आ जाती है ?

Page No.8

श्री अध्यक्ष—आप देख लीजिये ।

श्री एच० के० व्यास—इसमें वह नहीं है साहब, I want to be pointed out specifically. There is absolutely nothing in these terms which may even remotely be construed to include that.

श्री अध्यक्ष—नहीं है तो नहीं है ।

श्री एच० के व्यास—It is not there.

श्री अध्यक्ष—If it is there, it is there, if it is not, it is not there.

श्री एच० के० व्यास—It is not there. When the whole thing is clear, how can it be there ?

श्री दामोदरलाल व्यास—It is very wide.

श्री एच० के० व्यास—No, no. It may be as wide as the sea; that does not make any difference. लेकिन वह स्पेसिफाई होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—As wide as vague ! The purpose of asking a question is to elicit information and that information has been given whether it contains that or not; that is a different matter.

श्री एच० के० व्यास—As a matter of fact, even if they construe it in the widest sense, still this particular point cannot be included in that as I see it today.

तो दूसरे रूप में लेने दीजिये । अभी खत्म कर देता हूं अभी तो आधा मिनिट ही हुआ है ।

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने जो परिभाषा खुदकाश्त की दी है उस सम्बन्ध में संशोधन कब तक पेश होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लैंड कमीशन की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा ।

श्री एच० के० व्यास—इस प्रकार के संशोधन के सिलसिले में Planning Commission ने अपनी राय दे दी, उस राय पर अपनी राय बनाने का काम लैंड कमीशन को दिया गया है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो राय Planning Commission ने दी है और लैंड पोलिसी पर विचार किया है, उसके स्टडी करने के लिये लैंड कमीशन मुकर्रर किया गया है ।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सही है कि Planning Commission के इस निर्णय पर विभिन्न राज्य सरकारों को सलाह मशविरा के लिये अपने विचार भेज दिये थे ?

श्री अध्यक्ष—Shri H.K.Vyas. (No response). Should I pass over?

प्रश्न संख्या ६६

श्री कुम्भाराम के मन्त्रित्व काल में उनके निवासगृह पर लगे टेलीफोन से किये गये टेलीफोन कॉल्स

श्री एच० के० व्यास—Will the Chief Minister be pleased to State:—

(a) Is it a fact that the Telephone Calls Register, in respect of the Telephone installed at the residence of Shri Kumbharam, when he was Minister, had not been properly maintained?

(b) Is it also a fact that entries in respect of a majority of the calls have not been made and in any case the purpose of the call has not been stated?

(c) What steps has the Government taken to regularise this matter?

(d) What steps has the Government taken to recover the amount of such trunk calls, as have not been entered from Shri Kumbharam?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):—(अ) पूरा विवरण उनमें नहीं पाया गया।

(ब) हां, ट्रंक कॉल रजिस्टर में जो कॉल्स दर्ज हैं, उनमें बहुतों का उद्देश्य दर्ज है।

(स और द) इस सम्बन्ध में श्री कुंभारामजी से पत्र व्यवहार चल रहा है।

श्री एच० के० व्यास—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे डिस्प्युटेड नम्बर ऑफ कॉल्स कितने हैं और उनका अमाउन्ट ऑफ काल कितना है ?

(घंटी)

श्री एच० के० व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। Even the register has not been maintained.

श्री अध्यक्ष—Order! next. Shri Bhairon Singh.

प्रश्न संख्या ६७

दांता रामगढ़ स्थित ग्राम सिस्य में ग्रामवासियों द्वारा स्कूल भवन निर्माण हेतु २०,००० रुपया देने पर भी उसका अपूर्ण रहना

श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील दांता रामगढ़ स्थित ग्राम सिस्य में ग्रामवासियों ने २०,००० रु० की लागत का एक स्कूल भवन का निर्माण किया है, जो अब ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अधूरा पड़ा है ?

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) क्या यह सही है कि इस भवन के निर्माण में जो सरकारी सहयाता दी गई वह अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भवन को पूर्ण करवाने में पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) इसके लिये २,५०० रुपया विकास खंड से दिये जाने का निश्चय किया गया है, और ५६-५७ के बजट में १,५०० रु० जिला विकास फण्ड से और स्वीकृत किये गये हैं।

श्री भैरूं सिंह—क्या इस स्कूल के लिये १३,००० रु० स्वीकृत किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री एच. के. व्यास।

प्रश्न संख्या ६८

जोधपुर शहर के समीप चरागाह की कमी और इस संबंध में शासकीय कदम

श्री एच० के० व्यास—Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(*a*) Is the Government aware that there is great scarcity of grazing land in the vicinity of Jodhpur City and the Go-palaks there are experiencing great difficulty ?

(*b*) If so, what steps has the Government taken to solve this problem?

(*c*) Has any recent cattle census for Jodhpur City been ordered by the Collector? If so, what is the result of such census?

(*d*) How much land has the Government provided for the grazing of cattle in the vicinity of the city?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(*a*) Yes, the cattle owners have represented that there is shortage of grazing land in the vicinity of Jodhpur City.

(*b*) In 1953 when this question was represented, some area was ear-marked for grazing. The question was again represented this year and an enquiry is being made to explore the possibility of additional grazing lands.

(*c*) It is only re-checking of the previous census figures on the request of the cattle owners and the result is still awaited.

(*d*) 971 bighas and 12 biswas of land has been ear-marked specifically for grazing purposes. In addition to that, cattle owners can also use other pieces of land for the purpose so long as they remain unoccupied. Moreover, cattle owners

[श्री दामोदरलाल व्यास]
have also been permitted according to the rules of the Forest Department to graze their cattle in adjoining forest areas of the city.

श्री एच० के० व्यास–यह फोरेस्ट एरिया में ग्रेजिंग की इजाजत कौनसी तारीख से दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह फोरेस्ट रूल्स में परमिटेड है कि ग्रेजिंग एरियाज में पशु चरा सकते हैं।

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि जोधपुर के इर्द गिर्द फोरेस्ट के एरिया में इस प्रकार की ग्रेजिंग की इजाजत बार २ कहने पर भी नहीं दे रहे हैं और इस बात का रिप्रेजेन्टेशन वहां के गौपालकों ने कमिश्नर और कलेक्टर के पास किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास–फोरेस्ट रूल्स के माफिक जो इजाजत और २ जगह पर है, वह वहां पर भी है, and the question may be directed to the Forest Department properly.

श्री एच० के० व्यास—बी के उत्तर में बताया गया कि एक एरिया रिजर्व्ड कर दिया गया था, तो क्या सरकार के ध्यान में है कि उन लोगों ने उस एरिया पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और वहां पर काश्त करनी शुरू कर दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—९७१ बीघा और १२ बिस्वा का एरिया रिजर्व किया गया था, उसमें इस तरह कब्जा करने की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

श्री एच० के० व्यास—सन् १९५३ में जो एरिया रिजर्व किया था उसकी बात पूछ रहा हूं, सेकिन्ड टाइम रिजर्वेशन हुआ है वह अलग है। १९५३ में जो एरिया रिजर्व किया गया उस पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना है कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास–ग्रेजिंग ग्राउन्ड में ट्रेसपास की सरकार के पास कोई इत्तला नहीं है।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सही है कि १९५३ में जो ग्रेजिंग एरिया मुकर्रर कर दिया था उसमें लोगों ने जाकर काश्त कर ली है और उनके नाम उस जमीन की बापी किये जाने की कार्यवाही जारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप यह सूचना दे रहे हैं, मैं इसकी जांच करूंगा।

(श्री हरिकृष्ण व्यास के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—That does not arise. The question does not arise.

श्री एच० के० व्यास—एरिया रिजर्व हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—हो चुका है, ठीक है।

श्री एच० के० व्यास—१९५३ में रिजर्व हो गया है।

श्री अध्यक्ष—It should arise from the main question and not from the replies of the Minister.

श्री एच० के० व्यास—"If so, what steps have the Government taken to solve this problem?" In reply to this question it was stated that an area was reserved in 1953 and subsequently the following has been done. I want to know, whether the area then reserved still continues to be available or it has been taken away? The point must be clear.

श्री दामोदरलाल व्यास—I have already stated that an area of 971 bighas and 12 biswas was reserved, ear-marked as grazing land, and it still exists as grazing ground.

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि नम्बर ओफ केटल्स की संख्या लगभग ३० हजार के है और उस नम्बर को देखते हुए ग्रेजिंग लैंड बहुत कम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बात ठीक है कि जानवरों की तादाद ज्यादा है और ग्रेजिंग ग्राउन्ड कम है।

श्री एच० के० व्यास—सरकार इस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार इसके लिये इन्तजाम ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स का कर रही है।

श्री एच० के० व्यास—कब तक यह इन्तजाम हो जाएगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत जल्दी।

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि इस संबंध में रोजाना डिस्प्यूट होते हैं और गौपालकों को बहुत असुविधा हो रही है और यह मामला सरकार के पास कई सालों से विचाराधीन चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६

ग्राम पींगलोद (तहसील रूपनगर) के हरिजनों से भूमि छीनकर अन्य कृषकों को देना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-(१) ग्राम पींगलोद तहसील रूपनगर में ऐसे कितने हरिजन काश्तकार हैं जो पिछले तीन या इससे अधिक वर्षों से जमीनें काश्त करते आये हैं और उन जमीनों को अन्य काश्तकारों को काश्त करने के लिये दिये जाने की तहसील द्वारा आज्ञा प्रदान की गई है ?

(२) उक्त हरिजन काश्तकारों के पास कितनी २ काश्त की भूमि बाकी बची है ?

(३) जिन किसानों को काश्त के लिये भूमि बतलाई गई है उनके पास पहले से कितनी २ काश्त की भूमि है ?

Page No.13

[श्री चांदमल मेहता]

(४) हरिजन किसानों से काश्त की भूमि छीन कर अन्य किसानों को देने के क्या कारण हैं ?

(५) तहसीलदार रूपनगर की इस कार्यवाही के खिलाफ किन २ हरिजन काश्तकारों ने एस. डी. ओ. ओफिस में कब २ शिकायतें पेश की हैं ?

(६) उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) कोई नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) खंड १ और २ के कारण यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ग्राम पींगलोद में बहुत बड़ी संख्या में हरिजन काश्तकारों की जमीन छीन कर अन्य किसानों को दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जवाब दिया कि नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह के प्रार्थना-पत्र हरिजन किसानों के माननीय राजस्व मंत्री महोदय के पास रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज कर शिकायतें की गईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—शिकयतें की हों, मुझे याद नहीं क्योंकि सैंकड़ों अर्जियें रोजाना आती रहती हैं। इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि आप इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछते और इस बात के लिये प्रश्न पूछते । मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। अगर आप स्पेशली किसी हरिजन काश्तकार का केस बतावेंगे तो सूचना दी जा सकती है। The method of putting the question should be altogether different. अगर आप इस प्रकार का जनरल प्रश्न पूछ कर, पूछते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि दरख्वास्तें सैंकड़ों आती हैं, कहां तक याद रखें ?

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है : "ग्राम पींगलोद, तहसील रूपनगर में ऐसे कितने हरिजन काश्तकार हैं जो पिछले तीन या इससे अधिक वर्षों से जमीन पर काश्त करते आये हैं और उन जमीनों को अन्य काश्तकारों के काश्त करने के लिये दिये जाने की तहसील द्वारा आज्ञा प्रदान की गई है ?" आपने इसका जो जवाब दिया है उसको मैं चेलेंज करता हूं। क्या आप इसकी जांच करने के लिये तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप स्पेसिफिक केस बतावें तो उसकी जानकारी की जाए ।

श्री चांदमल मेहता—चिमना बलाई की जमीन छीन कर दूसरों को दे दी गई और उसने एस. डी. ओ. के पास और राजस्व मंत्री के पास इसके खिलाफ शिकायत की ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मुकदमा एस. डी. ओ. के पास चल रहा हो तो मालूम नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—बहुत बड़ी संख्या में हरिजन काश्तकारों की जमीनें छीनी गई हैं, क्या आप इसकी जांच करने के लिये तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे पास जो सूचना है वह यही है कि किसी हरिजन की जमीन छीन कर नहीं दी गई । यदि आप इस संबंध में सूचना देंगे तो अवश्य उसकी जांच करेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह चेलेंज करता हूं कि एक नहीं, कई हरिजनों की जमीनें छीन ली हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप चेलेंज दे रहे हैं । आपने चिमना बलाई का केस बताया उसकी जांच की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १००

सिविल सप्लाइज़ विभाग के पास अन्न संग्रह एवं इस विभाग को हानि के कारण

श्री एच० के० व्यास—Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state:

(*a*) Have the stores and stock accounts of the Civil Supplies Department been completed? If so, when?

(*b*) What is the total quantity and value of Foodgrains purchased by the Government since Government trading in food commenced up to the 31-3-56?

(*c*) What is the estimated value of these grains in terms of the sale price fixed by the Government in respect of each grain?

(*d*) What is the amount actually received as sale price of Foodgrains?

(*e*) What is the difference between the book balance and the ground balance in respect of these foodgrains? Both the quantity figure and the value figure may be stated?

(*f*) What are the causes of the heavy losses, if any?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस प्रश्न के जवाब में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टोर और स्टोक अकाउन्ट्स के चैकिंग का काम बड़े जोरों से चल रहा है। इसको करीबन ४ या ५ महीने और लगेंगे। जब तक अकाउन्ट्स चैक अप न हो जाएं तब तक आगे के प्रश्नों का जवाब देना मेरे लिये मुश्किल है।

श्री एच० के० व्यास—मैंने स्टोर्स और स्टोक अकान्ट्स के बारे में पूछा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—The accounts are not ready. जब से राजस्थान बना उससे पहले के अकाउन्ट्स चेक करने हैं। इसलिये यह बताना बहुत नामुमकिन चीज है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले पार्ट ए में लिखा है : "Have the stores & stock a/cs of the Civil Supplies Deptt. been completed?" If so, when ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसको पूरा होने में चार महीने लगेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये कौन से साल के होंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब तक के जो भी हैं सब।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सन् ५०-५१ का हो गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कुछ जगह का नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—५१-५२ का तैयार हो गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक पूरा तैयार नहीं हो जाय तब तक इन्टेरिम जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो सालाना करने की चीज है। समझ में नहीं आता कि ५ वर्ष हो गये, अभी तक आपके पास उसकी इन्फोर्मेशन नहीं आ रही है। स्टोर्स एन्ड स्टोक अकाउन्टस् सालाना तैयार हो जाने चाहिये और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाना चाहिये, यह आपके यहां राजस्थान सरकार के फाईनेन्शियल रूल्स कहते हैं। क्या आप कृपया बतावेंगे कि वे कौनसे साल से अब तक के बाकी हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिस प्रकार एकाउन्ट की स्थिति रियासतों में रही, उसको देखते हुए वे तैयार नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष—राजस्थान बनने के बाद में तो तैयार हो गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक पहले की स्थिति का पता नहीं लगे तब तक आगे की स्थिति कैसे बताई जा सकती है ?

श्री एच० के० व्यास—क्या इस साल में एक भी स्टेटमेंट तैयार नहीं हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनका सबका एक ही स्टटमेंट तैयार होगा, ।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सही है कि एक स्टेटमेंट ऑडिट में आज से चार महीने पहले तैयार करके भेज दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से सारे एकाउन्ट्स का मिलान नहीं हो जाय तब तक उसको कम्पलीट कैसे कह सकते हैं और वह कम्पलीट कैसे हो सकता है ? पहले उसका ए. जी. के अकाउन्ट्स से मिलान होगा। वह उसमें कितनी बातें और फर्क निकाल कर भेजता है ? जब तक वह नहीं हो जाता तब तक फाइनेलाइज कैसे हो सकता है ?

श्री एच० के० व्यास—फिजिकल वेरिफिकेशन लास्ट में कब हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस साल ही हुआ ।

श्री एच० के० व्यास—'बी' का उत्तर इस वक्त भी दिया जा सकता है : "What is the total quantity and value of Food-grains purchased by the Government since Government trading in food commenced up to the 31-3-56?" Both quantity figures and value figures may be stated.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने जवाब दिया कि जब तक फीगर्स ए.जी. के यहां से वेरिफाइ होकर नहीं आ जावें और मैं यहां पर कुछ और जवाब दे दूं तो वह गलत होगा और इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता ।

श्री एच० के० व्यास—आपने बुक बेलेंस और ग्राउन्ड बेलेन्स देखा होगा। आप यह बता दें कि इसमें कितने हजार मन का अन्तर है ? फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आपके विभाग का काम है कि कयास करके बता दें, लेकिन फाइनेन्स विभाग नहीं बता सकता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री एच० के० व्यास—अभी पूछता है ।

क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट ने जो स्टोक वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन का स्टोक तैयार किया है उसमें ९६ हजार मन बुक वेल्यू से कम निकले हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार इस स्थिति में है, कि यह गलत है, तो इसको कन्ट्राडिक्ट कर दें?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां तक अकाउन्ट्स नहीं हो, यह नहीं कहा जा सकता ।

Page No.17

श्री एच० के० व्यास—यह तो जान बूझ कर जवाब को अवोइड किया जा रहा है।

Physical verification is a separate item altogether. It has nothing to do with the general accounts. It is physical verification for which regular report has to be submitted; and difference between ground balance and book balance is a separate item altogether and it can by no stretch of imagination be confused with accounts.

यह बहुत महत्वपूर्ण इन्फोर्मेशन जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आप आज्ञा फरमावें। कितना मन स्टोक में है, बुक वेल्यु कितनी है और स्टोक में कितना है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक इसका फाइनल एडजस्टमेंट नहीं होता, कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री एच० के० व्यास—मैं इसके कॉजेज नहीं मांग रहा हूं। मैं तो सिर्फ फीगर्स मांग रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक अंतिम फीगर्स न आ जावें तब तक जवाब कैसे दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—इन्टेरिम जवाब दिया जा सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इन्टेरिम जानकारी का जहां तक ताल्लुक है, फ़ीगर्स एडजस्टमेंट नहीं हो, तब तक मिलान नहीं हो, कहने से कोई फायदा नहीं।

प्रश्न संख्या १०१

वर्तमान वर्ष में राजस्थान में खोली गई हायर सेकन्डरी पाठशालायें एवं उनके खोलने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(१) चालू वर्ष में हायर सेकन्डरी स्कूलें कहां २ खोली गई ?

(२) उक्त स्थानों की जनसंख्या कितनी कितनी है ?

(३) ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की मांग अस्वीकार कर दी गई और क्यों ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(१) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसकी सूचना भी भाग १ के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई तालिका में अंकित कर दी गई है।

Page No.18

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(३) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन स्थानों पर हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले गये हैं वे इन स्थानों के लिये अधिक उपयुक्त समझे गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—खंड ३ का जवाब नहीं मिला अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आपने सुना नहीं अच्छी तरह से। जिन स्थानों पर हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले गये हैं उन स्थानों को इसके लिये अधिक उपयुक्त समझा गया।

श्री चांदमल मेहता—हायर सेकन्डरी स्कूल्स के खोलने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—स्टूडेन्टस की संख्या, इमारत की सुविधा, वहां के स्थान की आवश्यकता आदि समझ कर खोली जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि हायर सेकन्डरी स्कूल्स जहां खोले गये हैं वहां की स्कूलों में नवीं कक्षा में सिर्फ पांच छः ही लडके हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन स्थानों की जन संख्या ढाई-तीन हजार है, वहां तो हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले दिये गये और जिन शहरों की जन संख्या १०-१५ हजार तक है वहां स्कूल्स नहीं खोले गये ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आबादी कम हो, छात्रों की संख्या कम हो, ऐसी जगह हायर सेकन्डरी स्कूल्स नहीं खोले गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो सूची मुझे आपने दी है उस पर आप गौर कीजिये, इसमें नंबर २१ से लेकर २५ तक जो गांव बताये गये हैं, जहां की जन संख्या ढाई हजार, तीन हजार और चार हजार से ज्यादा नहीं है, वहां पर स्कूल्स खोले गये और जहां की जन संख्या दस और पन्द्रह हजार है तहसील हैडक्वार्टर्स भी हैं वहां पर क्या वजह है कि हायर सेकन्डरी स्कूल्स नहीं खोले गये ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हो सकता है कि वहां पर इमारत आदि का प्रबन्ध न हो और जहां खोले गये हैं वहां तहसील भर में भी कोई स्कूल नहीं हो।

श्री भैरूंसिंह—पचेरी बारी में स्कूल खोलने के क्या विशेष कारण हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस सम्बन्ध में अलग से पूछिये।

श्री मानसिंह महार—गुरेरी में खोलने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अलग से पूछिये तो बता सकती हूं ?

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि बिचून गांव शिक्षा मंत्राणी का निवासस्थान है इसलिये वहां पर स्कूल खोला गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जहां से उपशिक्षा मंत्राणी आई है, वहां भी तो अशिक्षा नहीं रहनी चाहिये ।

श्री चांदमल मेहता—बिचून गांव जिसकी आबादी २३७२ है, जहां छात्रों की संख्या ७ से ज्यादा नहीं है, वहां हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने पहले बताया इमारत और तहसील भर में कोई स्कूल नहीं होगा, इसलिये खोला गया ।

श्री मानसिंह महार—बिचून गांव कौन सी तहसील में है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—बिचून दूदू तहसील में है । तहसील भर में कोई हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं था, इसलिये स्कूल खोला गया ।

श्री चांदमल मेहता—दूदू तहसील में इससे भी बड़े बड़े गांव हैं, वहां हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—गांव बड़े होने से कोई मतलब नहीं; या तो वहां इमारत का इन्तजाम नहीं हुआ होगा ।

श्री भैरू सिंह—गुरेरी, पचेरी आदि गांवों के लोगों ने मकान आदि देने का आश्वासन दिया था, उस पर भी स्कूल नहीं खोला गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में वहां के गांव वालों की ओर से काफी आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस सम्बन्ध में कोई नहीं किया गया ।

प्रश्न संख्या १०२

श्री गङ्गानगर शुगर फैक्ट्री से नया लीज एग्रीमेन्ट एवं उसकी शर्तें

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(a) Has the State Government entered into a fresh lease agreement in respect of the Sugar Factory of Shri Ganganagar for the period from December, 1955 to June, 1956?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(*b*) If so, on what date was the lease agreement signed?

(*c*) What are the terms and conditions of the new lease and in what respects they differ from the old lease agreement?

(*d*) On what considerations did the Government make modifications in these terms as compared to the old lease agreement?

श्री भोगीलाल पंडया (उद्योग मंत्री)—(अ) हां।

(ब) पट्टे पर तारीख ३० जून, १९५६ को हस्ताक्षर किये गये।

(स) पट्टे का मुख्य निबन्धन यह है कि सरकार द्वारा पट्टाधारी को पट्टे के प्रतिफल के रूप में निम्नलिखित धनराशियां दी जानी हैं:—

(१) १,१७,५०० रुपये किराये के रूप में।

(२) पट्टे के अवधिकाल में होने वाले शुद्ध लाभों (नेट प्राफिट्स) का ५० प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे लाभ महालेखापाल (एकाउन्टेन्ट जनरल) द्वारा प्रमाणित शुद्ध लाभों की धनराशियों के आधार पर निश्चित किये जायेंगे और ऐसा भुगतान नकद में नहीं किया जाकर पट्टाधारी की अवमूल्यन निधि (डेप्रिसियेशन फण्ड) में जोड़ा जाकर समायोजित (एडजस्टेड) किया जायेगा।

(द) इस पट्टे के निबन्धन पूर्व पट्टे के निबन्धनों से इस बात में भिन्न हैं कि पूर्वोक्त निबन्धन (२) नये तौर पर जोड़ा गया है। पट्टे के निबन्धनों में परिवर्तन निम्न कारणों से किया गया है:—

(१) पट्टाधारियों को आश्वासन दिये गये थे कि यदि सरकार को लाभ पर्याप्त मात्रा में हुआ तो द्वितीय वर्ष की पटटा सम्बन्धी धनराशि में वृद्धि पर विचार इस शर्त पर नहीं किया गया कि तृतीय वर्ष की पट्टा सम्बन्धी धनराशि में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी।

(२) फैक्टरी के यन्त्रों का अवमूल्यन इस कारण से बहुत बढ़ गया कि पट्टे के प्रथम और द्वितीय वर्ष में क्रमशः ८ लाख और १४ लाख मन गन्ना पेरे जाने की तुलना में तृतीय वर्ष में १८ लाख मन गन्ना पेरा गया।

(३) इस कारण से कि सरकार ने पट्टा सम्बन्धी धनराशि बढ़ाने का वचन दिया था, सरकार ने शुद्ध लाभों का ५० प्रतिशत कम्पनी की अवमूल्यन निधि में दिया जाना तय करके यह कार्य अति लाभप्रद रीति से किया। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षतः कम्पनी को लाभ हुआ किन्तु परोक्षरूप में सरकार को लाभ इस बात से हुआ कि जब यह निबन्धन तय हुआ, सरकार ने इधर से इस व्यापारिक संस्था का मेनेजिंग ऐजेन्सी सम्बन्धी अंश खरीदने का निश्चय भी कर लिया है। अब इस वक्त कम्पनी की अवमूल्यन निधि के प्रति कम धन राशि का अंशदान करना पड़ेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दिसम्बर, सन् १९५५ और ३० जून, १९५६ तक सरकार के कब्जे में यह मिल था या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार इसको चला रही थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस बिनाह पर वह मिल सरकार चला रही थी? क्या दिसम्बर, ५५ से लेकर जून, ५६ तक का लीज एग्रीमेन्ट था ? किस हैसियत से वह उसको चला रही थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार एक लेसी की हैसियत से चला रही थी, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि लेसर को कहा गया था और उसकी यह इच्छा थी कि सरकार इस मिल को चलावे या उसकी कीमत करके देवे । जब लेसर नहीं माना तो सरकार को उसको चलाना पड़ा, उसके चलाने के बाद में उन्होंने सरकार को नोटिस दिया । सरकार की इसमें यह नीयत रही कि गन्ना पैदा करने वालों को नुकसान न हो, इसलिये सरकार ने मेनेजिंग एजेन्ट्स के जरिये इसको रेगुलेराइज कर लिया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—१ लाख १७ हजार रुपये जो किराये के बताये गये, वह साल भर के लिये थे या ६ महीने के लिये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—साल भर के लिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह सेकन्ड लीज दिसम्बर, १९५५ से लेकर जून, १९५६ तक के लिये है, फिर इस पीरियड में १,१७,५०० रुपया किराये के रूप में कैसे हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय मित्र को मालूम होना चाहिये कि हमने गन्ना पैदा करने वालों के हित की बात सोची, हालांकि गन्ने पेलने का सीजन नवम्बर से शुरू होकर मार्च तक चलता है, लेकिन इसके बाद भी खर्चा तो करना पड़ता है । इन्टेरिम पीरियड के लिये ऐसा किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—केवल छः महीने के लिये १,१७,५०० रुपये किराये के रूप में दिये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हमेशा ऐसा ही हुआ करता है, गन्ना पेलने के समय आमदनी होती है, बाद में तो खर्च करना पड़ता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रकम छः महीने के लिये तय हुई है या एक साल के लिये तय हुई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—पिछले वर्ष का जो लीज एग्रीमेन्ट तय हुआ था, उसी वर्ष के छः महीने के लिये यह पैसा मुकर्रर किया गया है । वैसे साल भर के लिये हुआ करता है लेकिन दरअसल वह छः महीने का ही होता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राय मैं नहीं पूछ रहा हूं । मैं तो पूछ रहा हूं, पिछले वर्ष १,१७,५०० रुपये तय था और वह साल भर के लिये था, तो इस वर्ष ६ महीने के लिये कैसे मुकर्रर किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूं कि जहां कहीं भी शुगर का मिल चलता है, उनका वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है और वह ३० जून तक के लिये माना जाता है। पर असल में शुगर पैरने का समय दिसम्बर-नवम्बर में भी चलता है और मार्च तक चलता है। ऐसी स्थिति में आप दिसम्बर तक समझ लें, इसमें थोड़ा नुकसान होगा सरकार को।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये मेनेजिंग एजेन्ट्स के राइट्स खरीदे हैं वे कौनसी तारीख को खरीदे हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—३० जून, ५६ के दिन।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह डेप्रिसियेशन के सिलसिले में ५० प्रतिशत नैट प्रोफिट देने का तय हुआ है, वह ६ महीने के लिये है या पूरी अवधि के लिये है?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस चालू वर्ष का मतलब यह है कि दिसम्बर से मार्च तक।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह ६ महीने के प्रोफिट का नैट प्रोफिट डेप्रिसियेशन के तौर पर दिया जावेगा?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां। ऐसा ही किया जावेगा; हालांकि इसमें थोड़ा नुकसान सरकार को जरूर होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो शर्तनामा लिखा है उसमें क्या दर्ज है, यही एग्ज़ेक्टली दर्ज है या और कोई दूसरी चीज दर्ज है?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने शर्तनामा आपको अक्षर-अक्षर पढ़कर सुनाया है।

श्री अध्यक्ष—यह आप ज्यादा बताते हैं इसी से तो है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं फिर पढ़ कर सुनाऊं?

श्री अध्यक्ष—I will not allow. Next.

प्रश्न संख्या १०३

ग्राम पीगामोद (तहसील रूपनगर) में कृषक को पर्चे को भूमि में कुआ खोदने की मनाही

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) ग्राम पीगामोद तहसील रूपनगर में कितने काश्तकारों को अपने पर्चे की जमीन में कुआ खोदने पर तहसील द्वारा रोका गया और किस कानून के तहत ऐसा हुआ?

(२) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर ६७१८४८ की जमीन में भी कुआ खोदना बन्द करने का आदेश तहसील रूपनगर द्वारा दिया गया है?

(३) उक्त जमीन का पर्चा किस काश्तकार के नाम है?

Page No.23

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) कोई नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) उक्त भूमि का पर्चा श्री सूवा जादू के नाम है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री सूवा जादू को इस जमीन में कुआ खोदने के लिये रोका गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—मैं चैलेन्ज करता हूं आपके इस उत्तर को और इसकी जांच करने की मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय।

(हंसी)

यह बिलकुल गलत जवाब है। उसको रोका गया है और तहरीरी रोका गया है। उसका फैसला मौजूद है। मैं वह फैसला सुबूत के तौर पर पेश कर सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—जो मेरे पास सूचना थी वह मैंने आपको दी, अब आप दूसरी सूचना दे रहे हैं तो उसके लिये धन्यवाद।

श्री चांदमल मेहता—आम तौर पर अधिकारी आपको गलत सूचना देते हैं। आपको इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है कि जो अफसर गलत सूचना दे उसके खिलाफ आप एक्शन लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, एक चैलेन्ज consideration कमेटी और बना दी जानी चाहिये सदन की।

श्री अध्यक्ष—Attention is paid to more important things than to the question. Next.

प्रश्न संख्या १०४

राजस्थान में कोर्ट आफ वार्ड्स में ली गई जागीरें एवं इसके कारण

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितने ठिकाने (जागीर) कोर्ट आफ वार्ड्स के तहत लिये हुए हैं और उनके कोर्ट आफ वार्ड्स में लिये जाने के क्या कारण हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) किन किन ठिकानों की कितनी कितनी रकम किस किस व्यक्ति को किसकी आज्ञा से किस हिसाब से उधार दी हुई है और प्रत्येक की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास–अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि प्रश्न इतना लम्बा है कि इतने कम समय में उसका मुकम्मिल जवाब आ नहीं सकता था। अभी तो नामुकम्मिल जवाब आया है, वह भी १६ टाइप पेजों में है। तो इसके लिये थोड़ा समय और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—१६ पेज तो टेबल पर रख दीजियें।

श्री भैरूं सिंह—जी हां, जो कुछ सूचना आई है वही टेबुल पर रख दी जावे।

श्री अध्यक्ष—जैसा है वैसा रख दीजिये, फिर मौका आवे न आवे उनको।

श्री दामोदरलाल व्यास—The reply will be more complete, I think, in about a fortnight's time.

श्री भैरूं सिंह—फोर्टनाइट के टाइम में तो जवाब आने से रहा। मेरा प्रश्न है कि कितने ठिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में हैं, दूसरा है ठिकाने का रुपया किन किन के पास है, तो इसमें ठिकानों की लिस्ट छोटी सी बन सकती है, रुपया किन किन के पास है इसकी भी एक छोटी सी लिस्ट बन सकती है। अब बाकी की बातों की सूचना वे कुछ देर से दे दें; इतनी सूचना तो मिलनी ही चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं जरा अर्ज कर दूं। आपका सवाल यह है, सवाल को देखने से ही पता चल जावेगा कि कितना समय दरकार है ? आपने पहले पूछा है राजस्थान में कितने ठिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत लिये हुए हैं और उनके कोर्ट ऑफ वार्ड्स में लिये जाने के क्या कारण हैं ? तो अब उन ठिकानों की करीब ६०० की संख्या है, अब उनके लिये जाने के कारण बताएं तो उन ६०० ठिकानों की ६०० अलग अलग फाइलें हैं जो हमें देखनी होंगी। अब ये ६०० मिसलें बरामद हों और तब पता लगे। अब दूसरा प्रश्न है कि किन किन ठिकानों की कितनी कितनी रकम किस किस व्यक्ति को किसकी आज्ञा से किस हिसाब से उधार दी हुई है और प्रत्येक की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की जा रही है, यह काफी लम्बी चौड़ी सूचना है जिसको कलेक्ट करना आसान नहीं है। This is the question and he expects me to give a reply here and now. अब ६०० ठिकानों की आमदनी का हिसाब बताना है, कहां कहां वह इन्वेस्ट की गई है, किसके हुक्म से की गई, क्या स्थिति है इतनी सारी सूचनाएं वे चाहते हैं। And now he expects me to give a reply. It is really difficult. तो रिअली उनको हमारी डिफिकल्टी महसूस करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जयपुर, जोधपुर या आप कौनसे एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट की वे चाहें उसकी कम से कम उनको बता दें ?

श्री भैरूं सिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि ऐसी कोई लम्बी चौड़ी लिस्ट नहीं है और जैसा माननीय मंत्री महोदय फरमा रहे हैं वैसी बात भी नहीं है। लिस्ट इनके पास यहां आफिस में बनी बनाई होती है और उनके आगे इतना लिखा हुआ भी होता है कि किस कारण से वह कोर्ट ऑफ वार्ड्स की गई है, नाबालिगी की वजह से या मिस मेनेजमेन्ट की वजह से या अन्य ऐसे ही किसी कारण से, तो इसका इन्द्राज भी उस लिस्ट के दूसरे कॉलम में दर्ज होता है। अगर माननीय मंत्री महोदय,

[श्री भैरूंसिंह]

चाहते तो यह सारी सूचना एक दिन में मिल सकती थी और आगे के प्रश्न में इसका रुपया कहां कहां इन्वेस्टेड है इतनी लम्बी चौडी बात नहीं है, बल्कि इसका भी हिसाब पूरा कोर्ट आफ वार्ड्स में रहता है, रेवेन्यू कोर्ट में रहता है कि कितनी कितनी रकम किस किस को उधार दी हुई है और इस सारी सूचना को भी कलेक्ट करने में मुश्किल से पांच दिन का भी समय नहीं लगता। जब कि मेरे इस क्वेश्चन को पूछे हुए मुझे एक महीना हो गया, अगर इस प्रकार की इन्फोर्मेशन को कलेक्ट करने में थोडा भी ध्यान दिया जाता तो सम्भव था कि सदन में इस प्रकार की मजबूरी जाहिर करने की नौबत नहीं आती। पर अब भी जितनी सूचना, चाहे वह अपूर्ण ही हो, अवेलेबल है वह तो टेबिल पर रखवा दी जानी चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वही दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी, वह बहुत इन्कम्पलीट है।

श्री भैरूंसिंह—जो इन्कम्पलीट है वही दिला दीजिये साहब।

श्री अध्यक्ष—डेट फिक्स कर दें दूसरी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--कम से कम एक महिने का समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--That will be an entirely new House.

श्री दामोदरलाल व्यास--The Hon'ble Member will be......

श्री अध्यक्ष--All questions, all bills will lapse.

श्री भैरूंसिंह--मैं चाहता हूं कि जो इन्कम्पलीट है वही कम से कम दिलवा दी जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास--वह ठीक नहीं होगा। इसमें आंकडे और नाम पूछे गये हैं। अब इसमें किसी जगह का नाम आ गया है तो वहां का हिसाब नहीं है। वह जगह छूटी हुई है, किसी जगह का हिसाब आ गया है तो और सूचना नहीं आई है, तो वह जगह छूटी हुई है, तो इस तरह से यह अधूरी है और फिर यह अधूरी सूची कार्यवाही में शामिल होगी तो ठीक नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष—What is the hitch?

श्री दामोदरलाल व्यास--इसमें कई कॉलम हैं; कोई भरा है, कोई खाली है, फिर यह छपेगी प्रोसीडिंग्स में तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिये मैं इसे देना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष--When he is satisfied with incomplete information....

श्री भैरूंसिंह--आपने कह दिया, अब जो कुछ भी वह है वह तो देनी ही है। वहां तो बहस का सवाल ही नहीं है। अब इसके बारे में आप निर्णय दे दीजिये कि जो बाकी की सूचना है वह कब तक आ जावेगी ?

श्री अध्यक्ष--आप कब तक दे देंगे ?

Page No.26

श्री दामोदरलाल व्यास--By the next turn I will give.

I do not want to give incomplete information. I will give as soon as possible. I will do my best.

श्री अध्यक्ष--I want to fix a date.

श्री दामोदरलाल व्यास--Then at least 10 days' time.

श्री अध्यक्ष--The last date is 26th.

श्री दामोदरलाल व्यास--I will try to obtain the information by that time.

श्री अध्यक्ष-- If it is not complete by that time, then incomplete information should be furnished.

श्री दामोदरलाल व्यास--Right, Sir.

प्रश्न संख्या १०५

किशनगढ़ डिविजन में पिछले दो वर्षों में बुनकर सहकारी समितियों को दिया गया ऋण

श्री चांदमल मेहता--क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) किशनगढ सब-डिविजन में किन किन बुनकर सहकारी समितियों को कितना कितना ऋण पिछले दो वर्षों में कब कब दिया गया है ?

(ख) भारत सरकार द्वारा कितना कितना ऋण देने के आदेश हैं ?

(ग) ऐसी कौन कौन बुनकर समितियां हैं जिन्हें कायदे मुआफिक ऋण नहीं दिया गया है ?

(घ) किस किस समिति के कितने कितने प्रार्थनापत्र सरकार के पास कब कब पेश हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--(क) किशनगढ की बुनकर सहकारी समितियों को पिछले दो वर्ष में निम्नांकित ऋण दिया गया :--

नाम सहकारी समिति	सन् ५४।५५			सन् ५५।५६		
(१) किशनगढ वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी	४०८२	८	०	४४६०	०	०
(२) मोहनपुरा बुनकर सहकारी समिति लि.	७१५	०	०	७००	०	०
(३) कसेरो तोतलावाली बुनकर सहकारी समिति	..			६६०	०	०
(४) बुनकर सहकारी समिति नन्दपुरा ..	..			२७६५	०	०
(५) मेघवंश सूत्रकार राज बलाई सहकारी समिति	..			७४७	८	०
(६) काढा बुनकर उत्पादक सहकारी समिति	..			१६३५	०	०
रु.	४७९७	८	०	७३२७	८	०

Page No.27

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक बुनकर को कार्यशील पूंजी १०० रुपये और हिस्सा पूंजी सात रुपया आठ आना देने का आदेश है ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) तालिका इस प्रकार है :--

नाम समिति		दिनांक	संख्या बुनकर
(१)	किशनगढ बुनकर सहकारी समिति	२३-२-५५	७१
		२८-२-५६	८
(२)	कनेडी तोतबाजी सहकारी समिति लीमिटेड ...	२४-३-५५	१२
(३)	बुनकर सहकारी समिति नन्दपुरा	१२-१०-५५	२६
(४)	मेघवंश सूत्रकार राज्य बलाई सहकारी समिति ...	१७-३-५५	१३
(५)	काढा बुनकर उत्पादक सहकारी समिति ..	१२-१०-५५	१८
(६)	मोहनपुरा बुनकर सहकारी समिति	२२-२-५५	१४

श्री चांदमल मेहता--ऐसी कितनी बुनकर समितियां हैं जिनको सौ रुपये के बजाय पचास रुपया दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या-५५-५६ में सौ रुपया दिया गया है । ५४-५५ में पहले पचास रुपया बाद में सबको सौ रुपया दिया है । सिर्फ एक जगह वाले ने मांग नहीं की और इस कारण उसे पचास ही दिये गये हैं और वह है किशनगढ वीविंग कोओपरेटिव सोसाइटी ।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि इस सोसाइटी ने एक बार नहीं, अनेक बार मांग की थी और मैं स्वयं भी माननीय मंत्री महोदय के पास इसके लिये उपस्थित हुआ हूं ।

श्री भोगीलाल पंड्या--मुझे इसका मालूम नहीं । वैसे मैं नोट कर लिया करता हूं और रुपया तुरन्त दिला दिया जाता है । पर हो सकता है आपने कहा हो और नोट करने से वह बात रह गई हो । अब आप फिर कहियेगा कि वे इस बारे में प्रयत्न करें, उनको भी नियमानुसार रुपया मिल ही जावेगा ।

श्री चांदमल मेहता--मैं निवेदन करूं कि इसके बाद भी काफी बार लिखा गया है । रजिस्ट्री से भी लिखा गया है । उसकी रसीदें हमारे पास हैं, आप कहें तो रसीदें पेश कर सकता हूं । पर इस तरह कहना कि सूचना ही नहीं मिली, तो बजाय इसके कि आप इस तरह से उत्तर दें आपको चाहिये कि आप उन गलत सूचना देने वाले अधिकारियों से जवाब तलब करते और उन पर आप एक्शन ले सकते हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या-आप १०१ रसीदें पेश करें, कर सकते हैं । रुपये के लिये उनको खुद को कोशिश करनी पडती है । उनको खुद को आकर कोशिश करनी चाहिये थी । सब को रुपया मिला है और मिलता है, और अगर मेरे माननीय मित्र उनको इस काम में सहयोग देते तो उनको रुपया मिल चुका होता अब तक तो ।

Page No.28

श्री चांदमल मेहता—उन्होंने कहा है किशनगढ सोसाइटी के बारे में कि प्रार्थनापत्र नहीं दिया, एक नहीं अनेक प्रार्थनापत्र दिये। रजिस्टर्ड पोस्ट से दिये, फिर भी ये कह रहे हैं कि प्रार्थनापत्र नहीं दिया।

श्री पंड्या—मिनिस्टर का काम यह नहीं रह गया है कि २०० दरख्वास्तें आई हैं उनमें देखें कि कोई दरख्वास्त भेजी कि नहीं भेजी, मैं नहीं कह सकता हूं। आप कहते हैं कि भेजी है तो भेजी होगी, मैं हरेक दरख्वास्त की याद नहीं रख सकता हूं। दुबारा रुपया नहीं मिला हो, ऐसी बात नहीं है। पहले उनको ४०००) रुपया मिला और दुबारा ४८२) रुपया दिया गया। फिर भी यदि आप कार्यवाही करें तो फिर मिलेगा।

प्रश्न संख्या १०६

सांगानेर हवाई अड्डे को बनाते समय कृषकों की हस्तगत की गई भूमियों का मुआवजा

श्री नारायण चतुर्वेदी--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) सांगानेर हवाई अड्डे को बनाते समय किन किन काश्तकारों की जमीन हस्तगत की गई थी ?

(२) उन काश्तकारों की कितनी कितनी जमीन का कितना मुआवजा निर्धारित किया गया था व उसमें से किस किस को कितना कितना मुआवजा मिल गया और किन किन को अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(२) इस मुआवजे के संबंध में ३६२६१ रुपये की रकम तय करना पाया गया। इसकी सूची विवरण के साथ दी गई है जिनको कि मुआवजा दिया गया है। शेष मामलों पर कार्यवाही चालू है।

श्री नारायण चतुर्वेदी--यह कब से कार्यवाही चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब से भूमि को एक्वायर किया गया है तब से।

श्री नारायण चतुर्वेदी--कब तक चालू रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--यह तो करीब करीब तय हो गया है कि मुआवजा मिलने वाला है जिनको कि नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--यह सूची उनको दे दी क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास--दे दी साहब।

प्रश्न संख्या १०७

राजस्थान के विभिन्न शहरों में बालिकाओं के पाठशाला जाने हेतु बसों का प्रबन्ध, विशेषतया किशनगढ़ में

श्री चांदमल मेहता--क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(१) राजस्थान में किन किन शहरों में बालिकाओं के स्कूल जाने के लिये बसेज की व्यवस्था है ?

(२) क्या सरकार किशनगढ़ में भी बालिकाओं के लिये बस का इन्तजाम करने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कब तक ।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्री)--(१) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर अलवर भरतपुर, और कोटा में ।

(२) जी हां ।

(३) बालिकाओं के अन्य हाई स्कूलों में बसों की व्यवस्था करने के बाद अन्य मिडिल स्कूलों के साथ इस पर भी विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न संख्या १०८

जनवरी १९५६ के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कुछ कारखानों को लीज पर देना तथा उससे आय

श्री चांदमल मेहता--क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) १ जनवरी, १९५६ के बाद राज्य सरकार द्वारा किन किन कारखानों को कितने कितने समय व कितने कितने रुपये में लीज पर दिया गया ?

(ख) उक्त कारखानों से पिछले १॥ वर्ष में कितनी कितनी आमदनी राज्य सरकार को हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)--(क) केवल एक कारखाना आइस व एरियेटेड वाटर फैक्ट्री, जोधपुर पट्टे पर दी गई । यह कारखाना ३ वर्ष के लिए ७,००१) रुपये वार्षिक पर दिया गया ।

(ख) उक्त कारखाने से ५५-५६ में १५,८८०) रु० ५ आने की हानि हुई है ।

प्रश्न संख्या १०९

जिला भीलवाड़ा की सहकारी समितियों को उद्योग विभाग से दिया गया ऋण

श्री कस्तूरचन्द--क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) जिला भीलवाड़ा में कितनी सहकारी समितियों को इस वर्ष उद्योग विभाग से ऋण दिया गया है ?

[श्री कस्तूरचंद]

(ख) क्या सन् १९५५-५६ में इस विभाग से सहकारी समितियों को ऋण दिया गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, बनेडा में हेन्डलूम विभाग से व चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बनेडा ने समाज इन्डस्ट्रीज (जूते, चप्पल, बैग) के कार्य के लिये इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से कर्ज मांगा है ? यदि हां, तो उक्त समितियों ने कर्ज कब मांगा और कब कब तक कर्ज न देने का क्या कारण है तथा भविष्य में कब तक दिया जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या--(क) जिला भीलवाडा में किसी सहकारी समिति को ऋण नहीं दिया गया ।

(ख) लोन कमेटी द्वारा ५५-५६ में ३५ सहकारी समितियों को १,९८,९५०) रुपय का ऋण दिया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त हाथ-करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए ५५-५६ में ३,१०,५७५) रुपये की धनराशि ऋण के रूप में इस विभाग द्वारा बुनकरों को दी जा चुकी है ।

(ग) नहीं । बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, बनेडा से ऋण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । न चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बनेड़ा से ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में अभी तक प्राप्त हुआ है । बाकी का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री कस्तूरचन्द--प्रार्थना-पत्र किस ढंग से दिया जाता है तब आपके यहां पर माना जाता है ? मैंने खुद ने डाइरेक्टर साहब किशोरजी को हाथों हाथ प्रार्थना-पत्र उदयपुर से लाकर दिया है और आज मुझे जवाब मिलता है कि प्रार्थना-पत्र अभी तक डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा है ?

श्री पंड्या--मैं निवेदन करूंगा कि वह प्रार्थना-पत्र नहीं है । उसका एक फोर्म आता है वह पूरे का पूरा भरकर वहां के तहसीलदार या एस. डी. ओ. की सिफारिश करा कर भेजना पड़ता है । यदि ऐसा कोई आया होगा और ३ जून के बाद आया होगा तब तो उस पर अब विचार होगा ।

श्री कस्तूरचन्द--मैं उत्तर पूछ रहा हूं कि आज तक आया या नहीं ? मैं अर्ज कर रहा हूं कि चार महीने हो गये प्रार्थना-पत्र दिये । मैंने सारी मुकम्मिल कार्यवाही करवा कर हाथों हाथ किशोर साहब को दिया था, मगर प्रार्थना-पत्र गायब हो गया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है । इसका क्या मतलब होता है ?

श्री पंड्या--मैंने बताया कि वहां पर पहुंचा नहीं है । यह तो उत्तर में पहले दे चुका हूं । यदि ३ जून के बाद पहुंचा होगा तो जब धन प्राप्त होगा, सहायता प्राप्त होगी, तभी तो दिया जा सकता है । आप एक बार और कोशिश कीजिए कि वह प्रार्थना-पत्र कहां है और मैं भी मालूम करूंगा कि वह कहां है । अपन दोनों मिल कर जल्दी जल्दी से उनको पैसा दिलवाने की कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष--रुपया ज्वाइन्टली नहीं होगा । (हंसी)

श्री कस्तूरचन्द--डिपार्टमेंट में जांच की मैंने तो पता लगा कि प्रार्थना-पत्र गायब है । इसका मतलब यह हुआ कि हाथों हाथ लाकर दिया, फिर भी गायब हो गया तो अब मुझे क्या करना चाहिये ?

श्री व्यास--कल से पहले पहले समाधान हो ।

प्रश्न संख्या ११०

ग्राम बडवा (तहसील बसी) में तहसीलदार की आज्ञानुसार पंचायत को सुपुर्द की हुई चरागाह भूमि

श्री नारायण चतुर्वेदी--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) ग्राम बडवा, तहसील बसी में तहसीलदार बसी के आदेशनुसार कितनी चरागाह की जमीन पंचायत के सुपुर्द की गई थी ?

(२) इस चरागाह की कितनी जमीन पर किन किन लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ?

(३) क्या इस सिलसिले में बडवा पंचायत के पंचों को मुचलके से पाबन्द किया गया है ?

(४) यह केस किस अदालत में कहां पर चल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--(१) व (२) ग्राम बडवा में बन्दोबस्त के अनुसार ५०३ बीघा ४ बिस्वा जमीन चरागाह है । वह कुल ही पंचायत के सुपुर्द की गई थी परन्तु इस रकबे में से १३८ बी. १ बि. भूमि ऐसी थी जिस पर कि काश्तकारों का कब्जा अर्से से चला आ रहा था ।

(३) जी नहीं । तहसीलदार ने ग्राम पंचायत के सदस्यों को मुचलके से पाबन्द नहीं किया है ।

(४) पहले से एक मामला एस.डी.ओ. जयपुर की कोर्ट में जमींदारी हकूक के लिए चल रहा है । एक दूसरा मामला दफा १०७ जाब्ता फौजदारी में एस.डी.ओ. दौसा की कोर्ट में चल रहा है । उसका फैसला जमींदारों के हक में दिनांक ६-६-५६ को हो चुका है ।

प्रश्न संख्या १११

दूदू तहसील हैड क्वार्टर मोजमाबाद के अधीन की हाईस्कूल एवं नई खोलने की योजनायें

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(१) दूदू तहसील हैडक्वार्टर मोजमाबाद के अन्तर्गत कितने हाई स्कूल चल रहे हैं ?

(२) क्या मोजमाबाद में भी हाई स्कूल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जावेगी और नहीं तो क्यों ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)--(१) कोई नहीं । इस वर्ष बिचून में एक हायर सेकन्डरी स्कूल खोला गया है ।

(२) फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि जनता द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--बिचून में हायर सेकन्डरी स्कूल किस आधार पर खोला गया है ? क्या वहां मंत्राणी महोदया के रिश्तेदार होने के सबब से या और किसी कारण से ?

Page No.32

श्रीमती बेनीवाल—खोलने का जो क्राइटेरिया है उसी आधार पर खोला गया है । तहसील भर में कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल नही था । वहां के लोगों ने सभी शर्तों को पूरा करने का इरादा किया और पैसा जमा किया ।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—क्या मोजमाबाद के लोगों ने उन शर्तों को मन्जूर नहीं किया ?

श्रीमती बेनीवाल—जी नहीं ।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—क्या मौजमाबाद की जन संख्या कम थी ?

श्रीमती बेनीवाल—जन संख्या होने से ही स्कूल नहीं खोला जाता है, जब तक वहां पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो ।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सही है कि मौजमाबाद के लोगों ने मकान देने के लिये कह दिया और यह भी वायदा किया कि सारी आवश्यकताओं को जुटायेंगे फिर भी वहां स्कूल क्यों नहीं खोला गया ?

श्रीमती बेनीवाल—जुटाने का सवाल नहीं है । उनको साल भर पहले कहा गया था लेकिन वे अब तक नहीं जुटा सके ।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—सारी तहसील में एक ही हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—एक बार बता दिया, दुबारा बताने की आवश्यकता नहीं रहती है ।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—किस आधार पर वह खोला गया है, वह आधार नहीं बताया है आपने ?

श्रीमती बेनीवाल—अध्यक्ष महोदय, वह बता दिया गया है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो अफसोस है ।

श्री भैरू सिंह (वि० सं० १६)—क्या यह आधार समझा जाय कि हायर सेकन्डरी स्कूल के लिए जो व्यक्ति सारी आवश्यकताओं को पूरी कर देगें उस जगह सेकन्डरी हाई स्कूल खोला जायगा ?

श्रीमती बेनीवाल—जहां के लोग मांग लेकर आते हैं उनको कहा जाता है और जो वे आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं वहां पर वह खोल दिया जाता है।

श्री भैरू सिंह—तो क्या खोलने का आधार उस जगह के व्यक्तियों की मांग करना है ?

श्रीमती बेनीवाल—यह उस हालत में है जब कि वहां पर नजदीक में कोई हाई स्कल नहीं हो ।

श्री सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह मान लिया जाय कि जहां मंत्री महोदय की जन्मभूमि हो वहां पर खोला जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं है ।

श्री मानसिंह महार—तो फिर मोजमाबाद तहसील हैडक्वार्टर होते हुए भी वहां पर क्यों नहीं खोला गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—खुद तहसील का हैडक्वार्टर नहीं है। वहां पर प्राईमरी स्कूल के लिये भी बिल्डिंग नहीं है । मोजमाबाद में मिडिल स्कूल के लिये भी बिल्डिंग नहीं है ।

प्रश्न संख्या ११२

सीकर शहर में गुलाबचन्द चितलांजिया की काश्त भूमि में आबाद हुये ५० हरिजन परिवारों को गैर आबाद करना

श्री भैरूं सिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या लगभग ५० हरिजन परिवार सीकर शहर में श्री गुलाबचन्द चितलांजिया की काश्त भूमि में उनकी इजाजत से आबाद हो गये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उन हरिजनों को वहां से गैर आबाद किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार उस एग्रीकल्चरल लैंड को, आबादी की भुमि में ट्रांसफर कानूनी ढंग से न होने के कारण, जो खामी रह गई है उसको दूर कर उन्हें वहीं आबाद होने की आज्ञा देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मंत्री)—(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ११३

विलेज हैन्डीक्राफ्ट्स एवं बोर्ड के मंत्री की नियुक्ति के आधार

श्री भोपालसिंह—क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) विलेज हैन्डीक्राफ्ट्स एवं खादी बोर्ड के मंत्री का अपाइन्टमेन्ट किस प्रकार किया जाता है और उसके जिम्मे क्या काम है ?

(ख) क्या यह सरकारी पोस्ट है ?

(ग) क्या कोई पी. सी. सी. का सदस्य या सरकारी अफसर भी उक्त मंत्री बनाया जा सकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या(उद्योग मंत्री)--(क) ग्रामोद्योग व खादी बोर्ड और हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड दो अलग २ बोर्ड हैं। खादी बोर्ड के मंत्री की नियुक्ति राजस्थान खादी बोर्ड करता है और राजस्थान हैन्डीक्राफ्टस् बोर्ड के मंत्री की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड के मंत्री का काम खादी व दूसरे ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये योजना बनाना एवं इन योजनाओं को कार्यान्वित करना है।

हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड के मंत्री का काम राजस्थान के दस्तकारों द्वारा बनाई हुई चीजों के नये २ डिजाइन निकालना, उनको आधुनिक ढंग के औजारों का प्रयोग बतलाना है।

इसके अलावा इन वस्तुओं की क्वालिटी का मार्किंग करके इनका प्रचार करना है।

(ख) खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के मंत्री की पोस्ट सरकारी नहीं है। हैन्डीक्राफ्ट्स के सेक्रेटरी की पोस्ट सरकारी है।

(ग) खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के मंत्री के लिये कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति चाहे वह पी. सी. सी. का सदस्य हो या नहीं, नियुक्त किया जा सकता है। हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड के मंत्री की पोस्ट सरकारी है और इस पर सरकार द्वारा ही नियुक्ति की जा सकती है।

खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के मौजूदा मंत्री कांग्रेस के सदस्य व गैर सरकारी व्यक्ति हैं। हैन्डी-क्राफ्टस् बोर्ड के मंत्री सरकारी अफसर हैं और कहीं ऐसे मंत्री हैं या नहीं, यह सूचना इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—उक्त नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं? क्या कोई विशेषता देख कर की जाती हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी हां, बराबर उसकी योग्यता देख कर की जाती हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या राजस्थान सरकार के पास इस तरह की जानकारी है कि इस वक्त हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड के व्यक्ति विशेषज्ञ हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या–विशेषज्ञ न होते तो नहीं रखा जाता, आपको भी नहीं रखा जाता। आपको चमडे की ट्रेनिंग थी। जो २ विशेष योग्यता रखते थे उनको रखा गया।

श्री अध्यक्ष—Order! Shri Bhairon Singh.

(श्री भैरोंसिंह और एच. के. व्यास के प्रश्न करने के लिये प्रस्तुत होने पर)

प्रश्न संख्या ११४

कोटा नगरपालिका के वर्तमान एग्जीक्युटिव ऑफिसर की नियुक्ति के आधार

श्री भैरूंसिंह (१६)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) कोटा नगरपालिका के वर्तमान एग्जिक्युटिव ऑफिसर की नियुक्ति कब व किस ग्रेड पर तथा किस आधार पर की गई?

(ख) उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स हैं व इस पद पर काम करने वाले की क्या क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये?

Page No.35

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--(क) तारीख २५-६-५५ को २००-१०-२८० ई.बी. १५-४०० के ग्रेड में योग्यता के आधार पर की गई ।

(ख) एम. ए., एल एल. बी. । दूसरा प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भैरूंसिंह--सरकार ने क्या क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब कर रखी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--नया कानून आएगा जब मालूम हो जावेगा ।

श्री भैरूंसिंह--पुराने कानून के अन्तर्गत क्या योग्यता थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिये ?

श्री भैरूंसिंह--क्या बिना म्युनिसिपैलिटी की जानकारी के ही यह नियुक्ति की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--ऐसा करना सरकार के अधिकार में है । जानकारी का आधार मुझे मालूम नहीं । गवर्नमेण्ट चाहे तो किसी को भी नियुक्त करके भेज सकती है ।

श्री भैरूंसिंह--क्या पी. एस. सी. को भी इस संबंध में लिखा गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--आवश्यकता नहीं थी ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह भी आवश्यकता नहीं समझी थी कि किसी की नियुक्ति की जाने के पहले राजस्थान के राज-पत्र में एप्लीकेशन्स इन्वाइट करने के लिये लिखते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--ऐसा नियम नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह--इस व्यक्ति को कैसे नियुक्त किया गया, क्या आधार था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--एप्लीकेशन्स आती ही रहती हैं और उनमें से जो योग्य होता है देख कर नियुक्त कर देते हैं ।

श्री भैरूंसिंह--इस पद के लिये कितनी एप्लीकेशन्स आयीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--सैकड़ों ही रखी हैं । इनमें से जो योग्य था उनको नियुक्त कर लिया गया ?

श्री भैरूंसिंह-इस पद के लिये कितने व्यक्तियों की दरख्वास्तें आयीं, उनमें से कितनों की रिजेक्ट की गई और किसी व्यक्ति को अपोइण्ट किया तो उसका आधार क्या था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-सब से जो योग्य पाया गया उनको नियुक्त किया, एम. ए., एल एल. बी. हैं । एप्लीकेशन्स सैकड़ों रखी हुई हैं ।

श्री भैरूंसिंह-तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स दीं तो क्या उनको इण्टरव्यू के लिये बुलाया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इण्टरव्यू कोई डिग्री नहीं है ।

श्री भैरूं सिंह—दूसरे लोगों ने भी दरख्वास्तें दी थी, तो क्या उनमें कोई दूसरे एम.ए., एल एल. बी. नहीं थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एम. ए., एल एल. बी. के अलावा डी. लिट. और पी एच.-डी. डिग्री हैं वह कोई नहीं था ।

श्री भैरूं सिंह—मैंने सुना नहीं अध्यक्ष महोदय, माईक पर मुंह रख कर बोलते हैं सुनाई नहीं देता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने यह कहा था कि एम. एल. ए. (एम. ए., एल एल. बी.) से आगे डी. लिट., पी एच. डी. डिग्री हैं लेकिन कोई वैसा नहीं था ।

श्री भैरूं सिंह—जितने आवेदन-पत्र आये उन आवेदन-पत्रों में से जिस व्यक्ति की नियुक्ति की तो उसको बराबर की योग्यता वाले कोई दूसरे व्यक्ति नहीं थे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—होंगे ही ।

श्री भैरूं सिंह—मैं डेफिनिट रिप्लाई चाहता हूं । "होंगे ही" से काम नहीं चलने वाला है । है या नहीं, इसका जवाब दीजियेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री अध्यक्ष—मुझको यह सुनाई दिया कि एम. एल. ए. से कोई बड़ी डिग्री नहीं है ।

(हंसी)

श्री भैरूं सिंह—मेरा प्रश्न साफ है, अध्यक्ष महोदय ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेटिव बिजनेस ।

राजस्थान नगर मंडल वैधकरण विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान नगर मंडल वैधकरण विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान कृषि सुधार विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि सुधार विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--Rajasthan Co-operative Land Mortgage Bill, 1956 ; further discussion.

Yes, reply.

राजस्थान सहकारी भूमि-बंधक बैंक विधेयक, १९५६ (खंडशः विचार-विमर्श)

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)--माननीय अध्यक्षजी, कल माननीय सदस्यों ने इस पर बोलते हुए यह विचार जाहिर किया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। मैं समझता हूं कि यदि काफी समय होता तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं थी। इसमें सवाल यह है कि अब तक कोओपरेटिव सोसाइटीज से शोर्ट टर्म लोन, एक सालाना लोन, मिलता था जब कि किसानों की जरूरत अधिक होती है, कुए खोदने के लिये पैसे की जरूरत होती है, उसके अलावा जमीन को सुधारने के लिये पैसे की जरूरत होती है, बैल इत्यादि की जरूरत होती है और इसके लिये उनको मीडियम टर्म लोन और लोंग टर्म लोन को जरूरत ज्यादा होती है। तो यह देखा गया है और जैसा कि पंचवर्षीय योजना में भी यह निश्चय निर्धारित किया गया है कि जमीन की उपज को बढाना और जैसी कि आवश्यकता है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि इस प्रकार की व्यवस्था किसानों के लिये हो जाय और किसानों को किसी भी किस्म का लोन, चाहे वह शोर्ट टर्म लोन हो, चाहे वह मीडियम टर्म लोन हो और चाहे वह लोंग टर्म लोन हो, किसी भी लोन को लेने में किसानों को दिक्कत न हो और आसानी से वे लोन ले सकें, वे अपनी जमीन की उससे उपज बढा सकें, जमीन को सुधार सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गई और मैसूर में जो कोओपरेटिव मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें रिजोल्यूशन था इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाय। गवर्नमेंट आफ इन्डिया से लिखा पढ़ी होती रही और इसीलिये असेम्बली के पहले एक ओर्डिनेंस जारी करना जरूरी समझा गया। चूंकि ओर्डिनेंस इस संबंध में हो गया और अब जब असेम्बली का सेशन हो रहा है तो इसको इसमें पास करना जरूरी है। अगर इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात सोचते हैं, तो इसमें बहुत सी ऐसी

[श्री अमृतलाल यादव]

साधारण बातें हैं जो किसानों की सुविधा के लिए हैं, इस अधिवेशन में पास होने से रह जाती हैं और किसान उन सुविधाओं से वंचित रह जायगा और वह नहीं होगा । मैंने यह निवेदन किया था और अभी भी उस पर जोर देता हूं कि क्लाज बाई क्लाज धाराओं को लेते समय अगर कोई ऐसी धारा होगी जो किसानों के हित में उपयुक्त हो या उनके विपरीत हो तो उन पर साथ २ विचार किया जा सकता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अत्यन्त आवश्यक बिल है जो इसी अधिवेशन में पास होना चाहिये । यह जितना जल्दी पास होगा उतना ही किसानों का हित होगा और इससे राजस्थान में अनाज की उपज को बढाने की संभावना हो सकती है । सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का वक्त रहा नहीं है और वैसे ही मैं निवेदन करूं कि इसको काफी कन्सल्ट करके किया गया है । और आज भी अगर माननीय सदस्यों के वाजिब सुझाव होंगे तो उन पर अवश्य ही ध्यान दिया जावेगा और वाजिब सुझावों को मानने की इन्कारी नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द न किया जाय और इसको क्लाज बाई क्लाज लेने की कृपा की जाय ।

रावत श्री शंभुसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सहकारी भूमि बंधक बैंक विधेयक के सिलसिले में उत्तर दिया और उसमें यह फरमाया कि उसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता को वे नहीं समझते । मैं इससे सहमत नहीं हूं । माननीय मंत्रीजी ने जो इसको प्रवर समिति के पास भेजने के सम्बन्ध में दलील दी है उसका तात्पर्य यही समझा गया कि इससे विलम्ब होगा और किसानों को जो जल्दी राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वह जल्दी नहीं पहुंच सकेगी । परन्तु मैंने जो प्रवर समिति के सुपुर्द इस बिल को करने के वास्ते प्रस्ताव उपस्थित किया है वह एक अनिश्चित काल के लिये इसको प्रवर समिति के पास भेजने का नहीं किया है । मैंने थोड़े समय के वास्ते इसको भेजने के लिये प्रस्ताव किया है और यह अधिवेशन चल रहा है, उसके दौरान में ही प्रवर समिति के पास भेजा जाकर उसकी रिपोर्ट मांग लेने के वास्ते मैंने प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया था ।

इस वास्ते माननीय मंत्री जी ने जो फरमाया कि इससे विलंब होने की आशंका है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता । विलंब होने की इसमें कतई गुंजाइश नहीं है । मैं तो यह समझता हूं कि यदि इसे प्रवर समिति के पास नहीं भेजा जायगा तो इसमें कई दोष रह जायेंगे । यह एक दोषपूर्ण विधेयक है । संभव है माननीय मंत्रीजी किसानों के संपर्क में अधिक नहीं आये हों, लेकिन हम लोग जो किसानों के संपर्क में रहने वाले हैं और किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा रखते हैं वे जानते हैं कि इसमें जो क्लाज ८ है उसमें जिस प्रकार से कुर्क करने की व्यवस्था की गई है उसके अनुसार किसानों की जायदाद या पैदावार कुर्क की जाने लगी तो बजाय किसानों को राहत पहुंचाने के उनकी हालत और बिगड़ेगी और उनको तकलीफ पहुंचेगी ।

इसके अलावा इसमें ट्रस्टी आदि नियुक्त करने का विधान किया गया है, वह भी संतोषजनक नहीं है । आजकल जिस प्रकार का रवैया देखा जाता है उसको देखते हुए यह संभव है कि अपने खास फेवर के व्यक्ति विशेष को उनका ट्रस्टी मुकर्रर किया जावे और वे फिर मनमाने तरीके से अपने ट्रस्टी पद का उपयोग कर सकें । ऐसी और भी कई एक बातें हैं । इस वास्ते मेरा निवेदन है कि यह सदन एक

[रावत श्री शम्भुसिंह]

बहुत बड़ा सदन है, इसमें इस तरह से खुल कर इन सब बातों पर विचार विनिमय नहीं किया जा सकता, इस वास्ते जो पहले आपत्ति उठाई गई थी और जिसके आधार पर पर मैंने इसे प्रवर समिति के पास भेजने का अनुरोध किया था वह आपत्ति ज्यों की त्यों कायम है। मंत्रीजी ने कहा कि इसे प्रवर समिति के पास भेजने में विलंब होगा लेकिन इसमें विलंब की गुंजायश नहीं है। मैंने जो ओरिजिनल समय बताया था उसको घटा कर ३ दिन का ही समय रखा जावे। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मंत्रीजी अब भी इसको स्वीकार कर लें और इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे भी इजाजत दें तो कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष--No, no. I am bound by the Rules. Only the Member who has moved the motion has a right of reply and after two similar motions have been moved, the one who has moved first, has the right of reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास--वैधानिक आपत्ति पर निर्णय होना बाकी है।

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह कानून की बात थी।

श्री अध्यक्ष—The motions are the same.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I had raised another point of procedure.

श्री अध्यक्ष---प्रवर समिति का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके अलावा ......

श्री अध्यक्ष-- 'अलावा' कुछ नहीं। सिलेक्ट कमेटी का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष—The main intended purpose is its reference to the Select Committee and it is covered by the first mover, Rawat Shri Sambhu Singhji. The Second one is blended.

श्री हरिकृष्ण व्यास--इसमें कुछ दूसरी बातें हैं। रिप्लाई में दूसरी बातें कह रहे हैं। आप सुनिये एक मिनिट के लिये।

श्री अध्यक्ष—I think the member has only a right of reply. अमेन्डमेन्ट्स होंगे आपके ?

Page No.40

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं रिआई में नहीं कह रहा हूं । कानूनी आपत्तिपर रूलिंग नहीं दी गई थी उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन उक्त विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के हेतु रावत श्री शंभूसिह जी ने दिया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कोओपरेटिव लैंड मोर्टगेज बैंक बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—क्या क्लॉज बाइ क्लॉज लिया जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें अमन्डमेन्टस हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, कल जो आपत्ति उठाई गई थी उस ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—उसका समाधान कर दिया डिप्टी स्पीकर ने ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज ४१ के बारे में कहा था कि बाद में निर्णय दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—आने दीजिये क्लॉज ४१ ।

विधेयक के प्रत्येक क्लॉज को विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ३ स्वीकृत हों ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ और ३ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज ४, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

एक माननीय सदस्य—अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आज हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय क्योंकि सदस्यों की दिलचस्पी और बातों की ओर ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष—(पृथक राजस्व मंत्री से) क्यों साहब, There is a proposal to adjourn the House.

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, कोरम है। एडजोर्न नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष—कोरम अब हुआ है। कोरम रखियेगा, नहीं तो एडजोर्न कर देंगे हाउस को। We will not ring the bell time and again.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ४ के भाग (२) की अंतिम लाइन में शब्द "योग" और शब्द "से" के बीच में ये शब्द बढ़ा दिये जायें "७५ प्रतिशत"।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में डिबेन्चर्स जारी किये जाने का प्रबन्ध है और उसके भाग ए के भाग क और ख में किन किन शर्तों पर हिस्से बने, किस आधार पर डिबेन्चर्स जारी किये जायेंगे बोर्ड के द्वारा, इसका उल्लेख है। लेकिन भाग २ में एक बंधन डाल दिया गया है वह इस प्रकार है, "बोर्ड द्वारा जारी, किये ऋण-पत्रों पर देय और किसी भी समय बाकी निकल रही कुल रकम इनके योग से अधिक नहीं होगी।"

आइडिया इसमें यह है अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इसमें दर्ज है। "The total amount due on debentures issued by the board and outstanding at any time shall not exceed the aggregate of the following."

इसमें जो मोर्टगेज या तो दूसरे मोर्टगेज बैंक्स ने सेंट्रल बैंक को एसाइन कर दी है जो ३४ के अन्तर्गत एसाइन की हुई मानी जाय, उसका टोटल माना जाय। इसके अलावा जो भी मोर्टगेज बैंक ने सेंट्रल मोर्टगेज बैंक को दे दिया है उनकी वेल्यू उतनी और जितना पैसा पे किया गया है क्लॉज एक में अथवा जो बोर्ड के पास जमा है उसके टोटल से ज्यादा न हो। यह एक प्रोफेशन के रूप में चीज रखी है पर चूंकि हम लैंड से सम्बन्धित कार्यवाहियों में चल रहे हैं और जो मोर्टगेज होगा वह एसाइन हो जायगा पर उनके बैंक बैलेन्स के बारे में कहीं नहीं है कि इतना का इतना रहे। धारा ४ में जो डिबेन्चर्स इश्यू होंगे उनके प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट को गाइड किया है, इसलिये थोडा प्रोटेक्शन करना जरूरी है, वह तभी हो सकेगा जब कि ड्यू है; वह इन तीन चीजों के, एग्रीगेट से ज्यादा न हो। जो प्राइस फ्लक्च्यु-एशन होगा बैंक वेल्यू में, मार्केट वेल्यू में, उतनी सिक्योरिटी सेन्ट्रल मोर्टगेज बैंक की हो, वहां राज्य के ऊपर बोझा पड़ने की स्थिति पैदा नहीं हो जायगी। इसलिये ये शब्द मैंने रखे हैं। इन शब्दों को जोड दिया जाय।

"उनके योग के ७५ पर्सेंट से अधिक नहीं होगा।"

सिक्योरिटी के लिहाज से ७५ पर्सेंट तक रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, जो मेरे माननीय मित्र ने संशोधन प्रस्तुत किया है उस संशोधन को प्रस्तुत करते समय वे शायद इस बात को नजरअंदाज कर गये हैं कि असल में जो डिबेन्चर्स इश्यू करने हैं उनसे ही बैंक को अमाउन्ट मिलने वाला है और जितना अधिक अमाउन्ट बैंक को मिलेगा उतना अधिक किसानों को लाभ पहुंच सकेगा। उनके इन्ट्रेस्ट के पोइन्ट ओफ व्यू से और बैंक की और अधिक स्टेबिलिटी रखने की गरज से ही ऐसा रखा गया है। तो ७५ पर्सेंट में कोई खास

[श्री अमृतलाल यादव]

आपत्ति की बात नहीं है, पर इसमें सवाल यह है कि बैंकों की शुरूआत है, इस समय मोर्टगेज आने वाला है वह बहुत कम आने वाला है। इसमें जो यह तरीका रखा गया है इससे ज्यादा अमाउन्ट आ सकेगा, ७५ पर्सेंट रखने से २५ पर्सेंट कम रकम आयेगी इससे किसानों को लाभ कम होगा।

तो मेरे ख्याल से कोई बडा पोइन्ट इसमें नहीं है कि जिस पर अडने की बात हो या कोई डिफीकल्टी की बात हो। इसमें गवर्नमेंन्ट का इतना ही पोइन्ट है कि इसमें शुरूआत का वक्त है ज्यादा रकम आ जाय तो लोगों को ज्यादा रकम दी जा सके।

मैं समझता हूं कि इससे मेरे मित्र को संतोष होगा और वे अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—जवाब देते हैं ?

श्री एच० के० व्यास—नहीं। मैं सदन से आज्ञा चाहता हूं कि मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री एच० के० व्यास—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४, ५, ६, और ७ स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खंड ४, ५, ६, और ७ स्वीकार किये गये।

(विराम)

क्लॉज ८, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, खंड ८ में मेरा यह संशोधन है कि खण्ड ८ के भाग १ के अन्त में निम्न शब्द जोड दिये जायें। वे शब्द यह हैं ;

"किन्तु शर्त यह भी है कि उप-धारा (१) के अन्तर्गत तब प्रार्थना-पत्र दिया जा सकेगा जब कि सम्बन्धित व्यक्ति को इस बात की सूचना देने के पश्चात एक माह की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।"

जिस प्रकार से अभी खण्ड ८ वर्डेड है वह एक इनेबलिंग सेक्शन है, यदि किसी भी मोर्टगेज बैंक अथवा सेंट्रल बैंक द्वारा जो इन्स्टालमेन्ट उसे मिलना चाहिये वहां न मिलने की स्थिति हो जाय और एक महीने की अवधि बीत जाय तो सेन्ट्रल मोर्टगेज बैंक को अथवा उस मोर्टगेज बैंक को यह अधिकार दिया है कि वह "..in addition to any other remedy available apply to the Registrar or to any person appointed by the State Government under section 6

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1953, to assist the Registrar for the recovery of such instalment or part by distraint and sale of the produce of the mortgaged land including the standing crop." तो यह प्रोविजन अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रेन्ट करने का है, जिस प्रकार से इसके शब्द हैं, इस ढंग के हैं कि किसी अन्य उपलब्ध प्रतिकार के अतिरिक्त वह ऐसा कर पायेगा तो खण्ड ८ के अन्तर्गत ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक दम डिस्ट्रेन्ट इश्यू किया जाय ही, न यह जरूरी है कि बोर्ड और दूसरे उपलब्ध प्रतिकार हैं, उनका उपयोग न करके सीधे इसी का उपयोग करें, फिर भी यदि यह बोर्ड को उचित प्रतीत हो तो वह खण्ड ८ के अन्तर्गत इस अधिकार का उपयोग कर सकता है और कोई इन्स्टालमेंट अगर एक महीने तक बगैर दिये रह जाय तो वह रजिस्ट्रार को एप्लाई कर के डिस्ट्रेन्ट इश्यू करवा सकता है।

मेरा निवेदन करना यह है कि यह बहुत एक्सट्रीम रेमेडी है और संभव है कि इस बीच में बोर्ड सूचना नोटिस भी दे, रिमाइन्डर दे, दूसरी कार्यवाही करे और संभव है वह नहीं भी करे पर कम से कम जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिस्ट्रेन्ट करने की स्थिति पैदा हो जाय उसे उस स्टेज की सूचना देना आवश्यक है कि तेरा इन्स्टालमेन्ट नहीं आया तो तेरे खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। एक तारीख को उसका ड्यू है, एक महीने की अवधि है, वह अवधि बीत गई तो खण्ड ८ के अन्तर्गत डिस्ट्रेन्ट इश्यू कर दिया जायगा।

मैं यह समझता हूं कि यह उन पर बहुत ही एक्सट्रीम हार्डशिप और गैरवाजिब बात होगी। जिस प्रकार सर्टीफिकेट इश्यू करने की कार्यवाही होती है और उसमें जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर या दूसरे के केसेज में होता है उसी प्रकार से होना चाहिये। इसलिये डिस्ट्रेन्ट की कार्यवाही करने के आदेश जारी करने से पहले संबन्धित व्यक्ति को इस बात की सूचना भी दे दी जाती है कि इस प्रकार की तेरे खिलाफ कार्यवाही की जावेगी, अगर रुपया अदा नहीं किया जायगा। तो मेरे संशोधन लाने का केवल यही तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को सूचना इस बात की देने के पश्चात एक माह की अवधि व्यतीत होने पर रजिस्ट्रार या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को अधिकार देना चाहिये। इसके बगैर तो यह उनके लिये हार्डशिप की चीज हो जावेगी। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को तो माननीय मंत्री महोदय अवश्य स्वीकार करेंगे।

(श्री हिम्मतसिंह के समर्थन करने के लिये खड़े होने पर)

श्री **अध्यक्ष**—इसमें समर्थन की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं कि यह एक इन्नोसेन्ट टाइप का संशोधन है।

श्री **हिम्मतसिंह**—अगर ऐसे इन्नोसेन्ट टाइप के एमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे?

श्री **अमृतलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मेरे जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने जो खण्ड ८ में लाइन जोड़ने के लिये संशोधन रखा है उसके लिये मैं इस क्लॉज को पढ़ कर सुना देना उचित समझता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुर्की कब की जावेगी? खंड ८ का (१) यदि प्रमुख बन्धक बैंक या बन्धक बैंक के पक्ष

[श्री अमृतलाल यादव]

में निष्पादित बन्धक के आधीन देय किसी किश्त का, ऐसी किश्त के किसी भाग का, उसके देय होने की तारीख से एक माह से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया है, तो बोर्ड या समिति जैसी भी दशा हो, किसी अन्य उपलब्ध प्रतिकार के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार को या राजस्थान कोओपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९५३ (राजस्थान एक्ट ४ ऑफ १९५३) की धारा ६ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रार की सहायतार्थ नियुक्त किये गये व्यक्ति को, ऐसी किश्त या ऐसे भाग की वसूली, बन्धक रखी हुई भूमि की पैदावार, जिसमें उस भूमि पर खड़ी फसल शामिल है, की कुर्की तथा बिक्री के जरिये कराने के लिये, आवेदन-पत्र दे सकेगी। रजिस्ट्रार या वैसा व्यक्ति, ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, १८८२ (सेन्ट्रल एक्ट ४ ऑफ १८८२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, परन्तु राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ (राजस्थान एक्ट ३ ऑफ १९५५) की धारा १३० और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ (राजस्थान एक्ट १५ ऑफ १९५६) की धारा २२४ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो वैसी पैदावार को कुर्क करने तथा बेचने के निमित्त आवश्यक कार्यवाही करेगा।

तो जिस प्रकार की व्यवस्था आप चाहते हैं वह व्यवस्था इसमें है। नोटिस का मतलब यही होता है कि उसको मालूम होना चाहिये कि उसकी किश्त कब ड्यू हो चुकी है। इसके लिये पहले ही हमने सूचना रखी है। समिति या बोर्ड एक महीने तक कुछ नहीं कहेगा और उसके बाद यह कार्यवाही करने की होगी। मैं समझता हूं कि आपका आशय भी यही है कि व्यक्ति को एक महीने पहले मालूम हो जाना चाहिये। यह चीज यहां पर मौजूद है।

श्री एच० के० व्यास—इस बात की खबर तो है। मगर उसको इस बात की खबर नहीं कि इस प्रकार की एक्स्ट्रीम रेमेडी उसके खिलाफ ली जाने वाली है। आपके पास दूसरी और रेमीडीज भी हैं, आप दूसरे प्रोसेज के जरिये कार्यवाही कर सकते हैं। यह बात उसको कैसे मालूम होगी कि आप इतना कड़ा कदम उसके लिये उठा रहे हैं ? जब आपने दूसरे केसेज में डिस्ट्रेन्ट के सिलसिले में रखा है, "Specific information regarding the fact that distraint proceedings against you are going to be commenced" यह इन्फोर्मेशन उसको होनी लाजमी है।

श्री अमृतलाल यादव—मैं समझता हूं कि यह भी पॉइन्ट हो तो उसमें भी यह प्रश्न उठता है। असल में तो इस बैंक को कोई भी गैरवाजिब तरीकों से देने में (अश्रव्य) न करे। जो कोष हो उसको सुपुर्द कर दे, यह प्रश्न आता है इस बिल के एक्ट बनने के बाद। मगर इसमें भी गवर्नमेन्ट एक महीने बाद कार्यवाही करेगी। अगर उसने एक महीने के नोटिस देने के बाद भी रकम का भुगतान नहीं किया तो वह कार्यवाही करेगा। एक महीने का समय उसको मिलता है। यह ठीक है, उसको अगर इतना वक्त मिल जावेगा तो वह अपने पास जो कोष है उसको इधर उधर कर देगा, तो फिर उससे क्या लेंगे ? इसके अलावा उसको इस बात की मालूम है कि किश्त मेरी ड्यू हो गई है। उसको अपनी किश्त ड्यू होने की बात मालूम रहती है। उसको उसकी किश्त ड्यू होने के बाद ३० दिन मिलते हैं। तीस दिनों तक गवर्नमेन्ट कोई कुर्की नहीं करेगी। यदि आप इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर वह व्यक्ति ईमानदारी से किश्त देना चाहता है तो ठीक है। मगर जब कोई

Page No.45

[श्री अमृतलाल यादव]

ऐसा व्यक्ति होता है कि अपनी किश्त ड्यू होने पर भी क्रोप या उसकी स्थिति अच्छी होते हुये भी रकम देना नहीं चाहता तो ऐसे बेईमान के लिये तो मेरे मित्र सहमत होंगे कि गवर्नमेन्ट को प्रोसीडिंग्ज उसके खिलाफ लानी चाहिये, क्रोप या जो भी सामान हो उसको ले सकती है। कोओपरेटिव सोसाइटीज से लोन लेने का मतलब यह है कि महाजनों से रुपया न लेकर वह रुपया उसको सरकार की तरफ से मिल गया। जब उसकी हैसियत अच्छी हो जाये और उसका जब क्रेडिट हो जाये कि उसको किसी प्रकार का कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े तो उसको चाहिये कि वह रुपया अदा करे और अगर उसमें थोड़ी भी ढिलाई रहे तो इसका नतीजा यह हो सकता है कि बैंक की रकम वसूल नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं खुद इस बात को मानता था और मैंने लड़ झगड कर यह रखवाया है कि इससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल जावेगी। वे अपनी फसल को थोड़े से समय में अच्छे भाव पर बेच सकेंगे। इसके अलावा कल जैसा आपने वेअर हाउस के बारे में बताया, हम वेअर हाउस की व्यवस्था भी जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। जब यह व्यवस्था हो जावेगी तो किसानों को और भी सुविधा हो जायेगी। उस लाइट में ले रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रतिबन्ध रहना जरूरी है और राजस्थान की स्थिति को देखते हुये इस प्रतिबन्ध का रहना बहुत जरूरी है। सुझाव जो है वह ऐसा है कि इस सुझाव पर मेरी कोई जिद्द नहीं है। शुरूआत में वसूली पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो मैं समझता हूं कि इसका मिसयूज होने का अन्देशा है। मैं समझता हूं कि मेरे इस स्पष्टीकरण करने के बाद मेरे माननीय मित्र इससे सहमत होंगे।

श्री एच० के० व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा उसके बावजूद भी मेरे संशोधन की आवश्यकता है। उनके उत्तर से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे संशोधन का तात्पर्य क्या है, उसको शायद पूरी तरह से वे समझ न पाये और उनके दिमाग में वह बात पूरी आई नहीं। प्रश्न यह है कि खंड ८ में डिस्ट्रेन्ट इश्यू करने का अधिकार उस बोर्ड को दिया गया है और यह कहा गया है कि उसको एप्लाई करने का अधिकार दिया गया है "That is in addition to any other remedy available."

यह लाइन आप क्लॉज ८ की देख लीजिये, " If any instalment payable under a mortgage executed in favour of the Central Mortgage Bank or a mortgage bank or any part of such instalment has remained unpaid for more than one month from the date on which it fell due, the Board or the committee, as the case may be, may, in addition to any other remedy available........"
तो इस सेक्शन की खुद की मंशा यह है कि दूसरी रेमेडीज जो एवेलेबिल हैं उनमें कार्यवाही हो सकती है और उसके अलावा अगर बोर्ड या समिति चाहे तो वह डिस्ट्रेन्ट भी इश्यू कर सकता है।

(श्री एच. के. व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—यह तो डिसक्रिशनरी है, that discretion must vest.,....

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't oppose that discretion. It must vest after a specific notice of the intention of taking distraint proceedings has been given.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक्सप्लेन कर दूं अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण तथ्य यह है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, जहां तक क्रोप्स का प्रश्न है ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि जितने भी मोर्टगेज होंगे सब के इन्स्टाल-, मेन्ट ड्यू क्रोप्स के समय में ही होंगे, यह तो बात नहीं। हरएक के अलग अलग महीने के अलग अलग तारीखों को हो सकते हैं और यह भी जरूरी नहीं कि हर केस में डिस्ट्रेन्ट की कार्यवाही हो। संभव है किसी को एक महीने की सूचना पर पेमेन्ट हो जाय। डिस्ट्रेन्ट करना तो तब आवश्यक होगा जब किसी की कुछ बदनियती दिखती हो या इवेजन दिखता हो। उसमें यह भी तो संभावना है और दूसरी कार्यवाही करने की सीधी डिसट्रेन्ट की कार्यवाही कर दे, as the section stands ऐसे एक्स्ट्रीम केसेज हों जो एक महीने के बाद ड्यू होने पर इन्स्टालमेन्ट का एक महीना बीत गया और एक महीने की अवधि और बीत गई तो डिसट्रेन्ट की कार्यवाही करनी है। उसके बाद इस प्रकार की सूचना देनी चाहिये कि आपका इन्स्टालमेन्ट ड्यू था, एक महीना बीत गया अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ या तो आप इतनी तारीख तक जमा करादो नहीं तो डिसट्रेन्ट कर दी जावेगी, This means that he knows the nature of the remedy proposed to be taken against him before that remedy is sought upon by the Government, नहीं तो कोई रेमेडीज अख्तयार की जायगी। रूटीन के अन्दर तो कार्यवाही चलती रहेगी जिस प्रकार चलती है। जैसा कि खुद माननीय मंत्री महोदय ने कहा इसमें कमी कर दी जायगी, तो काम बिगड़ जायगा; मेरा तो यह निवेदन है कि इस मौजूदा सेक्शन से काम बिगड़ेगा, अधिकार तो आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं लेकिन उनका प्रयोग करना उतना आसान नहीं। अधिकार प्रयोग विशेष की सूचना देने के लिये यह आवश्यक होगा कि अब तो डिसट्रेन्ट की कार्यवाही की नौबत आगई है, यह वाजिब होगा। दूसरी रेमेडी चल रही है, अचानक बीच में तो डिसट्रेन्ट की कार्यवाही नहीं चल सकती। किस स्टेज पर इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है उसके बाद एक महीने की अवधि मिलनी चाहिये, मेरे संशोधन की यह मन्शा है। स्पेसिफिक सूचना आवश्यक है इसलिये मैं मेरे संशोधन को प्रस्तुत करता हूं आशा है इसे स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक सूचना पर ही जोर देना चाहते हैं तो मैं उनकी जानकारी के लिये इस बिल की ९ वीं धारा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है "Distraint how to be effected.—(1) Before or at the time when a distraint is made under section 8, the distraint shall serve or cause to be served upon the defaulter a written demand specifying the amount for which the distraint is made.

(2) The demand shall be dated and signed by the distrainer and shall be served upon the defaulter by delivering a copy to him or to some adult member of his family at his usual place of abode or to his authorised agent or, when such service cannot be affected, by affixing a copy of the demand on some conspicuous part of his abode and of his land." इस धारा में यह बात है कि इसका नोटिस उन होल्डिंग्ज से संबन्ध रखने वाले वयस्क व्यक्ति को दिया जायगा और उसके मकान पर वह नोटिस चेपा जायगा। इसमें आपकी चीज कवर हो जाती है। चस्पा करने के बाद और

[श्री अमृतलाल यादव]

कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। आपका जो मतलब है वह इस धारा द्वारा पूरा हो जाता है। इसमें जो टाइम दिया गया है वह काफी है। इसलिये मेरे माननीय मित्र, ९ वीं धारा को ध्यान में रखते हुए इससे सहमत होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ में जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड ९

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ९ में मेरा संशोधन मामूली है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। वह यह है कि उसके भाग (२) के अन्त में यह जोड दिया जाय तथा ऐसे नोटिस को संबन्धित व्यक्ति के पास रजिस्ट्री कर भेज दिया जायगा।

अभी जिस क्लॉज ९ का जिक्र माननीय महोदय द्वारा किया गया और कहा गया कि डिसट्रेन्ट की सूचना के लिये क्या तरीका अपनाया जायगा ? मैं समझता हूं धारा ८ में उल्लिखत बात से और डिसट्रेन्ट इश्यू करने की प्रोसीडिंग में फर्क है। चूंकि वह धारा पास हो चुकी है, उसकी बहस में जाने की आवश्यकता नहीं। धारा ९ में कुर्की किस प्रकार की जायगी, इस बात का उल्लेख है और उसका तरीका बताया गया है। इसमें केवल एक ही तरीका बताया गया है कि यदि ऐसी तामील न हो सकती हो तो तामील दोषी व्यक्ति के निवासस्थान तथा भूमि के किसी सहज गोचर भाग पर मांग की एक प्रतिलिपि चस्पा करके करवाई जायगी। इस भाग में मेरा संशोधन यह है कि यह जो आपका तरीका है वह तो है ही, उसके अलावा उस व्यक्ति को डिलीवर हो सके या उस व्यक्ति के वयस्क व्यक्ति को डिलीवर हो सके या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेन्ट को डिलीवर हो सके, यह तो ठीक है, यह तो प्रोवीजन मौजूद है किन्तु मेरा संशोधन है उसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का भी प्रोवीजन रखा जाना चाहिये, वह किस कारण से यह भी मैं स्पष्ट कर दूं।

चस्पां करने के बारे में आपके पास प्रूफ क्या होगा ? जो बोर्ड का चपरासी जाता है वह एक दो आदमियों को साथ ले जाता है और उनके दस्तखत करा लेता है और वह रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और उनसे हलफिया बयान ले लेते हैं कि हमने जाकर चस्पां कर दिया। इन दो आदमियों की मौजूदगी में कई बार ऐसा होता है, मेनीपुलेट करने वाले इस बात को मेनीपुलेट करते हैं कि कोई नोटिस नहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लगा और बोर्ड के रजिस्टर में हलफिया बयान हो जाते हैं, इसलिये उस आदमी पर वह कानून लागू हो जाता है। चूंकि इसका संबंध मोर्टगेज से है और वह बैंक के पास होगा तो उसके पास सब प्रकार उसके एड्रेस आदि बैंक में दर्ज होंगे तो उस व्यक्ति को अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी इत्तला भेज दी जाती है तो इसमें क्या एतराज है, इसमें मेनीपुलेट होने का सवाल ही नहीं रहेगा क्योंकि एक तो चस्पां हो ही जायगा दूसरा रजिस्ट्री की रसीद उनके पास रहेगी। आजकल होता क्या है, देहातों में चपरासी जो नोटिस चस्पा करने जाते हैं वे एक दो आदमियों को तैयार कर लेते हैं और उनके हलफिया बयान हो जाते हैं हालांकि उसके मकान पर चस्पां किया भी न गया हो, उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाती है। इस सारी स्थिति को टालने के लिये मैं समझता हूं कि रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजने में कोई कठिनाई नहीं आयगी। यह सिर्फ साढे छः आने के खर्चे का सवाल है, इससे बैंक का दिवाला निकलने वाला नहीं किन्तु इससे लीगल पोजीशन ज्यादा साउन्ड हो जायगी। दो, चार, दस रुपया देकर केवल गलत हलफिया बयान भी दिलवा सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं, सरकार को मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने में किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष जो, मेरे माननीय मित्र ने स्वयं ही यह कहा है कि इसमें कोई खास महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। उसमें वे यह जोड़ने चाहते हैं तथा ऐसे नोटिस को सम्बन्धित व्यक्ति के पास रजिस्ट्री करके भेज दिया जावेगा। अब इसमें जो कुछ भी सर्व करने के साधन हैं वे सभी आमतौर पर सरकारी लेवल पर हुआ करते हैं और जो सरकारी लेवल पर साधन होते हैं वे सभी इसमें मौजूद हैं। कुर्की करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और उसमें दोषी साफ लिखा हुआ है कि उसको या उसके परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को उसके सामान्य स्थान पर अथवा दोषी व्यक्ति के किसी प्राधिकृत एजेन्ट को, एक प्रतिलिपि देकर करवाई जायगी अथवा यदि ऐसी तामील न हो सकती हो तो तामील दोषी व्यक्ति के निवासस्थान तथा उसकी भूमि के किसी सहज गोचर भाग पर, मांग की एक प्रतिलिपि चस्पां करके करवाई जायगी।

तो इसमें साफ लिखा है कि उस व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को इत्तला देकर कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो अन्डर पोस्टल डिलीवरी है, in the absence of this.

श्री अमृतलाल यादव—दीवार पर चस्पां करने की कार्यवाही है। इस पर आप शंका जाहिर करते हैं पर इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। अगर वे इस पर हलफिया बयान दे देते हैं तो उनको इसमें क्या आपत्ति है, चस्पां करेगा तो हलफिया बयान देगा ही। अगर वह नहीं लेता है तो चस्पां करना ही पड़ता है, फिर रजिस्ट्री भी अगर नहीं लेनी है उसको तो उसकी भी तामील नहीं करेगा। इसी तरह से चस्पां करने की भी नौबत तभी आवेगी जब उसको लेना नहीं होगा। और अगर वह घर पर नहीं होगा तो कोई भी वयस्क व्यक्ति जो घर पर मौजूद होगा तो वह तामील करेगा। तो इस रजिस्ट्री की बात को जोड़ने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नुकसान क्या है इसको मान लेने में ?

एक सदस्य—आप वापिस ले लें इसे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वापिस कैसे ले लूं ?

श्री अध्यक्ष— That is included. प्रोसेस में है यह । रजिस्ट्रेशन से भी भेज सकते हैं ।

There is no bar and sending by registration is not immuned from all the defects which the hon'ble member has just pointed out. Personal service is one Form. The other form is by pasting.

श्री हरिकृष्ण व्यास-That is substituted service. In case of substituted service I say that the registered letter also—that form should be employed. Any way.

खैर, अब आप राय ले लीजिये। यह दो-दो रुपयों में भी सर्टीफाई और हलफिया बयान होता है चस्पां करने का, यह मैं आपसे कह दूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ में जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १०, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास-अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० में मेरा संशोधन यह है कि १५ दिन के बजाय एक महीना कर दिया जाय। मेरा संशोधन बहुत सिम्पल है और मेरा ख्याल है कि मन्त्री महोदय उसे मान लेंगे। जब नोटिस दे दिया गया और कुर्की की कार्यवाही हो गई; अब इसके बाद कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय होना बाकी है तो उसके लिये कहा गया है :—

"यदि धारा ९ में निर्देशित मांग की तामील होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर दोषी व्यक्ति उस रकम का भुगतान नहीं करता है जिसके लिये कुर्की की गई हो, तो कुर्की करने वाला व्यक्ति, कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके ऐसे भाग को जो उसकी राय में कुर्की पर हुये खर्च तथा विक्रय की लागत एवं क्लॉज ८ के सब-क्लॉज (२) में निर्दिष्ट समस्त लगान, राजस्व तथा सरकारी बकाया को शामिल करते हुये, मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक हों, नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगा।"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसमें सिर्फ १५ दिन का समय दिया है। मैं समझता हूं कि यह समय बहुत नाकाफी है। एक आदमी पर नोटिस दिया। पहले तो वह डिस्ट्रेन्ट स्पेसिफिक नोटिस ही नहीं है। अपने आप डिस्ट्रेन्ट इश्यू हो गया और इसके बाद में डिमान्ड के रूप में पर्चा गया और कहा कि १५ दिन के अन्दर या तो भुगतान कर दो नहीं तो कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग को बेच कर वसूल कर लिया जावेगा। तो रकम अदा करने के सिलसिले में सम्पत्ति को कुर्क करने के बाद इतना कम समय देना किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं ने तो बहुत थोडी सी अवधि बढाने की मांग की है कि एक महीना तो कर दिया जावे, हालांकि यह समय तो और ज्यादा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कितना, बारह महीने ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह भी हो जावे तो कोई बात नहीं है, अच्छा ही है।

श्री अध्यक्ष—फिर तो इस प्रोवीजन का मतलब ही डिफीट हो जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर कुर्की की गई चीज है ऑर वह चीज अगर पेरिशेबल है तो बात दूसरी है। पर यहां पेरिशेबल तो चीज कोई है नहीं। तो पन्द्रह दिन की अवधि बढाकर एक महीना भी कर दी जावे तो चीज पेरिश होने का कोई डर नहीं, फिर पन्द्रह दिन के अन्दर २ भुगतान करना बडा मुश्किल है, क्योंकि अगर पन्द्रह दिन में वह पे करने की स्थिति में ही होता तो फिर इतने लम्बे चौड़े झगड़े में ही क्यों पड़ता ? पैसे को इकट्ठा करना, लाना, कर्ज का इन्तजाम करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो इसलिये इसके लिये एक रीजनेबल टाइम तो देना ही चाहिये। तो रकम के उधार लाने करने का मामला है, इसमें ये पन्द्रह दिन तो यों ही बीत जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह अवधि एक महीने की कम से कम कर दी जावे।

श्री जगतसिंह झाला—अध्यक्ष महोदय, इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—समर्थन की जरूरत पड गई क्या इसमें भी ?

श्री जगतसिंह झाला—जी हां। तभी तो मुझे भी खड़ा होना पड़ गया है। इस धारा १० का सम्बन्ध धारा ८ से है। धारा ८ में माननीय सदस्य नें संशोधन रक्खा था कि बैंक की तरफ से सूचना आने के एक महीने बाद वह दरख्वास्त होनी चाहिये जोकि उसके माल को कुर्की करने के वास्ते है परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद धारा १० में इस प्रकार का प्रोवीजन है कि यदि वह १५ दिन के अन्दर नहीं देता है तो उसका माल कुर्क कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि वह १५ दिन की अवधि बहुत कम है। नोटिस सर्व करने के बाद कम से कम एक महीने की अवधि जो है वह भी बहुत कम है। चूंकि किसान की फसल तैयार होने के बाद वह फसल को काटता है और खलिहान में डाल देता है और ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं कि १५ दिन के अन्दर अन्दर वह फसल तैयार हो जावे। अब यदि उसकी फसल कटी हुई खलिहान में रखी हुई है और अगर पन्द्रह दिन में पेमेन्ट नहीं कर पाता है तो कुर्की करने वाला नीलाम करने के लिये पहुंच जावेगा और किसान की कड़ी महनत की पैदावार को फिर

[श्री जगतसिंह झाला]

नीलाम करेगा और कौडियों के भाव उस कडी मिहनत की किसान की पैदावार को नीलाम करने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री अमृतलाल यादव—कोडियों के भाव नहीं होंगे।

श्री शम्भूसिंह—माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया कि कोडियों के भाव नहीं होंगे तो अच्छी बाद है, परन्तु फिर भी यह अवधि है एक महीने की यह बहुत कम है, क्योंकि खरीफ की फसल काटने के बाद फसल रबी के वास्ते खेत को तैयार करने में लोग लग जाते हैं और फसल खरीफ की पैदावार को लेने में विलम्ब हो जाता है और वह पडी रहती है जब तक कि फसल रबी के वास्ते खेत तैयार नहीं कर लें। इस वास्ते मैं अर्ज करता हूं कि इस अवधि को बढ़ाकर यदि एक महीना स्वीकार कर लिया जाय तो इसमें कोई हानि नहीं है, और जो बिल का उद्देश्य है वास्तविक किसानों को राहत पहुंचाने का और उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर यह विधेयक स्वीकार कराया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इस धारा ८ में यह हार्डशिप किसानों के लिये जो है वह कम की जानी चाहिये और मेरे माननीय मित्र ने जो यह संशोधन रखा है अवधि बढाने का वह स्वीकृत होना चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है और उसके संबंध में दूसरे माननीय मित्रों ने कहा है मेरे ख्याल से उनके ध्यान में यह बात नहीं रही कि जो शोर्ट टर्म, एक सालाना कर्जा लिया जाता है, और जो लोंग टर्म, जो ५ सालाना कर्जा लिया जाता है, उसके संबंध में अलग बात है। एक आदमी को जो कर्जा दिया जाता है लोंग टर्म उसमें कम से कम उसके लिये ३ साल तक तो कोई कर्जा चुकाने का सवाल नहीं आता है, तीन साल तक तो उससे रकम नहीं ली जायगी। तीन साल बाद रकम ड्यू होगी, तीन साल बाद रकम ड्यू है तो उसको पैसा देना चाहिये। एकाध साल वैसे ही लग जाय तो चार साल में तो कम से कम चुकाना चाहिये। तीन साल में नहीं चुकाये तो चौथे साल में तो देना ही चाहिये। जो रकम ली है वह पूरी की पूरी नहीं देते हैं तो उसकी एक किश्त तो देनी ही चाहिये। वह किश्त, जो कर्ज लिया है उसका एक हिस्सा होगा वह देना चाहिये। उसके लिये भी जैसा कि आगे की धाराओं में बहस हुई थी उसको एक महीना तो वह मिलता कि जो रकम ड्यू होती है उसे एक महीने के अन्दर २ चुका देता है तो कहने का सवाल ही नहीं आता है। वह एक महीना मिल जाता है। एक महीने में कुर्की आती है और कुर्की एग्जीक्यूट होने में महीना पन्द्रह दिन लग सकते हैं। कुर्की एग्जीक्यूट होने के बाद पन्द्रह दिन का टाइम देते हैं। इस तरह से ढाई महीना अपने आप मिल जाता है। इतना वक्त मिल जाने के बाद भी ज्यादा वक्त दिया जाय तो मुनासिब नहीं है और न उस पर खास फर्क पडने वाला है। यह शोर्ट टर्म लोन के बारे में बात नहीं है लोंग टर्म लोन के बारे में बात है। तीन साल तक तो वह ड्यू नहीं होता है। तीन साल के बाद जो किश्त है वह देनी होती है। इस अर्से में ही नहीं देते हैं तो फिर किस वक्त देंगे और कब देंगे? इसलिये मैं समझता हूं कि पन्द्रह दिन की मयाद काफी है और एक महीने की मियाद के लिये इन्सिस्ट नहीं किया जाना चाहिये।

Page No.52

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० पर जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ११, श्री व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्लॉज ११ पर मेरा संशोधन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इस खंड को विलोपित कर दिया जाय। दरअसल डिस्ट्रेन्ट की जो कार्यवाही है वह बहुत ही एक खुद एक्स्ट्रीम कार्यवाही है, और ऐसी एक्स्ट्राऑर्डीनिरी रेमेडी अख्त्यार करते समय भी जाप्ते की ओर ध्यान नहीं रहता तो फिर मैं यह समझता हूं कि यह बहुत बड़ी हार्डशिप हम उन लोगों के साथ करेंगे जो उन बैंकों के कर्जदार होंगे, लेकिन क्लॉज ११ तो. इसके बिल्कुल विपरीत दशा में जाता है। वह तो यह कहता है कि जाप्ते की कार्यवाही हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी जो कुछ होगा वह बहाल कर दिया जाय। आप उसके शब्द देखिये, अध्यक्ष महोदय, "No defect, irregularity, impropriety, want of form or jurisdic tion or non-observance of procedure in making any distraint or sale under this chapter shall vitiate such distraint or sale." तो इसके एक एक शब्द जो हैं वे अपने आप में महत्व के हैं। 'No defect in making any distraint or sale in this chapter shall vitiate such distraint or sale,' 'No irregularity, no impropreity, any want of form or' want of form ही नहीं any want of jurisdiction also shall vitiate. Jurisdiction ही नहीं है और फिर भी डिस्ट्रेन्ट इशू कर दिया। जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और फिर भी सेल कर दिया, और फिर कहते हैं कि 'no want of jurisdiction shall vitiate the sale' अध्यक्ष. महोदय, मैं तो समझता हूं कि हाई कोर्ट भी इस धारा को कम से कम गवारा नहीं करेगी। किसी की फसल खड़ी है, मान लिया जाय कि क के खिलाफ डिस्ट्रेन्ट इशु करना चाहिए क्योंकि उसने कर्ज़ा लिया। टाइपिस्ट ने टाइप करने में क की जगह ख लिख दिया तो वह ख के पास कुर्की पहुंची और उसकी खड़ी फसल को कुर्क कर लिया और फिर वह जाकर कहता है कि, "मैं मर गया"। तो धारा ११ कहती है कि जुरिस्डिक्शन हो या नहीं, लेकिन जो हो गया सो हो गया। जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि वह चीज उस आदमी की नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया डिस्ट्रेन्ट तो हो गया। सेल हो गया तो हो गया। कोई डिफेक्ट रह जाय तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या यही कि वह बहुत मेटीरियल चीज हो गई। ताल्लुक ही नहीं, लेकिन इम्प्रोप्राइटी है। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इम्प्रोप्राइटी के सिलसिले

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में इस प्रकार का ब्लेन्क चेक देना कहां से और किस प्रकार से कानूनों में आने लगा? इम्प्रोपर डिस्ट्रेन्ट इशू हुआ है तो it should vitiate the distraint. इतना ही नहीं इसके अलावा जिन्होंने इस प्रकार से इम्प्रोपर डिस्ट्रेन्ट इशू किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये इम्प्रोपर का तात्पर्य क्या? इम्प्रोपर का तात्पर्य यह है कि जो कार्य नहीं करने के काबिल है वैसा कार्य कियागया है। बोनाफाइड तरीके से गलती रह जाय, टेकनीकल एरर रह जाय तो उसके बारे में सिविल प्रोसीजर कोड है, और मैं समझता हूं कि उसके बारे में कोई खास प्रोवीजन की आवश्यकता नहीं है अगर सब्स्टेंस में वह चीज है तो ठीक। लेकिन यहां क्या स्थिति है यह तो धारा ११ कह रही है कि डिस्ट्रेन्ट में इम्प्रोप्राइटी हो तो भी 'it shall not vitiate the distraint or sale under this chapter.' इम्प्रोप्राइटी हो तो क्यों नहीं विशियेट करे? क्यों एक आड ली जाती है? क्यों नहीं इम्प्रोप्राइटी करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाय? यह बहुत बडी चीज हो जाती है। उसके लिये उन्हें जवाबदार होना चाहिये, उनके प्रति जिनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि वह आपका एक्शन इम्प्रोपर था, आपका एक्शन वान्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन को लिये हुए था, आपका एक्शन डिफेक्टिव था।

दरअसल हमारे इस कानून का संबंध प्रोपर्टी से है, अध्यक्ष महोदय, और प्रोपर्टी के बारे में संविधान में जिस बात का उल्लेख है उस बात को करीब करीब धारा ११ खत्म कर देती है, जब कि वह कहती है कि चाहे कानूनी डिफेक्ट हो, चाहे वाजिब हो, चाहे गैरवाजिब हो, चाहे अधिकार की बात हो, चाहे गैर अधिकार की बात हो, लेकिन हुक्म अल्लाह ताला का निकल गया वह निकल गया, उसमें डिस्ट्रेन्ट एन्ड सेल होगया तो होगया, सेल होगया तो होगया। सेल नहीं हुआ है और डिस्ट्रेन्ट इशू हुआ और किसी आदमी ने बीच में आकर कहा कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप यह गलत कार्यवाही कर रहे हैं, इसको मत करो, तो क्लॉज ११ के अन्तर्गत आप अधिकार दे रहे हैं, कि न जवाब दिया जा सकता है और अगर कोई डिफेक्ट रह गया तो रह गया, it will not vitiate the distraint, therefore, the sale can proceed. अगर सेल हो गया तो क्लॉज ११ कहता है कि it will not vitiate the sale also. यह तो एक अन्धा क्लॉज है। एक अंधा क्लॉज हो इतना ही नहीं बल्कि अन्धा होने के साथ साथ उसके हाथ में एक लकडी है जिसके मुंह पर एक तेज छुरी लगी हुई है, और वह भी तेज कोई छुरी उसके अंक में लगी हुई है। ब्लाइन्ड आदमी के हाथ में ऐसा तेज हथियार आप दे रहे हैं जिससे वह जिधर चाहे उसको घुमा दे, जिधर चाहे चोट कर दे। ऐसे अधिकार नहीं देने चाहियें, ऐसे अधिकार देना न किसी प्रकार न्यायसंगत गिन सकते हैं, और न यह संविधान से मेल खाने वाली चीज है। फिर कोई जाब्ते की बातों को ध्यान में न रखना, फिर कोई बेजाबतगी होती है, अनधिकार चेष्टा की गई हो लेकिन कोई भी हो, जो कर दिया वह वाजिब है, ऐसा दृष्टिकोण न्याय संगत नहीं गिना जा सकता है। अतः आपसे प्रार्थना है और आपके जरिये सदन के सदस्यों से और मंत्री महोदय से कि इस क्लाज को हटा दिया जाय और ऐसी गैर इन्साफ क्लॉजेज को स्थान न दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

रावत श्री शंभूसिंह--माननीय अध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। एक समय था जब इस प्रकार की धींगाधींगी के खिलाफ आवाज

[श्री शंभुसिंह]

बुलन्द करते थे, जो आज इस युग में और इस सदन में बैठ कर इस प्रकार की धींगाधींगी को एक कानूनी जामा और कानूनी औचित्य का रूप देकर हम न मालूम क्या करने जा रहे हैं, यह एक सोचने की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके जिन शब्दों को मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, वे इतने भयानक हैं कि इर्रेग्यूलेरिटी, इम्प्रोप्राइटी और डिफेक्ट इत्यादि पर कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंकियें दूसरे मामलों में भी होती हैं। लैंड ड्यूज की रिकवरी भी होती है, स्टेट ड्यूज हैं उनकी रिकवरी भी होती है, लेकिन उनमें यह व्यवस्था नहीं है कि अगर अटेचमेंट करते वक्त कोई ऐसी इर्रेग्यूलेरिटी होगी तो उसको जस्टीफाइड और वेलिड समझा जावेगा। मैं नहीं समझता कि सरकार इस कानून में इस प्रकार की धींगाधींगी का औचित्य दृढ करके इसको तो पास कर लेगी मगर दूसरे सरकार के ड्यूज हैं उनको रिकवरी करने का सवाल पेश आवेगा तो क्या उनमें सरकार किसी चीज की आड लेने जावेगी? उनमें तो इर्रेग्यूलेरिटी, इम्प्रोप्राइटी और डिफेक्ट्स के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जावेगा। तो जिस प्रकार से स्टेट के दूसरे ड्यूज हैं, लैंड रेवेन्यू मान लीजिए, उनकी रिकवरी उसी प्रकार होगी, उसमें धींगाधांगी नहीं हो सकती। फिर एक बैंक के ड्यूज की रिकवरी के लिये इस प्रकार की बात की जावे और उसके औचित्य का हम समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जो धारा है वह अपने आप एक विलक्षण धारा है और यह इस युग के बिल्कुल अनुकल नहीं है। इस वास्ते मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस धारा को इस विधेयक में से बिल्कुल विलोपित कर दिया जावे।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री भैरूंसिंह—माननीय सभापति महोदय, क्लॉज ११ में जो व्यवस्था की जा रही है उसका लोप करने के बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, आज तक तो कहीं भी सुनने को और देखने को ऐसी बात नहीं मिली है जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि सरकार विधान सभा के द्वारा सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गये अनुचित कार्यों के ऊपर भी मोहर लगाने की चेष्टा करेगी, लेकिन इस क्लॉज के द्वारा न मालूम सरकार की क्या मंशा है जिसको पूरा करने के लिए जितने भी एब हैं या जितने भी अन्याय हैं, की कार्यवाही इस कानून के अन्तर्गत करवाई जा सकती है, वह सारी की सारी कार्यवाही कराने की चेष्टा की गई है। जहां तक इस अध्याय के अधीन किसी कुर्की या विक्रय के करने में घटित कोई दोष है इनका संबंध आता है, माननीय सभापति जी, ऐसा लगता है यदि किसी व्यक्ति की प्रोपर्टी पांच सौ रुपये की है और उस पांच सौ रुपये की प्रोपर्टी की जब कुर्की की गई और उसके बाद इसकी विक्रय का कोई प्रश्न आया उस समय यदि विक्रय करने वाला अधिकारी उस संपत्ति के विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई अनुचित कार्यवाही करे, विक्रय करने में जो आमदनी हो सकती है उससे कम आमदनी में विक्रय करे या विक्रय करने में इस प्रकार की ढिलाई अपनाई जा सकती है जिस ढिलाई से जिस संपत्ति का विक्रय किया जाय उसकी कीमत कम हो जाय, इस प्रकार की छूट दे रहे हैं और इस प्रकार का कोई संरक्षण दिया तो पहली गडबडी होगी उसके विक्रय में। हमने ऐसा देखा है सभापति महोदय, जब कभी इस प्रकार की जमीन को और खडी पैदावार को कुर्क करने का प्रश्न आता है उस वक्त सरकारी अधिकारी कई जा बेजा बातें काम में लाते हैं और इन सब के कारण ऐसा होता है और हुआ भी है, मैं नजीर देकर बताऊंगा

[श्री भैरूंसिंह]

कि सरकार ने खड़ी फसल को कुर्क करने की आज्ञा दी है किसी एक तारीख को और उस तारीख को वह कुर्क न होकर कुछ समय बाद वह फसल कुर्क होती है और जब कुछ समय के बाद वह फसल कुर्क होती है तो बाद में कुर्क होने का मतलब वह फसल नष्ट हो जाय। जैसे बाजरा, जवार की फसल होती है उसको कुर्क करने की आज्ञा होगी तो सरकारी अधिकारी चाहे तो छूट दे दे, वह चाहे तो कुर्की १५ दिन बाद में करे। जहां फसल पकी हुई है और उसको कुर्क करने में १५ दिन की ढिलाई हो उसके बाद उस पर कुर्की की जाय, उसका मतलब यह हुआ कि १५ दिन फसल खड़ी रही और उसके कारण उस काश्तकार को नुकसान हुआ। उसके बाद फसल काटता है और कुर्क करने में जो ढिलाई हुई है उसका नुकसान काश्तकार भुगतता है, क्या उसके लिये कोई डिफेन्स सोचा है? अगर वह सरकारी अधिकारी की आज्ञा का पालन न करे तो सरकारी अधिकारी को अधिकार होगा कि उसको कुर्क करके बेच दे। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि इसकी रेमेडी दी हुई है। धारा १६ के भाग २ में जाकर बैंक के खिलाफ आवेदन-पत्र वह दे सकता है और प्रोटेक्शन सीक कर सकता है। मैं समझता हूं कि कानून भाषा की दृष्टि से समझा जा सकता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी देखिये, क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आज जिस आदमी के साथ कुर्की के कारण अन्याय हुआ है वह कोर्ट में जाकर आवेदन-पत्र पेश करे और उसका फैसला १ महीने में हो जावे? मैं समझता हूं कि जिस तरह से कोर्ट का ढांचा है, आज को जो शासन व्यवस्था है, काश्तकार के साथ जो अन्याय हुआ है, फसल का जो उसको नुकसान हुआ है उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये, फैसला हासिल करने में १० वर्ष तक भी मामले को चलाना चाहे तो चला सकता है। कुर्क करने में ढिलाई के कारण उसको खड़ी फसल का नुकसान हो गया, विक्रय कम हुआ, उससे इसको नुकसान हो गया, जिस दिन से इसको रेमेडी करनी है, दावा करना है तो जिस दिन से वह दावा करे उस दिन से अंतिम दिन तक, जिस दिन तक कि फैसला न हो जावे उस दिन तक, उसको ठहरना पड़ेगा। दावे में १ वर्ष भी लग सकता है या २ वर्ष भी लग सकते हैं और आज कल के रवैये को देखते हुए ६-६ वर्ष भी निकल सकते हैं। यदि इतने अर्से तक फैसला न हो तो एक तरफ तो वह नुकसान होगा और दूसरी तरफ दावे में समय जाया होगा। इस प्रकार की चीज से ऐसे व्यक्तियों को परेशान करने में हम उनके साथ अन्याय करेंगे।

आगे सवाल आता है कुर्की या विक्रय के करने में घटित दोष, अनियमितता, अनौचित्य, फार्म या अधिकार क्षेत्र के अभाव का। जोधपुर से आनेवाले सदस्य ने बताया था कि यदि बकाया है (क) में और वसूली होगी, (ख) से जाकर तो (ख) उस रेमेडी को रोक नहीं सकेगा। उस समय तक वह कुछ नहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी कुर्की पर आघात पहुंचानेवाले के खिलाफ चाराजोई न करले। एक काश्तकार जो दोषी है उसके खिलाफ डिग्री आनी चाहिये, लेकिन उसके बजाय डिग्री आती है दूसरे काश्तकार पर जो कि बिल्कुल निर्दोष है। क्लर्क की गलती से निर्दोष व्यक्ति पर कुर्की रायज की जाती है तो दोषी व्यक्ति समझता है कि अच्छी सरकार है, दोष तो मैंने किया, रुपये मैंने लिये, भुगतान मुझे करना है लेकिन मेरा खेत ज्यों का त्यों खड़ा है, मेरी जायदाद जैसी की तैसी है, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल निर्दोष है और जिसने पैसा उधार नहीं लिया है, उसकी खड़ी फसल को कुर्क करने की आज्ञा आती है। निर्दोष व्यक्ति जो किसी प्रकार के मतभेद में नहीं है ऐसे निर्दोष व्यक्ति को न्यायसंगत प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे

[श्री भैरूंसिंह]

और उसके बजाय जो दोषी व्यक्ति है उसको छूट देंगे। वह सरकार के अधिकारियों से या क्लर्क से मिलकर बचने का प्रयत्न करेगा। आज यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान सरकार दोष रहित है। सरकार यह नहीं कह सकती कि वह भ्रष्टाचार रहित है, यह सरकार यह भी कहने की स्थिति में नहीं है कि यहां एम्बेजेलमेंट और डिफॉलकेशन के केसेज कम हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि दिन ब दिन राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और माल एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों में तरक्की की है और न मालूम यह तरक्की कब तक होती रहेगी। यदि हम उनको पूरी छूट देते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि यह तरक्की उन को गारत अवस्था में ले जायगी। उसको तो गारत अवस्था में लेजायेगी सो ले जायगी ही लेकिन राजस्थान की जनता के सामने ऐसी वस्तु स्थिति को रखेगी जिससे कहीं तूफान खड़ा न हो जाय।

हमने लगान आदि वसूल करने में काश्तकारों को विशेष सुविधा दी है। यदि काश्तकार बकाया नहीं दे सके तो वैसे लोगों के लिये कानून बनाकर छूट देने की व्यवस्था की है। लेकिन यहां तो काश्तकारों और सामान्य जनता के हितों पर आघात करनेवाला न मालूम यह कानून क्यों पेश किया गया? जो दोषी है उसके साथ न्याय नहीं किया जाता और जो निर्दोषी है उसके लिये यह धारा पास की जाती है, तो मैं यह कहूंगा कि यह कानून की मंशा के बिल्कुल विपरीत है और जैसी व्यवस्था है उसके स्थान पर यदि सरकार चाहे तो जो भूल से या प्रिन्टिग में कई बातें रह गई हैं, उनमें दुरुस्ती होनी चाहिये और उसके लिये सारी प्रोसिडिंग्स को नल एन्ड वोइड नहीं करना चाहिये तो सरकार कर सकती है, लेकिन जहां अधिकार-क्षेत्र का अभाव, अनियमितता, अनौचित्य का प्रश्न आता है उनको लेकर मैं यह कहूंगा कि मूल में सरकार की दोषपूर्ण नीति है और उसके लिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस धारा को इस बिल में से निकाल दें ताकि यह ठीक ढंग से बना रहे और जनता को इससे लाभ मिल सके।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं जोधपुर से आये हुए मित्र के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि धारा ११ को डिलीट कर दिया जाय।

चेयरमेन महोदय, अंग्रेजों के राज्य में जब राज्य स्थापित ही हुआ था और जब अंग्रेज लोग बंगालियों को दबाने के लिये अन्याय कर रहे थे उस समय यह डेस्ट्रेन्टवाली चीज भारतवर्ष में चालू हुई थी। मेरे ख्याल से मंत्रीजी को इसका इतिहास मालूम नहीं है। इस डेस्ट्रेन्ट के तहत अंग्रेजों ने बंगालियों के साथ जितना बुरा आतंक और अन्याय किया, उतना शायद और कभी नहीं किया होगा। डेस्ट्रेन्ट वाली बात उस समय सन सेट एक्ट के नाम से मशहूर थी। तो जिस समय हम इस बिल की धारा ११ को देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि वे ही सन् १८६० के आसपास वाली हरकतें जो बंगाल के अन्दर हो रही थीं वे ही शायद हमारे वर्तमान मंत्रीजी आज के युग में सन् १९५६ में राजस्थान में लाना चाहते हैं। चेयरमेन महोदय, आप तो स्वयं वकील हैं, आप तो खूब अच्छी तरह जानते हैं ....

श्री चेयरमेन (श्री जवानसिंह)— No reference to the Chair, please.

श्री मानसिंह महार—मुझसे गलती हुई। लेकिन आप तो बखूबी जानते हैं, मंत्रीजी इस बात को समझ नहीं सके, इसका अफसोस ही है। शायद पहले देख लेते, सोच समझ लेते तो अच्छा होता।

[श्री मानसिंह महार]

उनको अभी बताया गया है कि इसकी उपधारा (२) में रेमेडी मौजूद है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज के युग में अदालत में जाकर डेमेजेज क्लेम करने और उन डेमेजेज को वसूल करने में कम से कम १० वर्ष की अवधि चाहिये। तो सोचने की बात यह है कि एक तरफ तो हमारी सरकार एक कानून बनाती है जिसके उद्देश्य में यह लिखा हुआ है कि :— "Agriculturists generally stand in need of finances for agricultural purposes and operations, for the discharge of their debts and for the formation of economic holdings." तो एक तरफ तो एग्रीकल्चरिस्ट के उत्थान की बात कही जाती है और उनके लिये कई प्रकार के कानून लागू किये जाते हैं और दूसरी तरफ इस बिल की धारा ११ जैसी काली धारा इस कानून में जोड़ी जाती है। मुझे समझ में नहीं आता चेयरमेन महोदय, यदि यह किसी प्रकार से जागीरदारों की मदद करनेवाली चीज होती तो हम मान भी लेते कि सरकार जा बेजा तरीके से, जैसा उसका रवैया रहा है, इसको पास करने की कोशिश कर रही है। इसमें तो जागीरदारों का वह फोबिया भी नहीं है जैसा कि हमारी वर्तमान सरकार के दिमाग में भरा है, वह भी नहीं है। फिर भी न मालूम मंत्रीजी को क्यों डर लग रहा है? उनको २ घंटों से बताया जा रहा है कि ११ वीं धारा बहुत बेजा है। इस पर यदि एडवोकेट जनरल की राय ली जाय तो भी वह इस धारा के खिलाफ जायगी। दुर्भाग्य से राजस्थान में कोई एडवोकेट जनरल है नहीं। यदि होते तो वे भी किसी कोने में बैठे रहते और अपनी राय देते। खैर यदि एडवोकेट जनरल नहीं है तो केबिनेट में जो वकील सदस्य हैं उनकी राय ली जाती, या इस समय जो मंत्रीजी से सट कर बैठे हैं उनसे ही लीगल ओपिनियन की बात की जाती तो महसूस होता कि यह धारा गलत है। यह मैं मानता हूं कि महसूस उनको नहीं होता, क्योंकि समझ में आवे तब कोई बात महसूस होती है, तो यह गलत है कि उन्होंने महसूस किया हो। लेकिन म यह कहता हूं कि यह अन्याय होगा यदि कुर्की की कार्यवाही की जायगी। ए के खेत के बजाय बी का खेत कुर्क हो जाता है तो उसकी रेमेडी डेमेजेज सूट के जरिये सिविल कोर्ट में जाने से हो यह न्यायसंगत बात नहीं है। और चेयरमेन महोदय, अगर कोई ऐसी सरकार पदासीन होती, जिसके न्याय में हमें विश्वास होता तो, हम, बहुत मुमकिन था इस ११ वीं धारा को चश्मपोश भी कर जाते, इसका विरोध भी नहीं करते पर आज तो वह सरकार पदासीन है जिसके लिये बड़े ताज्जुब से कहना पडता है जैसा कल विधेयक पर बोलते हुए कहा कि मेरे भाई साहब ने गलती से मेरे लडके का नाम दे दिया। अगर ईमानदार थे तो गलत नाम देकर जमीन हासिल करने के अपराध में उनको प्रोसीक्यूट क्यों नहीं किया गया? बड़े दुर्भाग्य की बात है जो यह कहा जाता है कि मेरे भाई ने मेरे लड़के का गलत नाम दे कर १०० बीघा जमीन ले ली और उनको प्रोसीक्यूट नहीं किया गया, यह न्याय है? इसका कोई जवाब नहीं, इसलिये मंत्री महोदय चुप बैठे हैं।

श्री सभापति (श्री जगन्नाथसिंह)—The matter should not be brought again and again in this House. It has been discussed already.

श्री मानसिंह महार—मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि डिस्कस हुआ पर नतीजा क्या हुआ? सफाई दी पर सफाई करना नहीं जानते, मेटर और उलझा दिया। आज तक हम नहीं जानते थे

[श्री मानसिंह महार]

कि उनके सुपुत्र महोदय का नाम गलत दिया गया था। दो साल तक कोशिश की थी महेन्द्रसिंह के नाम से। उनके कहने से मालूम हुआ कि वह नाम गलत था

श्री सभापति—Come to the subject matter under consideration.

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन, मैं अगर यह निवेदन करूं कि मैं अगर ऐसे किसी अधिकारी के खिलाफ कहता कि जो सदन में जवाब नहीं दे सकता हो तो मुझे यह कहने का अधिकार उचित नहीं था, पर कल बड़े जोरों से इस सदन में एक्सप्लेनेशन दिया पर अब और एक्सप्लेनेशन देने की गुंजाइश नहीं है, इसलिये मौन में ही जवाब आयेगा। सारी बातें तो करली, अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में भूदान भी कर दिया और म्युनिसिपेलीटी की चेयरमेनशिप भाई सहाब को मिल गई बताते हैं, सब कुछ हो गया फिर जिस राजस्थान के अन्दर यह बातें हो सकती हैं कि सौ सौ बीघा जमीन फर्जी नाम से दी जा सकती है तो उस राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती, यह आशा कैसे की जा सकती है ? अगर ऐसा कानून बन गया तो मुझ जैसे व्यक्ति के पास, किसान के पास जमीन होगी तो वह जमीन कुर्क की जायगी और हमें अदालतों में भटकना पड़ेगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। इस चीज को हम चश्मपोश नहीं कर सकते। चेयरमेन महोदय, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि इस सदन में ऐसी बातें कहीं जांय उनके लिये हम अगर बोलेंगे नहीं तो हम और क्या करेंगे, मुकदमा हम तो चला नहीं सकते, वहां सरकार ही मौन रहे तो हम क्या करेंगे ?

आज जो वे जवाब दें तो मैं मान लूंगा कि मन्त्रीजी बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारे मन्त्रीजी बिल्कुल दूध से के धोये साबित हों। मैं तो खास कर आरोप इसीलिये लगाता हूं कि किसी मंत्री पर या और किसी पर गलत आरोप न रह जांय, वे लोग आरोपों को साफ कर दें। मैं तो चाहता हूं कि राजस्थान के मंत्री महोदयों पर कोई लांछन नहीं लगाये जांय और लगाये जायं तो जवाब दें और उसकी अच्छी तरह से सफाई दें, मैं उनको बधाई दूंगा। पर जवाब ऐसे देते हैं कि एक उलझन से दूसरी उलझन में डाल दिया जाता है, इसके लिये हमें अफसोस ही हो सकता है और क्या अर्ज करूं।

इसलिये मेरा निवेदन सदन के समस्त सदस्यों से यह है कि हम लोगों को इस ११ वीं धारा के बारे में खास तौर से सोचना चाहिये। यह इस प्रकार की धारा नहीं है कि आज तक हां, ना कर के टालते आये हैं। हमें देखना है कि यह धारा कितनी घातक सिद्ध होगी। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था और सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस धारा का विरोध करें और जो संशोधन पेश किया है उसे पास करें। हां, यह बात जरूर है कि मैं ने जो मिसाल पेश की है उसका कोई संतोष-जनक जवाब आजाय तो फिर रियायत बरती जाय। अगर वे मौन ही रह गये तो मैं समझूंगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। आगे मैं यह आशा करूंगा कि मन्त्रीजी मुझे संतोष दिला देंगे कि इस लेन-देन के मामले में वे निर्दोष थे, तो फिर यह भी सफाई दें कि भाई साहब को सजा क्यों नहीं दी, यह संतोष करा देंगे तो मैं मान लूंगा कि यहां भी सरकार की नेकनीयती है, वह अभी तो भूदान में बह गई। यह तरीका मुझे भी नया बताया गया है कि अगर किसी की चीज हड़पनी हो तो भूदान, संपत्तिदान नई चीज चली है। संत विनोबाजी जैसे महात्मा की चलाई हुई भूदान प्रथा को इस तरह से कलुषित किया जा रहा

[श्री मानसिंह महार]

हैं तो इससे बढ़कर हमारे देश के लिये दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ? मैं तो चाहूंगा कि और भी क्लेरिफिकेशन दें कल जैसे उछल उछल कर एक्स्प्लेनेशन दिया था उस वक्त मैं बोल नहीं सकता था; क्योंकि मेरे प्रस्ताव को सेकन्डरी मान लिया गया था। तो मैं आज भी चाहूंगा कि आज भी ऐसी सफाई दी जायगी कि और उलझ जायं। क्योंकि मकड़ी के जाले में कोई जानवर फंस जाय तो जितने हाथ पैर हिलायेगा उतना ही और उलझेगा। अगर बदनीयति से ऐसा कर दिया गया है तो ऐसा कह दिया जाय कि क्षमा दी जाय । पर यह कहना कि मेरे चचा ने कर दिया, ताई ने कर दिया, भाई ने कर दिया, यह कोई महत्व रखने वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमें ऐसी बातें कही जायेंगी कि हम इस दृष्टि से समर्थन कर सकें।

इस सरकार में हम ही क्या उस पक्ष में बैठे हुए लोग भी विश्वास खो चुके हैं और हरिभाऊ की बातें करने लग गये हैं, इसी में फायदा है नहीं तो न मालूम क्या क्या काले कारनामें सामने आयेंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—सभापति महोदय, क्लॉज ११ के बारे में अमेन्डमेंट आया है कि इसे रिमूव कर दिया जावे, इसके संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह क्लॉज बहुत भयंकर है। मैं नहीं समझता कि सरकार ने इसके अन्दर इस तरह का क्लॉज क्यों रखा है ? चाहते हैं बैंक का हित करना, काश्तकारों का हित करना, लेकिन इस क्लॉज के रहते हुए न बैंक का हित होगा और न काश्तकारों का हित होगा।

इसके कारण प्रत्यक्ष ही हैं। सबसे बडा कारण तो यह है कि अगर कुर्की के सिलसिले में कोई दोष है, अनियमितता है, अनौचित्य है, कोई खामी हो जावे, तो इसका कोई अर्थ नहीं माना जावेगा और जो आदमी इससे तकलीफ उठायेगा उसके लिये सिर्फ एक उपाय रखा है, कि वह डेमेजेज के लिये ऐसे बैंक के खिलाफ कार्यवाही करे। यहां दोष या अनौचित्य का बडा वाइड सेन्स है। किसी को जूता मार दिया कुर्की के सिलसिले में, तो यह सब लोग बाग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सब बर्दाश्त होने वाली बातें नहीं हैं, आज की पब्लिक १० साल पहले की जैसी नहीं है। अब लोग अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझने लग गये हैं और यह बात जानने लग गये हैं कि उनके क्या अधिकार हैं और गवर्नमेन्ट किस तरह कार्यवाही कर रही है ?

गवर्नमेन्ट की जो कार्यवाहियें अभी तक देखी जा रही हैं उससे जनता काफी उदासीन हो गई है, और सरकार की कार्यवाहियों से तंग आ गई है। मैं तो यह कहूंगा कि जनता यहां तक कहने को तैयार है कि इससे तो पहले राजाओं का राज अच्छा था; जहां पर हमारी सुनवाई तो होती थी। आज गवर्नमेन्ट इस तरह का क्लॉज रख कर चाहे जैसा उनके साथ अन्याय करे उसकी सुनवाई नहीं हो। इस प्रकार का क्लॉज रख कर सरकार आगे होकर लोगों को भयंकर नुकसान देगी और उनको भुलावा देने की बात के सिवाय कोई बात नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि इसका परिणाम अच्छा होनेवाला नहीं है। वैसे देखा जावे तो मोरगेज बैंक और उधार देने वाले बनियों में कोई फर्क नहीं। मोरगेज बैंक भी एक तरह का उधार देने वाला बनिया ही है। फिर मैं समझ नहीं सकता कि उसको मामूली तौर से, बोहरों को जो अधिकार दिये हैं उनसे, ज्यादा इनको अधिकार देने की जरूरत क्या है ? फर्क इतना ही है कि बोहरे लोगों को

[राज श्री हिम्मतसिंह]

जल्दी से जल्दी रुपया दे देते हैं और ब्याज अधिक से अधिक लेते थे। मगर यह तो कोई न्याय नहीं कि उनसे वसूल करते समय उनको इतना कष्ट दिया जावे। उनको रुपया देने में भी कष्ट दिया जावेगा और वसूल करते समय भी कष्ट दिया जावे। उनको हर तरह से आपत्ति दी जावेगी। अतः मैं सरकार से यह कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह दुःख देख कर बैंक में से रुपया लेने के लिये नहीं जावेगा। लोग बाग नहीं जावेंगे कर्ज लेने के लिये, और बैंक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। इस जमाने में इस प्रकार का बिल लाना बड़ा भयंकर काम हो रहा है। इसलिये इसके लिये जो एमेन्डमेन्ट इसको लोप करने के लिये रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इसके लिये दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं। यह बिल्कुल निकृष्ट कानून है। इसमें काश्तकारों और बैंक दोनों का क्या हित होगा? इस क्लॉज के रहते हुए दोनों दुःख पावेंगे और सरकार जो प्रयोजन चाहती है वह सिद्ध नहीं होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, क्लॉज ११ में जो श्री एच. के. व्यास ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संशोधन में इस धारा को लोप कर देने की बात है, इसको लोप कर दिया जाना चाहिये और इसका समर्थन किया ही जाना चाहिये। इस धारा के अन्दर जिस तरह का प्रोविजन सरकार की तरफ से आया है, उसका मैंने कल भी विरोध किया था, मैंने कल बिल का भी विरोध किया था और कहा था कि सरकार को इस प्रकार का बिल हाउस के सामने लाना ही नहीं चाहिये, क्योंकि इस बिल से काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होगा। मेरे समझ में यह नहीं आता कि इससे काश्तकारों को क्या फायदा है? मैं तो यह कहूंगा कि इससे काश्तकारों को फायदे के बनिस्बत नुकसान ही होगा। किसानों को जो रुपया मिलेगा यह तो सरकार को मालूम ही है कि आज तक कितने गरीब काश्तकारों को रुपये मिले। सरकार बताती है मिसाल के तौर पर कि फलां फलां तहसील में गरीब काश्तकारों को जिनके पास आज बिल्कुल भी पैसा नहीं, बैल भी नहीं, कुए बनाने के लिये या उनको बैल खरीदने के लिये रुपये दिये हों। यह मिसाल देनी चाहिये थी, मगर सरकार ने यह चीज नहीं बता कर यह बिल हाउस में लाई है और कोओपरेटिव बैंक के नाम पर काश्तकारों को रुपया दिलाने की बात कह रही है। मैं, माननीय चेयरमेन, आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इससे काश्तकारों को कर्जे के रूप में ५ रुपये भी नहीं मिलेंगे। वह रुपया मिलेगा उन लोगों को, जिनके हाथ में उस तहसील का तहसीलदार या बैंक का डाइरेक्टर या कोओपरेटिव बैंक का जो कोई भी इन्सपेक्टर या दूसरा सरवेसर्वा होगा या उनका कोई हेमायती होगा उन लोगों को कर्ज मिलेगा और काश्तकार अपना समय छोड कर ५० या १०० दफा वहां पर जावेंगे और अपना पैसा बरबाद करेंगे और कर्जा लेंगे, ऐसा एक भी काश्तकार मुझे नजर नहीं आता। वहां पर तो वही लोग जावेंगे कि जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसे के भूखे हैं और जो पद लोलुपता के लिये मर रहे हैं, वे लोग कर्जा लेने के लिये जावेंगे न कि काश्तकार कोओपरेटिव बैंक में कर्जा लेने के लिये जावेंगे। काश्तकारों के हित के नाम पर आज किस तरह से टिनेन्सी एक्ट पास हुआ और दूसरे बिल भी पेश हुए और पास हुए। जागीरदारी एबोलिशन एक्ट में पास हुआ। माननीय चेयरमेन, यह मैं जरूर मानता हूं कि जागीरदारी सरकार ने खत्म करदी, परन्तु आज हम लोग जो हाउस में बैठे हैं वे जागीरदारों से बहतर बन गये। उन्होंने जमीनें ले ली, और जमीन लेकर तकाबी के नाम पर ज्यादा फायदा उठाते हैं। वे लोग सरकार से रुपया ले लेते हैं मगर सरकार को वापिस रुपया नहीं देते। इसी तरह से जयपुर

Page No.61

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

में कोओपरेटिव बैंक था, उसकी बात मैं बता रहा हूं। जयपुर में सोसाइटी के नाम पर जयपुर स्टेट से कर्ज दिया जाता था। लोगों ने सरकार से रुपया लिया और वह रुपया वापिस नहीं लौटाया जा रहा है । इसी तरह से कोओपरेटिव बैंक भी बनेंगे। जिन लोगों के हाथ में रुपया जावेगा वे लोग बैंक को रुपया लौटा नहीं सकेंगे, समय पर काश्तकार को रुपया मिलेगा नहीं और मिलेगा भी तो इस धारा ११ के अन्तर्गत आज सरकार ने अपने हाथ में इस तरह का क्लॉज रखा है और पॉवर को इस क्लॉज द्वारा अपने हाथ में लेना चाहती है कि जब सरकार चाहे उस पॉवर का मिसयूज कर सकती है। जब लोगों को कर्ज लेने में मुसीबत होगी तो वे लोग कर्ज क्यों लेंगे? यदि किसी काश्तकार को रुपया लेने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी और वह आपसे रुपया लेकर उससे ज्यादा फायदा नहीं उठायेगा, तो वह रुपया क्यों लेगा ? उनको लेने की क्या जरूरत है ? माननीय चेयरमेन, ऐसी हालत में माननीय मन्त्री महोदय को चाहिये कि इस तरह के क्लॉज जो रखे गये हैं, उनको डिलेट कर देने चाहिये और अगर किसी ने किसी प्रकार का संशोधन रखा है और इस संशोधन में तरमीम करनी है तो माननीय मन्त्री बता सकते हैं। परन्तु इस क्लॉज को इस तरह पास करना डिक्टेटरशाही की बात होगी । जब हम राजाशाही का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि राजा लोग इस तरह के अन्याय करते थे, मगर आज की सरकार इस प्रकार के कानून बना कर जनता पर अत्याचार करना चाहती है और अपने बहुमत के बल पर जबर्दस्ती लोगों पर लादना चाहती है और काश्तकारों का नाम लेकर लादना चाहती है, तो मैं यह कहूंगा कि यह बात ठीक नहीं है। ऐसी हालत में जो संशोधन जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री एच० के० व्यास ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेयरमेन, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में मैं भी दो शब्द उसके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि यों तो यह सारा बिल ही उचित नहीं है लेकिन यह धारा इस बिल की क्लिष्ट धारा है, काली धारा है। इसको पास करके राजस्थान सरकार के मन्त्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि इससे काश्तकारों का हित होगा और वे इससे काश्तकारों का हित करना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इससे काश्तकारों का ज्यादा से ज्यादा अहित होगा। इसलिये यह निवेदन है कि इस पर विचार करके इस धारा को पास किया जाए। यह ऐसी धारा है जिससे काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी जा सकती है। जिसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस पर डिक्री की जा सकती है। डिक्री होनी 'ए' पर चाहिये वह 'बी' पर करा देगा और जब 'बी' यह कहेगा कि यह डिक्री मेरे पर नहीं होनी चाहिये तो यह कहा जावेगा कि अदालत में जाकर दावा करो। जब राजाओं का राज्य था उस समय आप कहते थे कि ऐसे कार्य सामन्तशाही के है और सामान्तवाद नहीं रहना चाहिये। न मालूम आप उनको क्या क्या नाम देते और अब आप इस तरह की कार्यवाही प्रजातन्त्र के युग में कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप १९५६ में विधान सभा में बराबर इस तरह की धाराएं पास कराकर जनता के साथ असहयोग करना चाहते हैं, जनता को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि इस धारा को विलोपित कर दी जावे तो यह बात बहुत अच्छी होगी ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, २।१० पर पदासीन)

[श्री जगतसिंह झाला]

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कल अपने भाषण में महेन्द्रसिंह नाबालिग लड़के के नाम जमीन लेने के बारे में जो बात कही थी उसके बारे में मैं आज फिर निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह इन्हीं मन्त्री महोदय के कारण जब कि ये वन मन्त्री थे, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट से निकाल कर अपने नाबालिग लडके के नाम जमीन करदी गई है। लेकिन आपने कल फरमाया कि उस नाबालिग लडके को जमीन देने में मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन आपको याद होना चाहिये, कि आपने जिस समय यह १०० बीघा जमीन अपने नाबालिग लड़के के नाम दी उस समय आप ही वन मन्त्री थे, उस जमीन पर उपाध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों की संख्या में वृक्ष थे, उन वृक्षों को कटवाया गया। हमारा फर्ज होजाता है इन सब बातों को कहने का, क्योंकि आप जब ऐसी कार्यवाहियां करते हैं अपने निजी फायदे के लिये, तो आप किस तरह से अपने भाई को सजा दे सकते हैं, वह तो वहां की म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन हैं, आप चाहते हैं कि हर तरह से उनको बढ़ावा दिया जाय।

(घंटी)

इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि इस काली और कलुषित धारा को इसमें से निकाल दिया जाय, यह काश्तकारों के लिये बहुत ही कलुषित धारा है, अतः मेरा यही निवेदन है कि इस काली और कलुषित धारा को इस कानून से निकाल दिया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यहां सदन में आया तो उस समय माननीय सदस्य गण क्लॉज ११ पर काफी जोर से विचार प्रगट कर रहे थे, उस दौरान में जो कुछ भी उन्होंने कहा हालांकि उनका सम्बन्ध इस क्लॉज से नहीं था लेकिन पिछला जो इतिहास इस सरकार का है वह वे दोहरा रहे थे। मैं भी यही निवेदन करूंगा, चाहे उन बातों का सम्बन्ध इस क्लॉज से हो या न हो, लेकिन जो कुछ भी बातें कही जाती हैं और जो जो नाम इस क्लॉज को दिये जाते हैं, काली और कलुषित क्लॉज है, उससे मैं भी सहमत हूं। आज जब कि हम कानूनी राज स्थापित करने जा रहे हैं वहां कानून में इस प्रकार की क्लॉज का समावेश नहीं कर सकते। हलफिया बयान पर चाहे किसी भी आदमी को हम सजा नहीं दे सकते, चाहे उसकी गलती नहीं भी हो उसको केवल किसी के हलफिया बयान से दोषी नहीं ठहरा सकते, केवल इस क्लॉज का प्रवेश करा कर। इस क्लॉज के शब्दों को आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास अंग्रेजी का क्लॉज है, जिसमें यह है—

"No defect, irregularity, impropriety, want of form or jurisdiction or non-observance of procedure in making any distraint or sale under this chapter shall vitiate the distraint or sale."

इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज को पकड कर उसे बेचने का सरकार को अधिकार है। उसके लिये चाहे कुछ भी रूल्स बने हों लेकिन इस क्लॉज से वे खुले आम उसकी अवहेलना कर सकते हैं। वे चाहे कितना ही नुकसान किसी को पहुंचावें लेकिन इस क्लॉज के अन्तर्गत वह ठीक समझा जायगा। इसमें इमप्रोप्राइटी, इर्रेगुलेरिटी, वान्ट ओफ फोर्म और जूरिस्डिक्शन इन चीजों को हम वीसीएट नहीं करेंगे, इस युग में जब कि हमारे संविधान द्वारा हम गारन्टी करते हैं, इस युग में इस प्रकार की क्लॉजेज रखना कि चाहे वह काम कानून के अनुसार हो या न हो जो, कुछ भी अधिकारी कर लेंगे वह

[श्री वेदपाल त्यागी]

ठीक माना जायगा, यह तो एक प्रकार से निरंकुश राज्य की स्थापना करना जैसा है। राजस्थान के काश्तकारों की हालत पर आप गौर फरमाएं, अगर उनको रुपया जो दिया जायगा अगर वे ठीक वक्त पर वापिस नहीं करेंगे तो बैंक को अधिकार है कि वह डिस्ट्रेन्ट करे। आप इस क्लॉज को रख कर जो कुछ भी रूल्स बने हुए हैं डिस्ट्रेन्ट करने के उनको पालन न करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहते हैं, मनमाने तौर से, चाहे जिस तरह से काश्तकारों को तंग करें। उनकी प्रोपर्टी छीन कर चाहे जिस तरह से वे बेच सकते हैं। इस प्रकार की क्लॉज रखाने के जिम्मेदार उधर बैठने वाले लोग हैं जो किसान वर्ग के हैं। कानून में इस प्रकार के अधिकार देना कानून बनाने वालों के पक्ष में शर्म की बात है, अगर इस प्रकार का कानून आपने बनाया और आपने इसके समर्थन में वोट दिया, तो आपके लिये यह शर्म की चीज होगी। कानून में आप इस प्रकार का अधिकार देना चाहते हैं कि चाहे उसका ज्युरिस्डिक्शन हो या न हो, वह रूल्स को वायोलेट करके जो कुछ भी काम वह करेगा, वह बिल्कुल ठीक माना जायगा इस क्लॉज के अनुसार। डिस्ट्रेन्ट तक आप सीमित रखते तो हम यह मान सकते थे कि आप रुपयों की सेफ्टी की गारन्टी करना चाहते हैं, लेकिन जब आपने इसमें यह कर दिया कि किसी भी चीज को पकड़ले उसको वह नीलाम कर सकता है, बेच सकता है। इस प्रकार के जब आप अधिकार देते हैं तो यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। आप यह कहते हैं कि बाद में वह डेमेजेज की नालिश कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा वे उनको जाकर पूछें जो नालिश करने जाते हैं, किस प्रकार की कठिनाइयां उनके सामने उपस्थित होती हैं या उनको पूछिये जो उनकी पैरवी करते हैं एक सही चीज को साबित करने के लिये कितनी कठिनाइयां उपस्थित होजाती हैं। हम जब कि यह अधिकार देते हैं तुम्हारी प्रोपर्टी को पकड़ कर चाहे जिस तरह से बर्ताव करके उसको डिस्ट्रेन्ट करे तो उसके बाद अगर डेमेजेज की नालिश करने के लिये आप कहते हैं तो इस प्रकार की क्लॉज रखी ही क्यों जाती है? जब कोई अमेन्डमेन्ट इसमें आते हैं तो हंस कर उसको टाल दिया जाता है, यह तो और भी भद्दी बात है। जो अमेन्डमेन्ट आया है उसके लिये मैं यह तो नहीं कहता कि आप डिस्ट्रेन्ट के पॉवर ही मत रखिये लेकिन जिस प्रकार की एनवीसेज की है इस क्लॉज में वान्ट आफ इम्प्रोप्राइटी, वान्ट ऑफ फार्म और जुरिस्डिक्शन यह जो है वह एक प्रकार से जो प्रोसीजर है उसकी अवहेलना की गई है। इस पर यह कहना कि वे नालिश कर सकते हैं यह गलत तरीका होगा जो डेमोक्रेसी के युग में सहन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के आरबिट्रेरी पॉवर्स इस युग में दिये नहीं जा सकते। इस प्रकार के यदि पॉवर्स दे दिये गये तो काश्तकार लोग इससे बचने के लिये अधिकारियों को रिश्वतें चटायेंगे, इसके सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री इस पर दुबारा विचार करें और फिर ऐसी लेंग्वेज में इसको पेश करें ताकि लोगों को अपने राइट्स की सेफ गार्ड हो और उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो जिनका रुपया वसूल करने की जिम्मेवारी है।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में जो कि जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा उसके बारे में मुझसे गलती यह हुई कि मैंने माननीय सदस्यों से यह जिक्र कर किया कि इस क्लॉज में कुछ एक दो शब्द ऐसे हैं वे मुझे भी अखरते हैं, मैं भी उन पर विचार करना पसन्द करूंगा। इस पर भी माननीय सदस्यों ने जो कुछ उनको अधिकार है कि वे चाहे कुछ भी कहें। उन्होंने इस क्लॉज के सम्बन्ध में बोलते हुए कुछ अन्य बातें भी कहीं। यहां

[श्री अमृतलाल यादव]

उनको भाषण स्वतन्त्रता है वे चाहे जो भी कह सकते हैं, वे भाषण स्वतन्त्रता का चाहे जिस तरह से उपयोग करें। मैं ऐसी जगह पर जब कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं इस स्तर तक नहीं आ सकता जो स्तर उनका है, वह उनको ही मुबारिक हो। मैंने यह समझा था कि किसी एक प्रसंग पर माननीय सदस्य बहुत सी बातें करते हैं, अच्छा हो वे यदि इस बिल पर जिसका सम्बन्ध उन बातों से कतई नहीं है फिर भी उन्होंने उनका जिक्र किया, लेकिन मैंने जो कुछ बात कही वे समझने वाले समझ गये उसी भावना से अगर वे भी उस बात को लेते तो ठीक रहता, उसके बावजूद भी आज भी बहुत सी बातें उन्होंने इस बिल पर बोलते हुए कहीं।

(श्री जगत सिह झाला के कुछ बोलने के लिये खड़े होने पर)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं हाउस की पजेशन में हूं। जो भाषण स्वतन्त्रता प्रत्येक सदस्य को यहां मिली है वे चाहे जिस प्रकार उसका उपयोग करें वे इस बात में स्वतन्त्र हैं जिन शब्दों में और जिस भाषा में उन्होंने बात कही वे शायद इस प्रकार की बातें कर मुझे इन्स्टीगेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं इन्स्टीगेट होने वाला नहीं। मैं तो सिर्फ इस बिल से संबन्धित बातें हैं, इस क्लॉज से, इस संशोधन से सम्बन्धित बातें हैं, उसी तक अपने भाषण को सीमित रखूंगा। मैं समझता हूं मेरे सामने जो संशोधन है उसके बारे में यह कहा गया कि इसके रहते हुए अगर रामलाल ने रुपया लिया है तो वह श्यामलाल के चिप जायगा, कर्जा श्यामलाल के हो जायगा। लेकिन ऐसी बात होने वाली नहीं और न कोई इस क्लॉज की, ऐसी मन्शा ही है। क्रीमीनल प्रोसीजर कोड में इस प्रकार की व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति के लिये अगर किसी किस्म की इरेंगुलेरिटी रह गई हो तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार से इसके अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। मैं खुद इस बात को सदन के फ्लोर पर स्वीकार करता हूं कि मैं वकील नहीं हूं और न कानून का पंडित ही हूं। उस ओर से बोलने वाले कानून के पंडित ने जो कुछ कहा है मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता।

मं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक जिम्मेदारी अगर मुझे सौंपी गई है ता उसको निभाने के लिये अगर मं किसी बात को नहीं जानता हूं तो जानने की कोशिश करता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं और इसी दृष्टि से मेरा प्रोसीजर चलता है।

श्री भैरूं सिंह—यह स्कूल नहीं है। (हंसी)

श्री अमृतलाल यादव—तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा में जो इसे विलोपित करने का संशोधन रक्खा गया है उससे तो मैं सहमत नहीं हूं, पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि वास्तव में मैं स्वयं यह फील करता हूं कि इसमें कुछ अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं और जैसा मैं शुरू में कह चुका हूं पर मुझे दुःख है कि मेरी उस भावना का दुरुपयोग किया गया है। यह तो मैंने पहले ही इंगित कर दिया था कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर मं विचार करूंगा और जो वाजिब बात है उसे मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, यह कहकर मैंने कोई गलती नहीं की। इस पर माननीय सदस्यों ने इतना वक्त लिया और जो कुछ कहा यह उनकी मंशा की बात है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे लिये तो जितना वे प्रकाश अधिक डालेंगे उतना ही मुझे समझने का मौका मिलेगा।

[श्री अमृतलाल यादव]

ये शब्द ज्यादा कठिन हैं 'Jurisdiction or non-observance of procedure' ऐसा मैं समझता हूं। अब जुरिस्डिक्शन के लिये मैं मानता हूं कि यह शब्द नहीं रहना चाहिये और नान-आब्जेर्वेन्स ऑफ प्रोसीजर को भी मानता हूं नहीं होना चाहिये। यह मानता हूं कि इतने अनलिमिटेड पॉवर नहीं होने चाहिये। इसमें मिसयूज की गुंजाइश है। पर इस पूरे के पूरे क्लॉज को विलोपित करने को मैं सहमत नहीं हूं। पर यह स्वीकार करता हूं कि ये शब्द निकाल दिये जावें और इसके बाद यह धारा ऐसे रह जावेगी :—

"No defect, irregularity, impropriety or want of form in making any distraint or sale under this chapter shall vitiate such distraint or sale".

ऐसी स्थिति में, मुझे आशा है, मेरे माननीय सदस्य, इससे सहमत होंगे। वह स्वयं जानते हैं कि कभी कभी जरा सी बात के लिये दोषी व्यक्ति दंडित होने से रह जाता है, इसलिये इस क्लॉज का कम से कम इस रूप में रहना जरूरी है। साथ ही जहां सरकार को अनलिमिटेड पॉवर मिलते थे और जहां उनको मिसयूज होने की बात थी वह भी ठीक थी उस सीमा तक वह भी मैंने मान लिया है। तो अन्त में मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेने के बाद वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब क्या स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय? मेरे संशोधन को तो मंत्री महोदय अस्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने कोई संशोधन पहले से पेश नहीं किया, बाकायदा लिखित में नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—एक दूसरा संशोधन उन्होंने रक्खा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और दूसरा कोई संशोधन आया नहीं है। वहां है ही नहीं, किसी ने प्रस्तुत नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने मौखिक तो प्रस्तुत कर दिया है, राइटिंग में भी कर देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मौखिक से तो काम नहीं चल सकता। इसको फिर आप पोस्टपोन कर दें।

श्री अमृतलाल यादव—आपका संशोधन इस हद तक तो मानता ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष—वह दूसरा संशोधन बनेगा, जो आप तजवीज करते हैं।

श्री अमृतलाल यादव—अच्छा तो इसको फिर डेफर कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—इसको डेफर किया जाता है।

(सदन की सम्मति से उक्त क्लॉज ११ स्थगित किया गया।)

श्री हरिकृष्ण व्यास--जवाब का तो मामला बाकी रहेगा साहब ।

श्री भैरूंसिंह--रिप्लाई भी तो बाद में ही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--रिप्लाई की आवश्यकता रहेगी क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह तो वह संशोधन देखने के बाद तय होगा साहब ।

श्री हिम्मतसिंह--उनके संशोधन पर भी बोल सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--खण्ड ११ मुलतवी किया गया ।

(विराम)

खण्ड १२

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड १२ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खण्ड १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १३ को स्वीकार किया जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरा संशोधन है साहब इसमें ।

श्री उपाध्यक्ष--अच्छी बात है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड १३ भाग (२) में मेरा संशोधन है और वह संशोधन यह है कि शब्द '३' के बजाय '६' रख दिया जावे ।

खण्ड १३ के जिस भाग में यह संशोधन है उपाध्यक्ष महोदय, उस भाग का आशय यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि सेल का जो अधिकार है उसका कब उपयोग हो ? उपाध्यक्ष महोदय, कोरम ही नहीं है ।

(गणपूरक घंटी)

अध्यक्ष महोदय कह गये हैं कि बार बार घंटी नहीं बजाई जावेगी, अगर कोरम नहीं होगा तो पोस्टपोन कर दिया जावेगा । तो उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय । यह बार बार कोरम अन्दर बाहर आता जाता है ऐसे कैसे काम चलेगा ?

(हंसी)

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय यह फरमा गये थे कि कोरम अब नहीं होगा तो एडजोर्न कर दिया जावेगा। इसलिये हाउस अब एडजोर्न कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—अब हो गया, आप बोलिये। अब के देखेंगे तो करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि खण्ड १३ का ताल्लुक सेल्स से है। जो सम्पत्ति मोरगेज की जावेगी उसमें उसे कुछ विशेष परिस्थितियों में बेचने के अधिकार का भी उल्लेख इसमें आपस के एग्रीमेंट में अगर हो तो उस हालत में कुछ शर्तें ऐसी रक्खी गई हैं कि जिनका पालन करने पर वह संपत्ति बेची जा सकेगी। यह जो शर्तें हैं वे इस खण्ड के भाग दो में हैं और उसका अंतिम जो भाग है वह इस प्रकार है उपाध्यक्ष महोदय, इंगलिश ट्रांसलेशन में :—

"A default has been made in payment of such mortgage money or part for three months after such services........"

यह सारी की सारी सम्पत्ति को बेचने के संबंध में प्रोवीजन है और पूरी की पूरी रकम को वसूल करने के सिलसिले में प्रोवीजन है तो सारी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद भी ३ महीने की अवधि रक्खी गई है कि तीन महीने के अन्दर अन्दर सर्विस हो जावे। भुगतान नहीं होगा तो अवधि में तो वह सम्पत्ति को खुद बेच सकेगा बैंक। अब मोरगेज के सिलसिले में जो आम प्रोवीजन्स हैं वे ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में भी हैं और जो सिविल प्रोसीजर कोड के अलग अलग प्रोसीजर हैं उनमें भी हैं उपाध्यक्ष महोदय, और उसमें यह जो अवधि है ३ महीने की इससे कहीं ज्यादा अवधि उसमें उपलब्ध है। आप यदि किसी व्यक्ति को जिसने अपनी जायदाद रहन रख दी है और आपसे कर्जा ले लिया है और उस रहन के प्रोवीजन के अन्दर बेचने का कार्य आप शुरू करना चाहते हों तो वह कार्य तभी हो सकता है जब पहले उसको इस बात का नोटिस दे दिया जावे कि आप पूरी रकम और उसका आज तक का व्याज का इन्स्टॉलमेंट लाकर दे दो अन्यथा तुम्हारी जो प्रोपर्टी है उसे बेच दिया जावेगा।

बेचान का नोटिस, यह सारी की सारी रकम से संबंध रखने वाला नोटिस हो जाता है और उसकी लोंग टर्म लोन की बात हम कर रहे हैं और काफी रकम का उससे ताल्लुक होता है और एक दम आसानी से इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कोई कर पाये कोई नहीं कर पाये और नतीजा उसका यह हो कि, प्रोपर्टी को अटेच करके बैंक बेच दे, ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से पैदा होने वाली है। इसलिये ज्यादा नोटिस की आवश्यकता है। इसीलिये तीन महीने पहले वहां लिखा है उसके एवज में मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि शब्द 'तीन' के एवज में शब्द 'छः' कर दिया जाय, तो उसका तात्पर्य यह होगा कि अवधि तीन महीने से बढ़ाकर ६ महीने हो जायगी। ऐसी विशेष स्थिति में जब कि बैंक खुद बेचान कर रही है। कोर्ट की कोई डिग्री नहीं है लेकिन जिसके पास रहन की जायदाद है वह बेचान की कार्यवाही कर रहा है और सेल ओफिसर को सूचना देकर बेचान की कार्यवाही अगर कर रहा है उसके लिये कम से कम ६ महीने की अवधि यह कोई भी न्याययुक्त चीज के अलावा नहीं हो सकती है। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सदन के सामने यह मौका दें सदन के माननीय सदस्यों को और मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह विचार करके संशोधन को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ में यह संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

Page No.68

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप (श्री हरिकृष्ण व्यास) विदड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, वोट ले लीजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ पर जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड १३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड १४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड १५, श्री व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, खंड १५ में जो मेरा संशोधन है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। पहले मैं संशोधन प्रस्तुत करदूं और वह इस प्रकार है:—

"खंड १५ के भाग (ख) में शब्द 'पांच' के बजाय शब्द 'एक' कर दिया जाय।" १५ वें खंड में इस बात की व्यवस्था की गई है, उपाध्यक्ष, महोदय, कि यदि बेचान होगया और बेचान होने के एक महीने के अन्दर अन्दर वह आदमी आया और वह एप्लाई करे और वह यह कहे कि जितनी रकम मेरे में बाकी है उतनी रकम मैं जमा करा देता हूं तो उस बेचान को सेट एसाइड किया जा सकता है। लेकिन वह रकम कितनी जमा करायेगा उस सिलसिले में दो चीजें वहां दर्ज हैं। भाग (क) में यह लिखा है कि जितनी रकम उसने ली थी या मोरगेज की थी और सेल प्रोक्लमेशन में जो रकम थी और उसके अलावा इन्ट्रेस्ट आदि का जो टोटल होगा वह तो जमा करायेगा ही उसके बाद में भाग (ख) में यह लिखा है:—"for payment to the purchaser, a sum equal to five per cent of the purchase money." तो बैंक की जो देनदारी है और जो खर्चा है और उसके बाद जो ब्याज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हुआ वह सब भी बेचारे ने आकर जमा करवाया । अभी सेल का कन्फरमेशन नहीं हुआ है । उसके पहले उस पर एक और बोझा डाल रहे हैं, पेनाल्टी, जैसे कि एक स्कूल में लड़का देर से आता है तो फाइन करते हैं वैसे ही यह फाइन किया जा रहा है कि "तू लेट आया है" इस बीच में हमें सेल की कार्यवाही करनी पडी और दूसरे आदमी ने आकर बोली लगाई और उसको खरीद लिया तो जिसने आकर बोली लगाई, तो जिसने वह जायदाद खरीद ली, उसको कुछ न कुछ संतुष्ट करने के लिये दो। और संतुष्ट करने की रकम है ५ परसेन्ट। मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई भी व्यक्ति एक महीने के अन्दर २ वापिस रकम जमा कराने की तैयारी में है तो देखिये तो सही आप कि ज्यादा से ज्यादा उसको आप यह कह सकते हैं कि तुम एक नोमीनल एवजाना दे दो उस आदमी को जिसने कि पर्चेज किया था और नोमीनल एवजाना एक परसेन्ट नामीनल से कहीं ज्यादा है, लेकिन चूंकि मूल धारा में ५ परसेन्ट था इसलिये मैंने उसमें डरते २ एक परसेन्ट का संशोधन प्रस्तुत किया है । एक परसेन्ट भी कोई वाजिब चीज नहीं है लेकिन ५ परसेन्ट तो है । आज एक हजार रुपये की चीज है और उसकी किसी ने आकर बोली लगाई इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, बोली लगाने का पैसा मिल गया । बैंक अपनी देखभाल करे तो करे लेकिन अपनी देनदारी पूरी लेजाने के बाद कहे कि चूंकि खरीददार आया था तो उसको दो एक सौ रु० तक दे दो, लेकिन ५ परसेन्ट उसको देना यह कहां तक न्याययुक्त होगा ? आप किन से डील कर रहे हैं ? आप डील कर रहे हैं उन अनपढ़े काश्तकारों से । आप उन लोगों से डील कर रहे हैं जो इस लेन देन के मामले में और हिसाब किताब के मामले में वैसे ही काफी परेशान रहते हैं । उन लोगों के साथ जो सेन्ट्रल बैंक है या मोरगेज बैंक हैं उनके हितों की रक्षा करने की सोचते हैं तो यह बात तो कुछ हद तक समझ में आ सकती है । उसके बारे में जरूरत से ज्यादा जाब्ता करें तो उसे नादुरुस्ती मानते हुए भी यह सोचेंगे, हम लोग यह सोचेंगे, कि बैंक के हितों की रक्षा की जा रही है । लेकिन कोई बीच में बोली लगाने वाला आया खरीददार, उसके हितों की रक्षा करने की इतनी क्या पड़ी है ? उसने आखिर कोई चीज खरीदी है तो एक महीने ठहरे । एक महीने के अन्दर २ नहीं मिले तो चला जाय । क्या बिगड़ा उसका ? उसने जो कुछ डिपॉजिट किया वह पैसा वापिस मिल जायगा और तिस पर भी नहीं अगर आप नहीं मानें तो एक हजार के ऊपर १००) रु० मिल गया । उसको एक कमीशन एजेन्ट के लिये आथोराइज्ड रकम है वह रकम मिल गई । इससे ज्यादा वह क्या चाह सकता है ? ५ परसेन्ट रकम मिले एक सेल के बारे में, कनफरमेशन के पहले एक आदमी को, एक खरीददार को ५ परसेन्ट की रकम देना पड़े तो मैं समझता हूं कि न तो बैंक के हित की बात है, न राज्य के हित की बात है और इससे किसान का नुकसान होगा वह अलग है । और खरीददार वे ही ज्यादातर रास्ते के बनिये होंगे जो बोली लगावेंगे और उनको पांच परसेन्ट घर बैठे दिलाना मैं समझता हूं किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं। वाजिब बात तो यह होती उपाध्यक्ष महोदय, कि हाफ परसेन्ट या एक चोथाई परसेन्ट रखा जाय । पांच परसेन्ट देख कर तो मैं पहले ही घबरा गया था और यही सोचा कि संशोधन इसी रूप में रखा जावे कि जो स्वीकार किया जा सके । इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि १ परसेन्ट से ज्यादा न दें । इसमें किसी को नुकसान नहीं होता है । बीच का जो खरीददार है उसको एक परसेन्ट कमीशन देना वाजिब होता है, दो सौ चार सौ की चीज होगी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो उसको दो या चार रुपया मिल जावेगा । उस पर यह असर होगा कि चलो जायदाद न मिली तो कम से कम कमीशन के बट्टे खाते के घर बैठे दो चार रुपये तो मिल गये । इससे ज्यादा रखना तो न्यायसंगत नहीं होगा और नागौर से आने वाले माननीय सदस्य भी गौर करेंगे और चाहें तो खुले २ या चुपके २ इस संशोधन के पक्ष में राय दें और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करके इस बात का सबूत दे दें कि इससे काश्तकारों को फायदा होता है, उनको फायदा होता है और बैंक को कोई नुकसान नहीं होता है, तो पांच परसेन्ट दूसरों के लिये करने का क्या पड़ा है ? इस तरह मेरे संशोधन के लिये अनुकूल स्थिति बन जावेगी और है भी । इन शब्दों के साथ मैं मेरे संशोधन को सदन के सदस्यों की स्वीकृति के लिये और मंत्री महोदय की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अमृतलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, पांच परसेन्ट का जो प्रोविजन इसमें किया है वह काफी सोच विचार कर किया है और यह जो एक परसेन्ट का संशोधन रखा है माननीय जोधपुर से आने वाले मित्र ने वह मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय उपाध्यक्ष, मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि फोर्म ओफ एड्रेस के बारे में बहुत से माननीय मित्र गलती कर देते हैं। गलती तो वैसी नहीं है। भाषा की दृष्टि है, माननीय जोधपुर से आने वाले मित्र के बजाय जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र कहा जाय । यह तो फार्मल सा है ।

श्री यादव--जोधपुर माननीय है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जोधपुर तो माननीय है ही। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मंत्री महोदय गुलोटीन एप्लाई करने के मूड में आ गये हैं । बहस करना न करना, जवाब देना न देना, लेकिन जल्दी से इसको पास करना है । एक प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर जो वकील से सलाह के तौर पर पूछता है "मैं क्या जवाब दूं" वकील कहता है कि तू नट जा । इन्कारी कर दे इसी में भला है। प्रोसिक्यूशन जैसा रुख उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है । अमेन्डमेन्ट कोई देवे, अपना काम है यही कि "मुझे स्वीकार नहीं ।" कोई कारण सोचा विचारा तो जरूर होगा । ऐसा तो नहीं है कि सोचे विचारे बगैर ही प्रोविजन बिल में रख दिया हो । सोच विचार के बाद भी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाते हैं । हम और आप देखते हैं कि सिलेक्ट कमेटी उस बिल में पचासों अमेन्डमेन्ट कर देती है, सिलेक्ट कमेटी में जब सोच विचार के बाद भी अमेन्डमेन्ट हो जाते हैं और जब वह सदन में आता है तो उसमें बीसियों संशोधन हो जाते हैं । टिनेन्सी एक्ट जैसे में सैकड़ों संशोधन हुए हैं सिलेक्ट कमेटी में जाने के बावजूद भी । कोई यह कहे कि "सोच विचार के बाद कार्यवाही की है" तो यहां यह सारी की सारी कार्यवाही बेकार हो जाती है । पार्लियामेन्टरी तरीका जो है वह यह है कि जो सोच विचार के बाद लाया जाता है उस पर फिर से भी सोच विचार किया जाना चाहिये । मंत्री महोदय बुनियादी तरीके से भटक रहे हैं जो नहीं होना चाहिये । जो कुछ भी करके आये, राय लेकर आये, सलाह करके आये, सोच विचार करके आये, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

निर्णय करके आये और इन सब के बावजूद भी उसका कारण बताना आवश्यक है उपाध्यक्ष महोदय। कारण वे नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि "स्वीकार नहीं है" यह तो देख रहे हैं कि स्वीकार नहीं है। आगे भी यह दिक्कत आ सकती है। आने वाले संशोधनों के बारे में यह निर्णय लगा सकते हैं कि "स्वीकार नहीं है", प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह "ना" का उत्तर देने वाले हैं तो इसका उपाय कुछ होना चाहिये। लेकिन क्या बिगडेगा ....

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। थर्ड पार्टी का यों ही किसानों पर बोझा क्यों? सरकार अगर अपने हित के लिये करे तो गलत होते हुए भी समझ में आ सकता है। बैंक की रक्षा के लिये करे तो समझें कि सोच विचार कर किया है। बोली लगाने वालों के लिये इतना प्यार क्यों होना चाहिये सरकार के दिल में या दूसरों के दिल में? कोई भी बीच में आकार कहेगा कि मैं खरीददार हूं। हूं भाई खरीददार, उसको पांच परसेन्ट रकम किस बात की दिलाई जा रही है? जवाब दें मंत्री महोदय इस बात का "स्वीकार नहीं है तो क्यों नहीं है"? १ परसेन्ट रखी जाय तो क्या होगा? आम तौर पर आपका वसूली के बारे में दृष्टिकोण सख्त होना चाहिये यह तो दूसरी बात है, ब्याज जोड़ लिया जाय तो यह भी ठीक है लेकिन १ महीने में लाकर दे दे, इस पर दूसरे खरीददार को ऐसा कौनसा अधिकार हो जाता है कि उसको आप पांच परसेन्ट एक्जाना दिलाना चाहते हैं? यह किसके हित में हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसका कोई कारण नहीं बताया। मैं समझता हूं कि अगर दिमाग बंद करके बैठे रहेंगे तो वे किसानों का हित नहीं करेंगे, वे बैंक का भी हित नहीं करेंगे और इसका असर किस पर पड़ेगा उपाध्यक्ष महोदय? इसका असर उन पर पड़ेगा, जो ट्रान्जेक्शन बैंक से होने वाले हैं उन पर पड़ेगा। इसका असर फाइनेन्शियल पोजिशन पर पड़ेगा, आम लोगों में फाइनेन्शियल पोजिशन है उसके बारे में गलत धारणा पैदा हो जावेगी। पांच परसेन्ट रकम चली जावेगी बेकार आदमी के पास में। इसके द्वारा ऐसी स्थिति पैदा करना जरूरी नहीं है। इसलिये म फिर से जोर देना चाहूंगा कि स्वीकार नहीं है यह याद कर लिया वह क्या दुरुस्त है, इसको फिर से विचार करके स्वीकार करें। जो इतने पर भी वे स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार करें और मंत्री महोदय को यह बता दें कि किसानों के यह हित में है, किसी दूसरे आदमी के हित में जहां सोचने की बात होगी वहां किसानों का हित सर्वोपरि होगा। और मुझे ताज्जब है कि नागौर से आने वाले मित्र ने कैसे जोर नहीं लगाया और दूसरे मित्रों ने चुप्पी साध ली? ऐसा मालूम होता है कि सब साथियों का दिमाग कल की घटना की ओर लगा हुआ है और अगर ऐसा है तो सारी प्रोसिडिंग्स स्थगित कर दी जाय। कल जो कुछ होना है, हो जाना है, इसको परसों ले लिया जाय। ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय भी इस स्ट्रेन में कार्य कर रहे हों, ऐसा स्ट्रेन हो गया है, बार बार वे 'ना' करते जा रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि इस क्लॉज पर रिलेक्स करें और संशोधन स्वीकार करने के लिये अपने आप को तैयार करें, नहीं तो सदन के सदस्यों से प्रार्थना है कि एक मत से इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये उनको मजबूर करें। इस मत के अनुसार मैं इसको प्रेस करता हूं और एक बार मंत्री महोदय को मौका देता हूं, कारण बता सकें और तसल्ली करा सकें तो मैं संशोधन को वापिस ले लूंगा, लेकिन बगैर तसल्ली दिये, बगैर कानून बताये मुझे स्वीकार नहीं है। एसो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बातें और कहीं चल सकतीं हैं लेकिन इस सदन में नहीं चल सकतीं और नहीं चलनी चाहियें, और किसी कानून में चलें तो चलें लेकिन इधर नहीं चलने वाली हैं । बगैर कारणों के आपको स्वीकार नहीं है इसलिये असर नहीं हो सकता । यह तो प्रजातंत्र का दृष्टिकोण है इसलिये सदन की सम्मति लें और राय लें, माननीय सदस्यों का मत लेकर निर्णय करें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने खंड १५ पर प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं साहब, हां पक्ष जीता । कम से कम सदस्यों को खड़ा करके मत रेकॉर्ड करने चाहिये जिससे पता तो चले कि किसानों पर बोझा डालने वाले कौन २ हैं ?

एक माननीय सदस्य—आवाज देख कर पहचानना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आवाज तो दबी दबी आती है ।

श्री उपाध्यक्ष—'ना' पक्ष जीता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं साहब, हां पक्ष जीता । मत रेकॉर्ड होने चाहिये । सिद्धान्त की बात है इसलिये डिविजन होना चाहिये ।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने खंड १५ पर प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे ।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष—हां पक्ष वाले अपने स्थान पर खड़े हो जावें ।

(विराम)

अब ना पक्षवाले अपने स्थान पर खड़े हो जावें ।

[श्री उपाध्यक्ष]

ना पक्ष में ३५ मत हैं और हां पक्ष में १० हैं, इसलिये ना पक्ष जीता और संशोधन गिर गया।

(विराम)

खंड १५

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १५ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड १५ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खंड १६ पर श्री हरिकृष्ण व्यास का संशोधन है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खंड १६ विधेयक का अंग बना

(विराम)

खंड १७ व १८

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १७ और खंड १८ स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

खंड १७ और १८ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

खंड १९

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, खंड १९ के सिलसिले में मेरा यह संशोधन है कि इस खंड को विलोपित कर दिया जाय । खंड १९ इस बात की व्यवस्था करता है कि:—
"It shall be competent to a mortgage bank or the Central Mortgage Bank to purchase the mortgaged property sold under this Chapter,......"
और इसी बिना पर उसूलन मैं इस खंड का विरोध करना चाहता हूं । बैंक जिसके पास रहन रखी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हुई वस्तु है या चीज है या प्रोपर्टी है, वह एक तो इसे बेचने की व्यवस्था करने के बारे में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है ऐसा पहले दर्ज हो चुका है । उसके बाद वही बैंक उस वस्तु या प्रोपर्टी को खरीद भी सकता है ऐसा भी उसको अधिकार दिया जा रहा है । यह अधिकार देना किसी भी हालत में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । इस वजह से जिसके पास प्रोपर्टी रहन रख दी है उसको सेल करने का अधिकार दिया जाने के बाद फिर उसी को खरीदने का अधिकार देने का तात्पर्य होता है कि मेनिपुलेशन करके गैर वाजिब तरीके से कार्यवाही करने के लिये एक रेल की पटरी सी बिछाई जा सके। इसको रोकने के लिये किसी न किसी स्टेज पर कोई न कोई पाबंदी होनी चाहिये । पहली पाबंदी तो यह है कि खंड १४ को हटा दें और इस रूप में हटा दें कि यदि ट्रांसफर ओफ प्रोपर्टी कहदें या कुछ भी कह दें । लेकिन क्योंकि यह लैंड मोरगेज बैंक का सवाल है, यदि अदायगी नहीं हुई है तो ३ महीनों का नोटिस देकर उस जायदाद को बेचने की कार्यवाही कर सकती है, तो एक कार्यवाही के ऊपर दूसरी कार्यवाही की जाती है यानी बैंक ही बेचेगी और बैंक ही खरीदेगी, ऐसी स्थिति में यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो अत तक मेनिपुलेशन की पूरी २ गुंजाइश रहेगी और जैसा सबको विदित है इस मसले पर बहुत कुछ पाबन्दी लगाकर काम करना आवश्यक है । कहीं न कहीं ऐसी पाबन्दी लगाना जरूरी है कि जिसके कारण मेनिपुलेशन नहीं हो सके और काश्तकारों के हित में गडबडी नहीं होने पावे । वह पाबन्दी दो तरह से हो सकती है, एक तो यह कि कोर्ट की कार्यवाही होने के बाद सेल करने का ओर्डर कोर्ट देगा यदि यह करने को तैयार है तो पिछली क्लॉज़ेज में संशोधन करदें और यदि वह करने को तैयार नहीं हैं और यह चाहते हैं कि सेल करने का अधिकार बैंक को होना चाहिये तो फिर एक अधिकार का प्रयोग करने वाली जमात को या बोडी को दूसरा अधिकार का प्रयोग करने का मौका देना किसी भी हालत में उचित नहीं है क्यों कि एक ओर तो वह सेल करने की कार्यवाही करे और दूसरी ओर उसी को वही खरीद ले, यह उचित नहीं है ।

यह तो एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि मोर्गेज के सारे के सारे अधिकार बैंक के हाथ में रख दिये जायगें और मोर्गेज के इस तरीके से जो जायदाद मोर्गेज करने वाली है उसके हितों के साथ यह एक बडा भारी अन्याय होगा ।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझाता हूं कि क्लॉज १९ न सिर्फ अनावश्यक ही नहीं है बल्कि इसके द्वारा एक बडा भारी बंधन हट जायगा । खरीदने वाला वही, स्टॉक रखने वाला भी वही, स्टॉक का हिसाब रखने वाला भी वही, लेने देन करने वाला भी वही, मौका आये तो डिग्री की कार्यवाही भी करे वही और खरीदले वही, यह तो एक पूरी लाइन बन जाती है रेल की पटरी की तरह जिसमें अगर मेन्युपुलेशन करना हो तो खूब अच्छी तरह से किया जा सकता है ।

मेरा यह कहना नहीं है कि विशेष अधिकार नहीं दिये जायं, यदि मंत्री महोदय समझते हैं कि खरीदने के अधिकार मिलने चाहिये तो सेल के अधिकार कोर्ट को दे दिये जायं ।

इन्हीं शब्दों के साथ क्लॉज १९ को विलोपित करने के संबन्ध में जो मेरा संशोधन है उसे मैं सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हू कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे और इस तरह मेनिपुलेशन की लकीर बन जाती है उसको तोड़ने के लिये बंधन डालने की कार्यवाही करेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं। इतने बिल पास हुए हैं हाउस में परन्तु कोई कोई बिल में सरकार ने अपने हाथों में अधिकार लिया है, लेकिन कुछ अधिकार कोर्ट को भी दिये हैं। जितने भी बिल पास हुए हैं कई बिलों के अन्दर कानून की दृष्टि से कोर्ट को यह अधिकार दिये हैं कि कोर्ट के मार्फत कोई चीज की बिक्री होनी चाहिये किन्तु यदि बैंक को इस तरह के अधिकार मिल जाते हैं कि बैंक उसको गिरवी भी रखे, नीलाम भी करे और उसको खरीद भी ले, तो माननीय उपाध्यक्ष, इसके अन्दर यह होगा कि आज गांवों के अन्दर किसी की जमीन गिरवी रखेगा बैंक तो शायद दो तीन आदमी इकट्ठे हों और बैंक से अपने नाम से ही खुद की प्रोपर्टी बैंक के नाम से छुडा लें, तो एक अधिकार का प्रयोग करके दूसरे अधिकार का प्रयोग बैंक करता है, तो यह तो कहीं भी दुनिया के अन्दर नहीं होता। जिस चीज को जो आदमी खरीदता है वही नीलाम करता है; वही आदमी उसकी बोली लगावे, ऐसा कानून कहीं सिविल कोर्ट में नहीं है। सिविल कोर्ट के आदमी जाकर बोली लगाते हैं तो माना जा सकता है पर बैंक के आदमियों का कैसे विश्वास कर लें और बैंक उस प्रोपर्टी की क्या कीमत लगायेगा? ५० हजार रुपये की प्रोपर्टी १० हजार रुपये में गिरवी रखेगा और १० हजार की बजाय १२ हजार या १५ हजार में नीलाम कर सकता है। तो ऐसी हालत में सरकार इस तरह के पॉवर अपने हाथ में इस कोओपरेटिव बैंक को विधान सभा के सदस्यों से दिलाना चाहती है यह कहां तक उचित है?

हम यह सोचते हैं कि इस राजस्थान विधान सभा में कई बिल आते हैं किन्तु यहां हाउस के अन्दर जो मेम्बर हैं वे उस बिल के अन्दर कोई इन्ट्रेस्ट लेकर उस बिल को पास करें, ऐसी चीज दिखाई नहीं देती है। आज थोड़े से मेम्बर इस बिल पर बहस करके विधान सभा में जो चीज पास कर देते हैं, उधर बैठे हुए माननीय सदस्य हां कह देते हैं और वह पास हो जाती है। आज इस विधान सभा के सदस्य यहां जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उसका पालन न करके वोट और नोट का पालन कर रहे हैं।

तो ऐसी हालत में इस तरह का बिल हाउस में लाकर कुछ सदस्यों का समय लें और बाकी बैठे बैठे पैसे पका लें; यह तरीका नहीं है (घंटी)। इस हाउस में सब सदस्यों को बैठना चाहिये और बहस करनी चाहिये और फिर बिल पास करना चाहिये। इस तरह का हाउस कभी नहीं देखा। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है।

इस तरह के एक्ट हाउस में आये हैं, उनमें दो चार आदमी बोल कर बहस कर लेते हैं और ओपोजिशन का कोई वोट नहीं है इसलिये वे लोग बोल लेते हैं। उधर बैठे हुए कुछ लोग हां कह देते है और बिल पास हो जाता है, यह कोई तरीका नहीं है। इसके ऊपर सब लोगों को अपने दिमाग में जो चीजें हैं हाउस में पेश करनी चाहिये, अपनी राय हाउस के सामने पेश करनी चाहिये और अपने दिमाग की बातें हाउस के मेम्बरों को बतानी चाहिये। यहां आकर बैठने में कोई फायदा नहीं है, वोट और नोट के अन्दर सारा दिन फिरते हैं। (घंटी)

तो ऐसी हालत में माननीय उपाध्यक्ष, यह जो धारा रखी है उस धारा का हम विरोध करते हैं, इसको डिलीट करना चाहिये। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

दोनों पॉवर बैंक के हाथ में दिये जांय तो वह उचित नहीं होगा । श्री एच. के. व्यास ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हू । इस धारा को डिलीट किया जाय ।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। इस बिल को देखने के बाद यह शका होने लगी थी कि कहीं यह बिल किसानों के हित का होने के बजाय उनकी हानि का नहीं सिद्ध हो जाए। आखिरकार यह धारा २० देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुचे हैं कि यह बिल वास्तव में किसानों को भूमि से विहीन करने के वास्ते है। यदि मैं 'षड़यन्त्र' शब्द इसके लिये इस्तेमाल नहीं करू तो इसको उनके ऐसा करने के लिये प्रयास कहना तो अत्युक्ति नहीं होगी। आज तक हम लोग जिस प्रकार से महाजन या बोहरे लोग जो किसानों को कर्जा देकर उनको भूमि हीन बना दिया करते थे और अपने कर्ज पेटे उनकी भूमियों को हथिया लिया करते थे, उनका विरोध करते थे और किसानों के साथ किये जाने वाले अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिये हर समय चेष्टा किया करते थे और कहा करते थे कि बोहरे और महाजन किसानों के लिये अभिशाप हो रहे हैं, उनसे किसानों की रक्षा की जावे, मगर आज कानून के द्वारा, हम देखते हैं कि सरकार भी ऐसे ही प्रयास करने जा रही है कि किसानों को भूमि से डिप्राइव किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष, डिफॉल्टर की हालत में उसकी भूमि नीलाम की जावेगी और वह कौन खरीदेगा। वह खरीदने वाला, कर्जा देनेवाला बैंक होगा और वही उस जमीन को खरीद लेगा। आजकल हमारे मित्र समाजवाद की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि जो पूंजी है उसका एक जगह केन्द्रीयकरण नहीं होना चाहिये मगर इस प्रकार से बैंक बना कर पूंजी और किसान की भूमि को एक जगह केन्द्रीभूत करने की चेष्टा की जा रही है। यह समाजवाद की दुहाई देनेवाले मित्रों की सूझ का नमूना है और इससे आपको मालूम होगा कि वास्तव में वे समाजवाद को कहां तक पालन करते हैं? वास्तव में इसमें होना तो यह चाहिये था कि यदि किसानों की भूमि नीलाम करने की आवश्यकता हो तो उस भूमि को किसान ही या दूसरा कोई खेती करने वाला ही उस भूमि को खरीद सके, ऐसी बात रखनी चाहिये थी। जो उन्नतिशील राज्य हैं वहां इस प्रकार के कानून हैं कि खेतिहर व्यक्ति की भूमि खेतिहर व्यक्ति खरीद सकता है और किसी प्रकार भी उस भूमि को बिजनेस करने वाले या पूंजी के जरिये कमाने वाले उस भूमि को नहीं खरीद सकते । मगर दुर्भाग्य की बात है कि हम आज इस प्रकार के कानून हमारे सामने देख रहे हैं, उन्हीं लोगों द्वारा जो प्रजातन्त्र और समाजवाद के युग की बातें करते हैं और दुहाई देते हैं वही लोग किसानों की भूमियों को शनैः शनैः हड़प लेंगे। इसके अलावा एक बात दूसरी इसमें है । इसमें वैसी भी व्यवस्था है कि वह खरीदी हुई भूमि को ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी निश्चित करे, विक्रय द्वारा निपटारा किया जायगा। इस प्रकार एक एक किसान की भूमि हड़प की जावेगी और एक एक किसान अपनी भूमि से डिप्राइव हो जावेगा।

माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार का अप्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी एक विधेयक हमारे सामने आ रहा है वह इस बात को साबित करता है कि यह किसानों की हित की दृष्टि से नहीं बनाया गया है और बैंकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह सब प्रयास किया जा रहा है। इसलिये इस विधेयक को

[रावत श्री शम्भुसिंह]

किसानों के वास्तव में हितकारी बनाने के लिये इस प्रकार की जो धाराएं हैं वे निकाल दी जावें। अतएव मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और देखें कि किसानों की भूमि किसानों के सिवाय दूसरा कोई न ले सकता, यह एक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के विपरीत बैंक खरीद न सके। इसलिये वे दूसरा संशोधन लावें कि यदि किसानों को भूमि बेचने की आवश्यकता हो तो किसानों या उस व्यक्ति को, जिसका पेशा खेती करना है, वही खरीद सकेगा और दूसरा उस जमीन को नहीं खरीद सकता। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में माननीय मन्त्रीजी से अपील करूंगा कि वे इस धारा को विलोपित करने का जो संशोधन है उसको स्वीकार कर लें और अच्छा प्रगतिशील संशोधन अपनी ओर से प्रस्तुत करें।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो संशोधन क्लॉज १९ को डिलीट करने के बारे में प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह जो क्लॉज रखा गया है, वह अच्छा नहीं है। इससे किसानों को किसी प्रकार से राहत मिलने वाली नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इससे तो ज्यादा उन लोगों को मुसीबत होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि भूतपूर्व कोटा रियासत में काश्तकारों को राहत देने के लिये प्रोविजन था और काश्तकारों को अधिकार था कि वे यदि अपनी जमीन को किसी को बेचना चाहें या रहन करना चाहें तो वे रहन कर सकते थे, मगर वह जमीन काश्त करने वाले को ही कर सकते थे। मगर यहां पर इस क्लॉज के जरिये काश्तकारों को यह ओपोर्च्यूनिटि नहीं दी जाती है और एक दम उनकी जमीन नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। उनकी जमीन नीलाम की जावे, यह बात ठीक है। मगर देखना यह है कि नीलाम में उस जमीन को खरीदने वाला कौन होना चाहिये। यहां पर उस जमीन को नीलाम में खरीदने वाला वही बैंक होगा। यह बिल्कुल नावाजिब बात है। यह कोई तरीका नहीं है कि उस जमीन को बैंक ही खरीदे। हमारे यहां पर टीनेन्सी एक्ट भी है, उसमें भी प्रोविजन है। मगर यहां पर मान लें कि बैंक ने वह जमीन खरीद ली है तो वह जमीन खरीदने पर खातेदार बनेगा और क्या वह खुदकाश्त उस जमीन को करेगा और करेगा तो कैसे करेगा? क्या वह उसको बेचेगा? बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिये उस जमीन को ज्यादा रकम वसूल करने के लिये, दूसरे को बेचने की कोशिश करेगा और जब तक उसको उस जमीन का ज्यादा से ज्यादा रुपया नहीं मिलेगा, बैंक उसको नीलाम नहीं करेगा और जब तक उस जमीन को बैंक नहीं बेचेगा तब तक जमीन उस बैंक के पजेशन में रहेगी और बैंक के पास इसके साधन नहीं हैं कि वह उसको काश्त करेगा। इसलिये उस लिहाज से भी यह रूल्स के खिलाफ है कि जमीन गैर काश्तकारों के पास जावे। इसलिये यह जो विलीन करने की बात रखी है वह स्वीकार की जावे। बैंक को कतई अधिकार नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस धारा को विलोपित करने लिये प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह धारा बिल्कुल ही अप्रजातान्त्रिक धारा है। कांग्रेस का यह सिद्धान्त है कि समाजवादी पैटर्न की स्थापना हो। कांग्रेस ने आवडी सम्मेलन में समाजवादी पैटर्न की स्थापना पर विशेष जोर दिया था, उन सिद्धान्तों के भी यह खिलाफ पड़ता है। एक तरफ आप यह कहते हैं कि काश्तकार की जमीन काश्तकारों को दी

[श्री जगतसिंह झाला]

जावे और दूसरी तरफ आप बैंकों को जमीन खरीदने का अधिकार देते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब बैंक जमीन खरीद सकता है तो क्या वह जमीन अपने मित्रों को देगा ? क्या उसी तरह से उस जमीन को भी किसी को दे दिया जावेगा, जिस प्रकार एक सदस्य जमीन गलत नाम से ले लेते हैं और फिर वह जमीन भूदान में दे दी जाती है। मैं समझता हूं कि इसी तरह की बातें होंगी। लोग पहले तो जमीनें ले लेंगे और बाद में भूदान में दे दी जावेगी।

यह उसी तरह की चीज होगी इसकी जमीन लेकर फिर देना चाहते हैं किस को ? यह टीनेन्सी एक्ट की धारा के खिलाफ पड़ता है। आप जहां भूमिहीन काश्तकारों को जमीन देने की बात करते हैं वहां आप जमीन बैंक के पास बैंक के अधिकार में देते हैं। बैंक को जो इस प्रकार जमीन रखने के अधिकार देते हैं या नाजायज अधिकार हैं इस युग की मांग के खिलाफ हैं। आज इस प्रजातन्त्र के युग के अन्दर आप अपने बहुमत के बल पर इस प्रकार की धारायें पास कराना चाहते हैं यह एक प्रकार से बहुमत का दुरुपयोग होगा। इस प्रकार की धारायें रख कर आप अपने कांग्रेस के उद्देश्य से भी अलग हो रहे हैं आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम समाजवाद को कायम करना चाहते हैं और जो जमीन जोतता है उसी की जमीन होगी और दूसरी तरफ इस प्रकार के अधिकार देते हैं ! यह धारा ऐसी है जो कानून को काला बना रही है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कलुषित धारा को हटाया जाय नहीं तो सारा बनाया हुआ कानून खराब हो जायगा। इस धारा को भी आप थोड़े समय के लिये पोस्टपोन कर दें और बाद में सोचकर निर्णय कर लें। उसके बाद इस पर फिर से विचार हो सकता है।

श्री ईश्वरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इण धारा को जो लोगों ने विरोध करयो है मैं भी उणां लोगांर समर्थन में कुछ अर्ज करणो चाहूं हूं। मैं मिसाल की तौर पर बताऊं कि गवर्नमेंन्ट कोई भी सहायता दे तो अच्छी नीयत से दे, इण तरह री धारा रख ने क्यों काश्तकारां री जड उखाड़ी जाय ? जो जमीन काश्तकार री होगी वो न तो बैंक ही खरीदेगी और न गवर्नमेंन्ट ही खरीदेगी। तो काश्तकार री जमीन यदि बैंक में रह जायगी तो काश्तकार तो खाली रह जायगा या दूसरां ने जमीन गिरवी रख ने दो वर्ष के लिये गिरवी रख ने बैंक को पैसो चुकायेगा और रुपया लेकर कोई दूसरी जमीन खरीदेगो इण तरह सूं बेचारो काश्तकार तो पूरी तरह सूं उखड़ जावेगो। इण वास्ते शायरां भी एक बात कही है।

(अश्रव्य)

इण वास्ते म्हारो ओ कहणो है कि इण तरह सूं किसान गवर्नमेंन्ट का कर्जा सूं दब्योड़ा रहेगा, उणसूं बाहर निकल नहीं सकेगा। सचमुच बात तो आ है कि काश्तकारां की जड उखाड़ नेरे वास्ते जड-उखाड़ने री नीति के वास्ते ओ बिल रख्यो गयो है। मैं आपने पुराणी मिसाल दूं, इण वगत जो सीकर रा दरबार है उणसूं पहला जो दरबार था उणारे वगत में ५६ रो काल पड्यो उणने जो सहायता दी ५६ रा काल में काश्तकारां ने ऊंट दिया, ४१८ दरख्वास्तां आई उणा सबा नें ऊंट दे दिया, उसकी एक कौड़ी भी नहीं मांगी गई। आज तक वे काश्तकार उणा सूं हल खड़े हैं। प्रजातन्त्र उणा ने मानो जायगो या आप जो ओ बिल लाओ इणा ने प्रजातन्त्र कहयो जायगो। आज तो आप जो काम करो हो उणामें काश्तकार ने उखाड़बारी नीति आप काम में लेवो हो। म्हारी समझ में तो आ बात है, इण तरह रो बिल लाणों ही नहीं चाहिजे, आप इण प्रकार रो बिल बनाकर काश्तकारां ने उखाड़नो चावो हो या अच्छी नीति नहीं है।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी धारा १९ में जो संशोधन विषयक बातचीत चल रही है उसके समर्थन में मैं भी दो शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं। इस वक्त ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद यह चीज पोइन्ट आफ प्रेस्टिज की बात बन गई है। सरकारी पक्ष का इस धारा को रखने का रुख मालूम पड़ता है। यह संशोधन अगर उधर से आया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती चूंकि यह संशोधन विरोधी पक्ष की तरफ से पेश किया गया है इसलिये इतना महत्व नहीं। बात वास्तव में सही माननी चाहिये कि अगर कोई किसान पर किसी मामले में सूट किया जाता है या एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अधिकार का दावा करती है तो एक नीति स्पष्ट होनी चाहिये कि वादी को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि जब चाहे तब अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपना फायदा करले। असलियत में अधिकार बैंक को नहीं दिये जाने चाहियें क्योंकि बैंक भी तो खुद पार्टी है बैंक उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही करते हैं, उसको यदि यह अधिकार दिया जाय कि उनकी वस्तु को हस्तगत करले और उसको बेचदे; जिस प्रकार हमारे यहां की साधारण जनता में शिक्षा का स्तर है और खास कर किसान वर्ग में जो शिक्षा है, वहां पर हम इस चीज को भूल नहीं सकते, इस बात से इन्कार नहीं कर सकते, वहां उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं कि किस प्रकार से सेल की प्रोसीडिंग होगी, उसमें वे किस प्रकार भाग ले सकते हैं? किस प्रकार कम कीमत में बढोतरी कर सकते हैं? ऐसी सूरत में एक रुकावट यह पैदा होगी कि उस जमीन की बराबर बोली नहीं लगेगी, पैसे बढ़ेंगे नहीं और इस तरह से वह जमीन बैंक के पास मामूली सी कीमत पर चली जायगी। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से वह जमीन बहुत थोड़ी कीमत में बैंक के पास चली जायगी। असलियत में होना तो यह चाहिये कि बैंक को इस प्रकार के अधिकार होने ही नहीं चाहिये। इस प्रकार के अधिकार तो न्यायालय को देने चाहिये। अगर दोनों पार्टियों में झगड़ा हो तो उसका निर्णय न्यायालय के अधीन होना चाहिये। किसी पार्टी को इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। वह एक पार्टी के रूप में है, इसलिये उन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। इसका नतीजा बहुत साफ है इस प्रकार के अधिकारों का सदुपयोग नहीं होगा उल्टा दुरुपयोग ही ज्यादा होगा। और जमीन की वाजबी कीमत भी नहीं मिल सकेगी यहां तक बिना कीमत पर या मामूली कीमत पर एक हाथ से दूसरे के हाथ में जमीन चली जायगी। अब सवाल यह रह जायगा कि जमीन किसको देनी है? उस बैंक के पास यह तो लिस्ट नहीं होगी कि इसके पास जमीन नहीं है, इसी को जमीन दी जाय। उस जमीन को किस प्रकार अलोट किया जाय? अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को जमीन देता है, जिसके पास आलरेडी ३० बीघा जमीन है तो उसके लिये क्या प्रतिबन्ध हो सकता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रोवीजन है कि भूमिहीन को जमीन मिले। लेकिन जब वह बैंक के हाथ में रहेगी तो वह कम कीमत पर जमीन देने वाला नहीं तो उसकी खरीद के लिये दसों आदमी आयेंगे। जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं वे बेचारे इतनी कीमत दे नहीं सकेंगे तो ऐसी हालत में वह जमीन ऐसे व्यक्ति के पास जायगी जिसके पास पहले से काफी जमीन है। तो वास्तव में जो फायदा हम काश्तकारों का करना चाहते हैं, वह किसानों को हो नहीं सकेगा। दूसरी ही परिस्थिति बन जायगी, उस जमीन को अलोट करने के लिये झगड़े पैदा हो सकते हैं। इसलिये मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और इस प्रकार के अधिकार बैंक के हाथ में न दें, जहां तक हो यह मामला न्यायालय के हाथ में होना चाहिये। जब दो पार्टीज में झगड़ा होता है तो कहीं भी वादी और प्रतिवादी को अधिकार नहीं दिया जाता। कानून की तहत में वह स्वयं जाकर बिना पार्टी की इजाजत के बोली लगा सकता है।

[श्री जवानसिंह]

यह हो सकता है कि वह पार्टी परमीशन से बोली लगा सकता है और उस चीज को हथिया सकता है। इन तमाम बातों को ख्याल में रखते हुए साधारण कानून को मद्देनजर रखते हुए निवेदन करूंगा कि इस धारा का विलोप कर दिया जाय तो बहुत उचित बात होगी।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस धारा को लोप करने के विषय में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती यह है कि जो माननीय मन्त्री इस बिल को पाइलॉट कर रहे हैं, उनको इस विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान काश्तकार अधिनियम के विषय में कोई खास जानकारी नहीं है। यदि होती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हू कि इस प्रकार की धाराएं इस कानून में रक्खी जाकर, विचारार्थ, वे इस सदन में नहीं आतीं। हमने अब तक काश्तकारों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से जितने भी नियम बनाये हैं और उन नियमों को कार्यरूप में परिणित किया है मैं यह समझता हूं कि यह धारा उस सारी भावना के प्रतिकूल है, जिसके द्वारा इस प्रकार के कानून को विधान सभा में पारित किया था। राजस्थान काश्तकार विधेयक अधिनियम में हमने ऐसी व्यवस्था की है कि एक काश्तकार के पास कितनी भूमि रह सकती है। एक काश्तकार अपने भूमि के एवज में लोगों से किस प्रकार से रकम उधार ले सकता है और यदि उसको आवश्यकता है तो अपनी भूमि को गिरवी रख कर वह किस प्रकार उस भूमि पर दूसरे लोगों से कर्जा ले सकता है। राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले इस विधान सभा ने एक कानून बनाया था और उसके द्वारा काश्तकारों पर कई वर्षों से जो कर्जा चढ़ा आ रहा था उसको कम करके, उसमें कटौती करके और काश्तकार जल्दी से जल्दी चुकारा कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था की और इस तरह से इस विधान सभा द्वारा मनीलेंन्डर्स बिल, काश्तकार को कर्जे के रूप में और राहत देने सम्बन्धी कानून बनाने जा रही है। पर बदकिस्मती यह है कि इन सब बातों को बालाए ताक रख कर इस धारा द्वारा उस सारी मूल भावना पर आघात पहुचाया है। राजस्थान काश्तकार कानून के अनुसार यदि किसी को अपनी भूमि मोर्टगेज कराने का अधिकार है और यदि वह भूमि को अपनी गिरवी रखता है और जिस समय के लिये कर्जा लिया गया है, उस समय में वह काश्तकार उस रकम को यदि चुका नहीं सकता है और ऐसी सूरत में जिस व्यक्ति के पास गिरवी रक्खी हुई है वह अगर काश्तकार नहीं है और उसमें खेती करने का साधन स्वयं नहीं जुटा सकता है तो हमने इस कानून में व्यवस्था की है कि उस जमीन को काश्त करने के लिये वह उसी व्यक्ति को देगा और उसकी जितनी भी आमदनी है, वह गिरवी वाले के पास जमा होती रहेगी। फिर यह भी व्यवस्था की है कि उसके पास ऐसी चीजें अवश्य रहनी चाहयें जो उसके जीवन निर्वाह में सहायक हैं। पर यहां तो लगता है कि जैसे किसी पूंजीपति की प्रेरणा से, पूंजीपति के आदेश से या किसी पूंजीपति की सलाह से हमारी सरकार यह कानून बनाने की चेष्टा कर रही हो।

मैं मानता हूं कि कोआपरेटिव बैंक के नाम पर यह भी कह सकते हैं कि साधारण श्रेणी वाले भी शेयर होल्डर बनकर कोआपरेटिव बैंक के सदस्य बन सकते हैं और इस प्रकार से बने शेयर होल्डर एक छोटे समूह के रूप में अपने गांव के, अपने क्षेत्र के लोगों के आर्थिक सचालन में सहयोग दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि जहां तक भावना का सम्बन्ध है मैं इसकी कद्र करता हूं। पर इस बात को भी हमें नहीं

[श्री भैरूंसिंह]

भूलना चाहिये कि आज कोई काश्तकार शेयर होल्डर की सामर्थ्य रख सकता है, ऐसी बात नहीं है। जिनको हम राहत पहुंचाना चाहते हैं वे सारे के सारे आज आर्थिक दृष्टि से लंगड़े हो गये हैं। मैं आज भी निश्चित रूप से कहता हूं कि राजस्थान में आज तक जितने भी कोऑपरेटिव बैंक बने हैं और जिनके बनने की योजना है, उनमें किसी में भी गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उनमें गरीब नहीं होंगे। उन गांवों में भी वही होगा जो कर्जे के रूप में ही नहीं बल्कि दूसरे रूप में काश्तकारों का या गरीबों का एक्सप्लोइटेशन करते हैं। आज कहा जाता है कि छोटे छोटे गांवों में ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि इस प्रकार का एक्सप्लोइटेशन जैसा पहले होता था नहीं होगा पर ब्याज के रूप में एक्सप्लोइटेशन करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले ऐसे व्यक्तियों की गांवों में आज भी कमी नहीं है। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति होंगे वे ही इन बैंकों के सदस्य होंगे। वैसी सूरत में केवल इतना ही कहना कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे आदमियों के सहयोग द्वारा प्रगति करने के लिये इस बैंक के अधिकार दे रहे हैं, उनको यह अधिकार दे रहे हैं, वे अधिकार दे रहे हैं, वे बेच सकें, कर्जे का भुगतान कर सकें, मैं समझता हूं कि यह दलील उस दलील के बिलकुल विपरीत है। इसके बारे में हमें यह भी देखना होगा कि जमीन का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा ? दूसरे यह भी देखना होगा कि जिस व्यक्ति को बेच रहे हैं, उसके पास जमीन कितनी है ? वह भूमिहीन काश्तकार है या मालदार, ऐसा काश्तकार है जिसको भूमि देने की जरूरत है या नहीं। लेकिन एक तरफ जहां टिनेन्सी एक्ट में प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको इतनी दो, जिसके पास इतनी जमीन है, उसको इतनी दो। फिर मैं नहीं समझता कि इस कानून के द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ? टिनेन्सी एक्ट के नियमों की भावना के प्रतिकूल यह कार्यवाही क्यों हो रही है। यह देखना होगा कि इससे काश्तकारों का अहित तो नहीं हो रहा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर ये पॉवर जैसा कि इसकी भाषा से साफ है दे दिये गये तो किसान का अहित निश्चित है। वे शब्द ये हैं :—

"It shall be competent to a mortgage bank or the Central Mortgage Bank to purchase the mortgaged property."

अब वे जिस समय खरीदने की स्थिति में होंगे, जिस समय जिस बैंक के द्वारा वह डिक्री जारी हो रही है, जिसके लिये डिक्री जारी हो रही है, डिक्री जारी करने वाले अधिकारी को, कोर्ट को जब यह तसल्ली हो जावे। उस सूरत में जब कि किसी भी सूरत में बैंक का कर्जा चुका नहीं सकता तो उस स्थिति में बैंक को डिक्री जारी की जावेगी। नतीजा क्या होगा ? वह मोर्टगेज की हुई भूमि बैंक के अधिकार में चली जावेगी। अब बैंक को अधिकार दे दिया कि ट्रस्टीज जैसा समझें उसे डिस्पोज आफ करदें। ट्रस्टी का शब्द ऐसा है कि बैंक का कुल उपभोक्ता वह है। इसमें ट्रस्टीज को केवल अधिकार है :—"Within such period as may be fixed by the Trustee."

ट्रस्टी को केवल अधिकार दिया है, समय निश्चित करने का। उसको यह अधिकार नहीं कि किसको बेचा जावे और वह जमीन कितने रुपयों में बेची जावे, इसका कुछ जिक्र नहीं है। वह यह राय देंगे कि भूमि पर बैंक ने अधिकार रक्खा है, वह अमुक समय पर बेचान कर दिया जावे। किसको कर दिया जावे, किस तरह से कर दिया जावे इसका कोई उल्लेख नहीं। वैसी सूरत में ट्रस्टी ने अगर यह भी कह

[श्री भैरूंसिंह]

दिया कि १५-२० दिनों में डिस्पोज आफ कर दिया जावे। अब डिस्पोजल में बैंकर के पास आ जावे तो वह भूमिहीन को नहीं मिलेगी। लेकिन वर्तमान मन्त्री-मण्डल तो नहीं, पर उस समय जो कोई भी मन्त्री-मण्डल होगा उसमें जिसके पास भूमि की कमी होगी, राजनैतिक नेता ऐसा कौनसा है जिसके पास भूमि की कमी है, पर वह अगर लेना चाहता है तो उस बैंक के द्वारा उसे मिल जावेगी। एक केवल लदाने के बीड का ही प्रश्न नहीं। जयपुर के दस मील के एरिया में जितनी भूमि हो उसको लेने में, विधान सभा में भले ही प्रश्न आया हो, इस प्रकार की भूमि के वितरण में सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हैं इसलिये कि साधारण भूमिहीन की अपेक्षा उन असाधारण लोगों को दी जावे जो काश्तकारी से नहीं, राजनैतिक सौदेबाजी से अपना जीवनयापन बनाये हुए हैं। वे खेती करें या नहीं, दूसरों से खेती करवाकर उसको हासिल करने की बात सोचते हैं। ऐसी स्थिति में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितने बैंक होंगे उनके अधिकार में यह भूमि जायगी। सब बैंकों पर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक का अधिकार होगा और जहां कोऑपरेटिव बैंक का नियन्त्रण होगा, वहां राजस्थान के कोऑपरेटिव बैंक के मन्त्री महोदय का भी उस पर अधिकार होगा। अब आप अन्दाज लगाइये कि जहां इस प्रकार की धांधली होती है और स्वयं मन्त्री भी इन गलत कामों से नहीं बचे हुए हैं उन पर भी गम्भीर आरोप लगाये हुए हैं और जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं। आज ऐसे विभाग के अधिकारी को कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में, जिन पर जनता के पैसे के गबन के संगीन मामले हों, जहां जनता के पैसे का गम्भीर रूप से दुरुपयोग होता हो, ऐसे अधिकारी को हम ऐसे भूमि के अधिकार दें जो कि जमीन गरीबों की है, तो मैं तो यह कहूंगा कि यह एक प्रकार का अन्याय सा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, कोऑपरेटिव विभाग के बारे में आज यह कोई नहीं कह सकता है कि राजस्थान में जितनी भी सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उन सहकारी समितियों का काम बहुत अच्छा है। इसी विधान सभा में कई बार प्रश्न आये हैं और सदन के बाहर भी कई दफा चर्चाएं हुई हैं और इस विभाग का पूरा स्टेटमेन्ट देखा जाय तो उससे भी पता चलता है कि राजस्थान में जितनी भी सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनका आधार क्या है, उनकी स्थिति क्या है? कई प्रकार के नाम सहकारी समितियों को दिये जा रहे हैं। सरकार सहकारी समितियों को ऋण देती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप विधान सभा के मेम्बरों की एक एन्क्वायरी कमेटी बैठायें और एक गवर्नमेन्ट के ऑफीसर्स की एन्क्वायरी बिठा दी जाय, तो जो दोनों का परिणाम निकलेगा वह यही निकलेगा कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं, वे एक खास काम को लेकर निर्मित होती हैं। उनके शेयर होल्डर्स बनते हैं। शेयर होल्डर्स से रकम वसूल की जाती है और कुछ व्यक्ति सेक्रेटरी और अध्यक्ष बन जाते हैं और सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन बाद में चलकर क्या होता है कि उस धन का दुरुपयोग होता है। ऐसी ही एक सहकारी समिति हमारे दांतारामगढ में बनी हुई है, उस सहकारी समिति के सदस्य हमारे सत्तारूढ दल के एक सदस्य भी हैं। उसके २२ हजार के शेयर्स सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थे, उसमें से मन्त्री और अध्यक्ष ७ हजार रुपये खा गये। और ७ वर्षों से वहां के लोग उसको रो रहे हैं। एक पैसा भी लेने देने का नहीं है। यह केवल दांतारामगढ की सहकारी समिति की ही बात नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय केवल यह देखें, चूंकि पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों के लिये एक विशेष व्यवस्था कर रखी है, उसके कारण वे केवल ऐसा सोचें कि सहकारी समितियों का निर्माण करना

[श्री भैरूसिंह]

है और इससे सहकारिता की भावना बढ़ती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उससे सहकारिता की भावना नहीं बढ़ सकती है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। सहकारिता की स्प्रिट को कार्य रूप में लायें। जिस मन्शा को लेकर सहकारी समिति का निर्माण किया गया है वैसे ही सहकारी समितियां काम कर रही हैं। यदि इस प्रकार की तसल्ली हो तो हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा किसी गरीब की प्रोपर्टी पर अनधिकृत कब्जा नहीं होगा। इस प्रकार की तसल्ली वे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा और जहां पैसा ज्यादा होगा निश्चित रूप से वहां गड़बड़ भी ज्यादा होगी। कुछ व्यक्ति कोऑपरेटिव बैंक के शेयर खरीद लेंगे और शेयर होल्डर बन जायेंगे और एक गरीब काश्तकार की जमीन को अधिकार में लेने के लिये डिक्री जारी कर दें और डिक्री जारी कर देने के बाद काश्तकार की हैसियत नहीं है, जमीन को दूसरे साधनों से डिक्री और कर्जे को चुका दे, तो हमारी सरकार ने इस कानून के द्वारा अधिकार दे दिया कि यदि उस जमीन पर (अश्रव्य) आये तो ट्रस्टीज के द्वारा जो समय फिक्स्ड किया हुआ है उस समय में बेच दें। इसका मतलब यह होगा कि उन लोगों के हाथ में जिन्होंने कि राजनैतिक सत्ता को हथिया रखा है, वे दूसरा अंग बनकर कोऑपरेटिव बैंक में सहकारिता के नाम पर आने वाले हैं। उन लोगों को हम ऐसा अधिकार देने वाले हैं कि वे लोग काश्तकारों की जमीन छीनकर अपने अधिकार में ले लें। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस कानून को बनाने से पहले, इस धारा को इसमें रखने से पहले माननीय मन्त्रीजी माननीय राजस्व मन्त्री से सलाह ले लेते कि काश्तकारी कानून में जो काश्तकारों के जमीनों पर अधिकार हैं, उन जमीनों को काश्तकारों के कब्जे में से छुड़ाने के लिये, उनमें उसके बारे में जितने प्रतिबन्ध डाल रहे हैं, नियम बना रहे हैं; उन नियमों का पालन होता है या नहीं? यदि उन नियमों का पालन नहीं होता है तो यह उनकी स्प्रिट के खिलाफ है। तो इस प्रकार का कानून निश्चित रूप से काश्तकारों का अहित करने वाला है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा को बिलकुल विलोपित कर दिया जाय और विलोपित करने वाला जो संशोधन सदन में प्रस्तुत हुआ है, उस सदन में प्रस्तुत हुए संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Dy. Speaker, Sir, there has been very strong criticism of clause 19, however, but the opposition knows well the attitude of our Ministry and the Minister-in-charge that he can at times behave like Byrons Spanish Lady, an example of consistency saying all the while I will not consent, he may consent eventually to good. The objection is however that this Land Mortgage Bank is not a measure by itself. I will have to take the House into confidence and refer to several measures which were passed by this House towards the socialisation of agriculture industry, and the first step that this House took was to control through legislation the rack renting. The next step that was taken by this House was the abolition of the Jagirdari, an institution that drained the life-blood of the cultivators. The third step that was taken by this House was the Consolidation of Holdings. The fourth step that was recently taken was the redemption of debt. All these measures were in the direction to socialise the agriculture industry, but by themselves they fell far shorter because our aim is also to rehabi-

[श्री श्रीमानसिंह]

litate the agriculture industry and to make the cultivators really the rich peasantry. In order to rehabilitate them and to meet their necessity for long term credit this House is now going through the Land Mortgage Bank Bill. As this House is aware that the needs of agriculture industry are better implements, seed and manure and credit. This Government is doing a lot to fulfil all these in order to increase the production and to meet the growing needs of an ever-increasing population and to increase the living standards. But, Sir, while these measures are no doubt towards the socialisation of agriculture industry which is a necessity, yet, Sir, our Government has singularly failed regarding the agriculture policy. This is unfortunate that it has not yet made up its mind whether it should socialise the agriculture industry either on the individual farm basis or on the co-operative basis or on the Russian model, on collective basis. We as yet are in the dark and so also the farmers. Their condition is such that they don't know what the Government is going to do tomorrow. Thus all these measures which go to increase agriculture production are to meet that singular failures. If they, the farmers once know as to what is their position all our steps towards improving their lot and rehabilitating this industry to meet the growing needs of the population will meet with the success. Therefore, Sir, this Land Mortgage Bank Bill is to abolish and replace the institution of money-lenders which soon probably this House will again see it passed if we now do not object to it and call this measure undemocratic and reactionary Bill. I for one cannot understand if democracy is not for the majority, if democracy is not for the good, for the general well-being of the greatest number, then, Sir, I think the Opposition fails to voice the needs of the peasantry, for today an agriculturist lives in debt, dies in debt, and his child is born in debt. Therefore, it is necessary that this Land Mortgage Bank Bill must be there, but the State Government must follow it with a clear cut agriculture policy. Only then this Land Mortgage Bank can be a success. Not only this, coming to the clause, the main objection of the Hon'ble Members of the Opposition was as to whom the land will be sold.

In this, Sir, as we have made classification in the Tenancy Bill, here also we can indicate the classes of bidders. For remember it is neither the policy of this Government, a Government based on the willing consent of the people that the land should pass on to the idle rich. It is neither the policy of the Government that production of agriculture should be reduced. The policy of the Government is that the land belongs to the tiller. This is the slogan with which we start and we are following this slogan. Therefore, I request the Hon'ble Minister to indicate these priorities of purchasers legitimately bound to this slogan. Otherwise what will happen that the highest bidder will take possession of the land depriving the actual cultivators. We give way by this to those people who have money and by money collect the land of the poor agriculturist. If once the land is

[श्री श्रीमानसिंह]

collected by idle rich, Sir, I would say that we will fail in agriculture policy and we shall have low production and low standard of living, and we will not be able to rescue the cultivators from the clutches of money lenders. It is, therefore, my earnest request that priorities may be provided here. When there is no question of landless tenants, the agriculture industry will yield much. Moreover, by itself agriculture alone cannot solve the problem. Today with the growing population of our country there is greater pressure on land. We have to find some ways and means in order to reduce this pressure, otherwise our socialisation, whether it is land mortgage, or whether it is abolition of Jagirdari system, all will fail. We must have a clear cut agriculture policy and that means, decision on priority, priorities including priority of persons, whether they are landless or whether they are moneyless. This classification should be indicated, that land is theirs; to the tillers of the soil.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, छींकते ही बोल रहा हूं इसलिए शायद कुछ मित्रों को मेरा बोलना अखरे लेकिन मैं कहूंगा कि वे उससे कुछ सबक ही लेंगे बमुकाबले इसके कि बुरा मानें। उपाध्यक्ष महोदय, धारा १९ के बारे में काफी मित्रों ने प्रकाश डाला है। दिखने में तो धारा सुन्दर दीखती है और लैंड मोर्टगेज बैंक का जो उद्देश्य है उसको देखने पर भी वह धारा अच्छी मालूम होती है। लेकिन बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस भी आता है जब कि लोगों को भगते देखता हूं। अभी मैं उस बात पर ठहर कर आऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि काश्तकारों के उत्थान की बातें तो बहुत कम कही जाती हैं। अभी एक उस तरफ बैठने वाले मित्र ने बड़ी ही उच्चस्तरीय अंग्रेजी में राजस्थान की लैंड रिफॉर्म्स पोलिसी का विवरण किया। उस समय मेरे भी दिल में आया कि मैं भी अंग्रेजी में बोलूं। लेकिन फिर सोचा कि अंग्रेजी में बोलना तो भैंस के आगे मृदंग बजाना होगा। (हंसी) इसलिये मैं हिन्दी में ही बोलता हूं। मैंने भी कालेज में कई डिबेटों में भाग लिया था लेकिन, पर उपाध्यक्षजी······

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर इन्चार्ज नहीं है। स्थिति तो एक अजीब सी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं सब सुन रहा हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप एवजाने में कब तक बोझा ढोवेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप तो मतलब की बातें कहें।

श्री मानसिंह महार—कोई हर्ज नहीं। वह स्टेज आवेगी। वे आ ही जावेंगे जब उनको सुनाई जावेगी।

[श्री मानसिंह महार]

तो उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर लड रिफॉर्म्स के बारे में बड़ी २ बातें कहीं, काश्तकारों के उत्थान के बारे में बहुत बातें कहीं लेकिन जब इस धारा को देखते हैं तो अफसोस होता है उपाध्यक्षजी, सारी बातें करते हुए भी हमारा जो आउट लुक है उसमें कमी जरूर है। देखना हमको यह है कि इसका इलाज क्या किया जाय ? जमीन के लिये जहां भी मामला आता है इस कानून के अन्दर कम से कम तो कुछ शंका की दृष्टि डालनी ही पड़ती है और शंका की दृष्टि इसलिये डालनी पड़ती है उपाध्यक्ष महोदय, कि कुछ प्रोविजन ऐसे रखे गये हैं, जैसे धारा १९ ही ले लीजिये, इसमें यह रखा है कि लैंड मोर्टगेज बैंक खुद उस जमीन को खरीद ले और फिर डाइरेक्टर की सम्मति से उसको बेच भी दे। दिखने में तो बड़ी सीधीसाधी बात है लेकिन आज तक जिस प्रकार के चक्कर लगे हैं, जिस प्रकार के मामलों को इधर उधर करके कार्यवाहियां की जाती हैं वे देखते हैं तो डर लगता है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर वन विभाग से १०० बीघा जमीन निकाल कर ग्रो मोर फूड में अपने कृपापात्रों या रिश्तेदारों को दी जाती है तो लैंड मोर्टगेज में बेचारे गरीब डाइरेक्टरों को दबा न दिया जावेगा क्या.? अगर इसमें यह जोड़ दिया जावे कि लैंडलेस आदमी को वह जमीन दी जावेगी तो कोई बात थी। वह बात भी नहीं। मैं यह मानता हूं कि एक काश्तकार से जमीन खींच कर मोटे २ आदमियों को देने का यह षडयंत्र मात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि तुम व्यक्तिगत बहुत जाते हो। लेकिन व्यक्तिगत जाना मैं पसन्द नहीं करता हूं। मेरी नीति हमेशा यह रही है कि व्यक्तिगत बात न हो। लेकिन जहां कोई गलती हो जाय तो उसको आधा-परधा मान भी लिया जाय और अगर उसको छिपाने की कोशिश की जाय तो अफसोस जरूर होता है। अफसोस ही नहीं होता है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी आदमी के स्तर की बात कही जाती है तो खून उबलने लगता है। मुझे अफसोस है कि ऐसे आदमी हैं कि जिनको शर्म से डूब मरना चाहिये, ऐसे आदमी हैं जिनके कारनामें ऐसे रहे हैं (घंटी) मेरे स्तर का बखान करने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनसे भिन्न हूं। मेरे लिये कहा है कि मेरा स्तर नीचा है। मैं क्या चोर हूं कि मेरा स्तर नीचा है ?

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

जो खुद चोर हैं वे मेरे स्तर को नीचा बतायें। शर्म की बात है उनके लिये। मैं उन चोरों को दावे के साथ कहता हूं कि आओ, मैदान में आओ, इन्क्वायरी करो, तुम चोर हो, मैं चोर नहीं हूं, जो मेरे स्तर का बखान करते हो और उन चोरों को राजस्थान की जनता के सामने सजा दिलायें।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

आप हमारा स्तर बखानते हैं। हमारा स्तर उनके मुकाबले का नहीं है। हम निर्दोष हैं, सोने के समान हैं और हमारे सामने वे लोहे से गये बीते हैं। आज इन कुर्सियों पर बैठ कर अपने आपको ऊंचा बताते हैं!

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज १९ पर बोल रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मेरा स्तर बखानते हैं मैं उनको बताऊंगा। और मैं कहूंगा कि इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि एक आदमी खुद चोरी करे और सीनाजोरी करे। इसलिये उनसे निवेदन करूंगा कि सीनाजोरी न करके अपनी चोरी कुबूल करें, गलती मंजूर करें और सदन से

[श्री मानसिंह महार]

माफी मांगें। जब तक इस प्रकार की बात नहीं मानते हैं तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। यह कह दिया कि स्तर नीचा हो गया। मेरे और आपके स्तर का मुकाबला कौन कर सकता है? क्या मैं चोर हूं जो इस तरह से कहा जाय? मैं फिर कहूंगा कि मेरे स्तर की बात वापिस लें। एक ऐसा आदमी जो मुझसे लाख गुना नीचा है, खड्डे में पड़ा है, कुए में पड़ा हुआ है वह ऐसी बात करे! इसको मैं अपना अपमान समझता हूं।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज १९ के बारे में जो संशोधन पेश हुआ है उसके संबंध में और भी सदस्यों ने कहा है। क्लॉज १९ साफ है। बंधक बैंक या प्रमुख बन्धक बक बन्धक रखी हुई सम्पत्ति जो इस अध्याय के अन्तर्गत बेची गई हो, को खरीदने में सशक्त होगा, परन्तु वैसे बैंक द्वारा इस प्रकार खरीदी गई सम्पत्ति का ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी निश्चित करे, विक्रय द्वारा निपटारा किया जायगा। इसमें यह स्पष्ट है कि जो मोर्टगेज प्रोपर्टी इस बैंक के पास होगी और उसको बेचने का सवाल यदि आता है तो उसको बेचने के लिये फेयर तरीका ओक्शन है। उसम कोई भी व्यक्ति आकर बोली लगा सकता है और कोई भी व्यक्ति जमीन को ले सकता है। अब जब कोई व्यक्ति ले सकता है तो बैंक को उसे लेने मे क्यों डिबार किया जाय? बैंक ही उसे क्यों न ले ले? क्योंकि इसमें यह तो गुंजाइश है नहीं कि अमुक प्राइस फिक्स करके कोई ले लेगा या कोई कमेटी प्राइस फिक्स कर देगी, ऐसी बात नहीं है। वह प्रोपर्टी किसान की है और उसको अधिक से अधिक रुपयों की ओफर मिलेगी और यदि बैंक उसे लेगी तो जो रुपये होंगे वे उसकी भुगतान के खाते म जायेंगे। अब सवाल यह है कि ये रुपये किस लिये बाकी हैं? ये रुपये कोई शोर्ट टर्म कर्जे के तो हैं नहीं, यह तो लोंग टर्म लोन है और इस बात के लिये दिया जाता है कि जमीन में इम्प्रूवमेन्ट हो। जमीन में कूए खुदवायें जायें या और जिस तरह का इम्प्रूवमेन्ट मुनासिब समझा जाय उस तरह का किया जाय। तो जो रुपये दिये जाते हैं उनकी भुगतान १, २ या ३ साल तक नहीं करे, तब तक तो कोई बात नहीं लेकिन इसके बाद इन्स्टालमेन्ट ड्यू होगा तो उसका सवाल आयगा। यदि किसान नहीं दे तो उसकी वसूली किस प्रकार की जावे? जमीन ही किसान की सम्पत्ति है इसलिये जमीन ही मोर्टगेज करेगा। यदि वह रकम दे देता है तो उसको बेचने का सवाल नहीं आता है लेकिन यदि वह नहीं देता है तो यह सवाल पैदा होता है कि जो मोरगेज्ड प्रोपर्टी है उससे रकम वसूल की जाय। तो जब वसूली का सवाल आता है तो बैंक वाले उस प्रोपर्टी को ओपनली बेचेंगे। उसको कोई भी खरीद सकता है। उसके लिये किसानों को रोक नहीं है, लैंडलेस आदमी अगर खरीदते हैं तो उनके लिये भी रोक नहीं है। कोई भी उसे खरीद सकता है। जब कोई भी उसे खरीद सकता है और मन्शा यह है कि अधिक से अधिक कीमत पर वह प्रोपर्टी बिके तो बैंक यदि उसे खरीदता है तो उसमें क्या नुकसान है? बक नहीं खरीदे तो कोई बात नहीं लेकिन यदि बैंक खरीदना चाहे तो उससे क्या नुकसान होगा? खरीदने के बाद बैंक खदकाश्त तो करेगी नहीं और न खरीदने के बाद उसको अपने पास रख सकेगी। इसमें यह भी प्रोविजन नहीं है कि बक काश्तकारों से काश्त करावे या मुनाफा कमावे, यह सुविधा उसको नहीं दी गई है। इसमें साफ बात है कि इस प्रकार खरीदी गई सम्पत्ति का ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी निश्चित करे, विक्रय द्वारा निपटारा किया जायगा, मतलब यह है कि निश्चित अवधि में बक को उसे बचना पड़ेगा क्योंकि वह उसे अपने पास नहीं रख सकती। तो जब यह बात है तो इसमें क्या आपत्ति हो जाती है?

[श्री अमृतलाल यादव]

जो रुपये लिये हैं वे देने चाहियें और यदि ३ या ५ साल में नहीं दे सकता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना वाजिब है और होनी चाहिये । मैं समझता हूं धारा विलोपित करने की आवश्यकता नहीं है । इतना स्पष्टीकरण करने के बाद माननीय सदस्य इसको वापिस ले लेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के बहस के दौरान में जितनी बातें कही गई थीं उनमें से कुछ बातों का उत्तर मंत्री जी ने दिया । लेकिन जो मूल बात मैंने कही थी उसका कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इस एक्ट की जो धारा हम पास कर चुके हैं उस धारा १४(२)की ओर आप गौर फरमावें तो उसमें यह लिखा है कि "Sale shall be by public auction"। जहां सेल का तरीका तय हो चुका है कि पब्लिक ओक्शन से सेल होगा । प्रोपर्टी बैंक के पास है और बैंक को यह अख्तियार पहले दे दिया है कि वह सेल प्रोसिडिंग्ज शुरू करदे । उसने एप्लाई कर दिया सेल ओफिसर के पास और उसने नोटिफाई करके पब्लिक ओक्शन से बेचने की बात जाहिर करदी तो बैंक जाकर बिड़ देगी तब परचेज कर सकती है । इस पब्लिक ओक्शन में बैंक को बिड देना पड़ेगा और बैंक बिड देने के बाद भी प्रोपर्टी अपने पास रख नहीं सकती, वापिस बेचेगी ; तो एक बार सेल खरीदने के लिये हुआ और दूसरी बार सेल वापिस बेचने के लिये होगा । अब प्रश्न यह है कि यदि नोरमल कोस्ट चलती रही तब तो ठीक है लेकिन जब कानून बनाते हैं तो उन चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा । मान लीजिये प्राइस नोरमल नहीं चली और संभव है यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं है, आखिर कोऑपरेटिव बैंक है, तो उस प्रोपर्टी की असली कीमत है उससे जयादा कीमत देकर ले सकती है और बाद में उसे बेचे तो लोस कहां जायगा ? या यों समझिये कि लोन्स का प्रेशर है किसी मौके पर और जो मेनेजिंग बोडी होगी उसका क्या स्टेटस रहेगा यह आपको दिमाग में साफ करके चलना चाहिये। उस कमेटी के मेजोरिटी ओफ मेम्बर्स ने ऐसा तय किया कि इसको बेच दिया जाय, इसमें प्रोफिट या लोस हो जाय तो कोई बात नहीं, या इस सिलसिले में अपने को कुछ फायदा हो सकता है तो इसमें मेनिपुलेशन भी होना आसान है क्योंकि सेल प्रोसिडिंग करनेवाले भी ये ही लोग होंगे । यदि वही प्रोपर्टी उनके पास आ जावे तो उसको रखने में भी नुकसान ही है । तो सवाल यह है । आगे जाकर ओफिसर कन्सर्न्ड डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली बोल नहीं सकता । ओफिसर के बारे में पाबन्दी होगी । बैंक बोडी कोरपोरेट है । उसके लिये यह मानकर चलें कि वह न हो, ऐसी बात नहीं है । यदि फोरक्लोजर का राइट देना है तो सेल में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलना चाहिये । यह पोईन्ट मैंने रेज किया था, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया । मान लीजिये उसको राइट दें तो उससे क्या एडवान्टेज होगा ? बैंक तो उसको अपने पास रखेगी ही, उसको वापिस बेचेगी । यदि खरीदने और बेचने की प्राइसेज़ में फल्क्चुएशन हुआ तो उससे किसको नुकसान होगा ? यदि पब्लिक ओक्शन से बेचना है और उसका कोई खरीददार नहीं निकला तो बैंक बेचेगी, तब कहां से खरीददार आयगा ? एक तो बिड देकर प्रोपर्टी ली और फिर प्राइवेटली निगोशियेट करके सेल करे, इसका मतलब क्या है ?

ऐसी स्थिति का कारण क्या है, क्या यह इमेजिनेशन कर रहे हैं कि पब्लिक ओक्शन के अन्दर भी अगर प्रोपर्टी नहीं बिकी, बोली देने वाला नहीं आया, ऐसी स्थिति हो तो फिर बैंक खरीदने के बाद उसे कैसे बेचेगा ? यहां तो सारी की सारी बातों को तरफ गौर से देखें तो मालूम होगा, इसका कोई व्यवहारिक एडवान्टेज नहीं है ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हां, यह बात अलग थी कि कन्डीशनल सेल का एग्रीमेन्ट होता और इसका बैंक को अधिकार देते कि रिडीम हो, उसके बाद चाहे तो वह उसको बेच दे तो ठीक था कि बैंक उसको डिस्पोज ओफ कर रहा है । पर पहले वाला सेल पब्लिक ओक्शन से हुआ और दूसरा सेल निगोशियेन्स से हो या पब्लिक सेल से हो और उसका सेल करना हो तो फिर बीच में ट्रान्जेक्शन करके फायदे के लिये रखा गया है, फायदा हो और फायदा नहीं भी हो तो इन दोनों तरीकों से मेनिपुलेशन हो सकता है। किसी को फेवर करना चाहें तो आर्टीफीशियल बिड से खरीद सकते हैं, किसी आदमी की विशेष कठिनाई का फायदा उठाकर उसको ग्रेब करने की भी कार्यवाही कर सकते हैं । जो कोई खरीद कर ले जायगा, जहां तक बैंक का ताल्लुक है । इसलिये फिर से यह कहूंगा कि इस पहलू पर गौर नहीं कर पाये हैं इसलिये इस पर गौर करें। इस पर गौर करने के बाद कोई कारण नहीं मालूम होता कि इसे स्वीकार न करें ।

इसलिये मैं अपनी राय प्रस्तुत कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड १९ पर श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड १९ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खंड २०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २० स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड २० विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खण्ड २१, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, खंड २१ के बारे में भी मेरा संशोधन यही है कि इसे विलोपित कर दिया जाय । अगर इस बारे में मेरे जो ऐतराज हैं वे भी उसी रूप के हैं जैसे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खंड ११ के बारे में थे । वैसे तो खंड ११ को तहकूक कर दिया है और मैं समझता हूं उसी बिना पर खंड २१ को भी तहकूक कर दिया जाना चाहिये ।

मेरा मुख्य एतराज यह है कि पहले तो इस धारा की कोई आवश्यकता ही नहीं, अगर इसे नोर्मल रूप में लिया जाय तो " When a sale has been made or confirmed......" और कन्फर्म भी हो गया और इसके बाद खरीदने वाला है उसको टाइटल भी मिल गया तो यह तो एक मामूली बात है जो अपने आपको फोलो करती है, कन्फर्मेशन के बाद उसकी टाइटल को प्रोसीजरल तौर पर चेलेंज नहीं कर सकता ।

इतनी ही मंशा होती तो यह धारा यहां प्रस्तुत ही नहीं होती, इसमें मंशा ज्यादा है और वह ज्यादा कैसी है, इसके वर्डिंग्स से जाहिर होती है । इसमें लिखा है "When a sale has been made in professed exercise of a power of sale under section 14". अब तक तो हम लोग कानून बनाते समय इस बात का उल्लेख करते थे कि "When an act has been done in exercise of certain powers".

कानून कोई अधिकार देता है उस अधिकार का प्रयोग करते समय अथवा उस कानून के अधिकार का प्रयोग करने के नाते से उस अधिकार का प्रयोग करने के कार्य में कोई गलती हो जाय तो उसका जिक्र तो आज तक कानून में आता था पर वह एक्ट होना चाहिये, वह in exercise of powers conferred by an Act." अब एक नया अमेन्डमेन्ट आज राजस्थान की विधान सभा द्वारा किया जा रहा है जो मैं समझता हूं जुरिस्प्रुडेंस के बहुत बड़े ज्ञाता, विद्वान सामन्ड को भी जहां कहीं वह हैं, हिला डुला देगा; एक को अधिकार दिये गये हैं उन्हीं अधिकारों का उपयोग करावें तो माना जा सकता है पर यहां किया गया है कि "in professed exercise of the powers...."

अधिकार हों या न हों, अधिकारों की डींग हांकने वाला चाहिये, अधिकारों के बारे में केवल ऐलान करने वाला चाहिये कि तथाकथित अधिकार मुझे थे कि नहीं; इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं, अगर थे तो प्रोफेस्ड अधिकार रखने की क्या आवश्यकता थी ? शायद ही कानून बनाने वालों के सामने इस तरह का तरीका आया हो । मद्रास हाई कोर्ट के शब्दों में मैं तो सिर्फ यह कह सकता हूं कि कानून जानने वाला कोई आदमी यह शब्द कह गया हो, यह मैं नहीं कह रहा हूं उन्हीं के शब्द हैं, ऐसी चीज जब होती है तब उनके बारे में बहुत ही शर्म की निगाह से देखने के लिये बाध्य हो जाते हैं और कानून के इतने बड़े उसूल का उल्लंघन करके राजस्थान की सरकार या मन्त्री महोदय यह पास करवाना चाहते हैं कि क्लॉज १४ के अन्तर्गत सेल का अधिकार था या न था, लेकिन अगर अधिकार नहीं भी था तो भी अधिकारों को प्रोफेस करने वाले लोगों को भी अधिकार दिया जायगा, यह हद्द दर्जे की ज्यादती है, हद्द दर्जे की गैरकानूनी बात है, यह किसानों के साथ ही नहीं बल्कि कानून के साथ भी अन्याय है जो यह कहते हैं कि उन्हें अधिकार हों या न हों, तथाकथित अधिकार हों।

एक पुलिस ऑफिसर की बात ले लीजिये । उसके अधिकार हैं कि कुछ कुछ भागों में कुछ विशेष स्थितियों में किसी को अरेस्ट कर सकता है जब उसके दिमाग में तसल्ली हो जाय कि जुर्म किया जा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रहा है। तो वह उस स्थान में घुस कर तलाशी ले सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस तरह की तलाशी लेने व अरेस्ट करने के अधिकारों का उल्लेख है "In professed exercise of a power under this Act."

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है; पुलिस जैसे महकमे के बारे में भी उल्लेख नहीं है कि किसी पुलिस ऑफीसर ने किसी को प्रोफेस अधिकारों के तहत, तथाकथित अधिकारों के तहत पकड़ लिया तो "In professed exercise of a power under this Act". वह बच जायगा।

मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के कई रूलिंग हैं। एक नहीं बीसियों रूलिंग बता सकता हूं। एक आदमी अनऑथोराइज्ड तरीके से जाता है किसी के यहां, चाहे वह पुलिस का ऑफिसर हो और वह जाता है और उस आदमी का वहां पर, जहां पर वह जाता है गैर कानूनी साबित हो जाता है तो फिर यदि उसको रोका गया और उसके साथ ज्यादती की गई हो या उसको मारपीट की गई हो या उस पर पत्थर फेंके गये हों, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और मैं यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के ऐसे कई फैसले हैं जिसमें मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहीं दफा १४४ होती है। यदि गैर काननी तौर से गलत तरीके से उसका अमल होता है तो उस दफा की उल्लंघन करने वाले पुलिस के लोगों को या मजिस्ट्रेट पर लोग-बाग हाथ उठाते हैं या लकड़ी मारते हैं या थप्पड़ मारते हैं तो मारने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। बम्बई हाई कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। क्योंकि जब दफा ही गैर कानूनी तौर पर थी तो उन लोगों का जाना ही गैर कानूनी था। तो उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में जब कभी कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या मजिस्ट्रेट हो, चाहे वह कोई आला से आला अधिकारी हो और वह अपने कानूनी तरीके से कानून का उपयोग करते समय उसके साथ कोई वारदात हो तो उसके लिये उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन जब उसको कानून के जरिये किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं है, मन चले तभी किसी के यहां पहुंच गये और हुक्मनामा देने लगे, हालांकि कानून में उनको कोई अधिकार नहीं है। मैं स्टे ऑर्डर देने की आपको मिसाल दूंगा। हालांकि जो मिसाल मैं दूंगा वह आपको अच्छी नहीं लगेगी। मान लें कि किसी सदस्य को कानून के अन्दर कोई अख्तियार नहीं था और वह चला जाता है और उसके चले जाने से स्थिति गम्भीर हो जाती है और वह आकर कहता है कि कानून म तो मुझे कोई अधिकार नहीं था लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा प्रोटेक्शन गैर कानूनी तौर पर कार्य करने वाले लोगों को नहीं दिया जाना चाहिये और अगर देते हैं तो लोग उसको बेरूपिया कहते हैं। ऐसे लोगों के लिये जो कानून के अनुसार कार्य नहीं करते और अपनी मनचाही करते हैं उनके लिये दुनिया में कहीं भी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर इस प्रकार का प्रोटेक्शन आप देते हैं तो आप कानून की हत्या कर रहे हैं और गैर कानूनी कार्य करने वालों को प्रोटेक्शन देकर उनको गैर कानूनी कार्य करने के लिये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यह तो जुल्म और ज्यादतियों को करने वालों को ताकत देने की बात है। मैं समझता हूं कि अगर इस धारा को सोच समझकर ही रखा गया है तो ऐसी खतरनाक धारा सोच समझ कर रखी जाती है, तो यह इस धारा को रखने वालों के लिये शर्म की बात है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं चेंज कर सकते तो यह कनफेस शब्द तो हटा दिया जाना चाहिये और अगर इस शब्द को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं हटाया जावेगा तो मैं समझता हूं कि गैर कानूनी कार्य करनेवालों को कोई सजा नहीं मिलेगी। दुनिया हंसेगी और कहेगी कि विधान सभा ने कैसा कानून बनाया जिसमें कानूनन गलत कार्य करनेवाले को कोई सजा नहीं देने के साथ उसको प्रोटेक्शन दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इन शब्दों के साथ यह अर्ज करूंगा कि यह धारा पूरी की पूरी गलत है और अगर इसको, पूरी की पूरी धारा को नहीं हटाते तो इस 'प्रोफेस्ड' शब्द को तो हटा ही देना चाहिये। इस पर तो पहले आघात होना चाहिये और इसको तो जड़ामूल से नष्ट कर देना चाहिये। अगर 'प्रोफेस्ड' शब्द हट जाता है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यह कहूंगा कि इस क्लॉज की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिये यह हटा देना चाहिये और मैं समझता हूं कि जिस रूप में यह रखा है, नहीं रहना चाहिये। अगर इस धारा को रखा जाता है तो कम से कम इस शब्द 'प्रोफेस्ड' का तो गला अवश्य ही घोट दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, ...

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं पहले बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, मुझे बोलना है। जब मन्त्री महोदय अपना उत्तर दे देंगे तो फिर किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री अमृतलाल यादव बोलेंगे।

श्री हिम्मतसिंह—मैं पहले बोलने के लिये खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—आपको देर हो गई। यह तो एक्स्प्लेनेशन ही दे रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने इंगलिश ट्रान्सलेशन पढ़ कर बताया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हिन्दी का क्लॉज है उसको पढ़ें। उसमें यह बात नहीं है, और हम यहां पर बिल हिन्दी में ही पास कर रहे हैं। यह शब्द अंग्रेजी में किसी कदर आ गया है, लेकिन आप देखेंगे कि यह हिन्दी में नहीं है। आप देखिये मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"अनियमितता आदि के कारण खरीददार के हक पर आपत्ति नहीं उठाई जायगी:—जब कोई विक्रय क्लॉज १४ के अन्तर्गत विक्रय का शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया है और उसकी पुष्टि क्लॉज १५ के सब-क्लॉज (३) के अन्तर्गत की गई है तो खरीददार के हक पर इस कारण से कोई आपत्ति नहीं उठाई जायगी कि ऐसा कोई का मामला उत्पन्न ही नहीं हुआ जो विक्रय करने का अधिकार देता या यह कि यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा यह कि शक्ति का अन्यथा अनुचित अथवा अनियमित रीति से प्रयोग किया गया था, परन्तु कोई भी व्यक्ति जिसे शक्ति का अनधिकृत या अनुचित या अनियमित रूप से प्रयोग किये जाने के कारण हानि हुई है हानिपूर्ति के निमित्त प्रमुख बन्धक बैंक या संबन्धित बन्धक बैंक, जैसी भी दशा हो, जिसके द्वारा क्लॉज १३ द्वारा प्रदत्त विक्रय की शक्ति का प्रयोग किया गया हो, के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।"

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अब मुझको बोलना है। उन्होंने पढ़ कर क्लॉज सुनाया है, रिप्लाई नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—यह उनका रिप्लाई के रूप म ही है।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 'प्रोफेस्ड' शब्द हिन्दी में नहीं है। इसलिये जो संशोधन पेश किया गया है उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको तो इस शब्द से आपत्ति है और यह शब्द हिन्दी में नहीं है। अंग्रेजी के ट्रान्सलेशन में यह 'प्रोफेस्ड' शब्द दिया गया है, उसको मैं नहीं मानता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा को डिलीट कर दिया जावे। आपने 'प्रोफेस्ड' शब्द को तो हटाने की बात मान ही ली है। मैं इस क्लॉज को हटाये जाने के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब बोलने के लिये समय नहीं रहा है।

श्री हिम्मतसिंह—यह तो उन्होंने पढ़ कर सुनाया है और जवाब नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—यह जवाब ही है।

श्री एच० के० व्यास—अगर इसको जवाब समझा जाता है तो मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। जो कोपी हमें भेजी गई है English copy, English translation authorised by His Highness the Rajpramukh, तो वह ट्रान्सलेशन ओथॉराइज्ड बाई हिज हाइनेस दी राजप्रमुख से है। अभी माननीय मन्त्री यह कह रहे हैं कि इंगलिश और हिन्दी में फर्क है, यह क्या बात है ? इसका पहले निपटारा किया जाए कि कौनसा सही है, क्योंकि इंगलिश ट्रान्सलेशन में यह शब्द है "professed exercise" और खुद मन्त्री महोदय के कहने से ऐसा मालूम होता है कि हिन्दी ट्रान्सलेशन और अंग्रेजी ट्रान्सलेशन में अमूल फर्क है। इसलिये आप इस पर कुछ रोशनी डालें ताकि उसके बाद इस पर कुछ कहा जाए। इस पर रोशनी डालने के बाद ही मैं कुछ आगे कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—इसके हिन्दी ट्रान्सलेशन को देख लेते हैं। तब तक के लिये इसको डेफर कर दिया जावे। आगे के क्लॉज ले लेते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, नई बात तो कोई पैदा होने वाली नहीं। हम तो क्लॉज को डिलीट करने के बारे में बोलेंगे। मुझको ट्रान्सलेशन से मतलब नहीं, मैं तो हिन्दी ट्रान्सलेशन पर भी बोल सकता हूं और अंग्रेजी के माफिक भी बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस बारे में सिर्फ मेरा कहना यह था कि जब कि मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है तो उसके बाद केवल संशोधन प्रस्तुतकर्त्ता को ही अधिकार होता है कि वह उत्तर दे सकें, इस दृष्टि से आपको मना किया गया है।

श्री हिम्मतसिंह—अब जब कि क्लॉज को डेफर कर दिया गया है इसलिये बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज २१ डेफर हो गया है इसलिये खण्ड २२ से ४० लिये जावें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९ और ४० स्वीकार किये जायं।

(विराम)

खण्ड २२ से ४० तक विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खंड ४१

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, बराबर कोरम बैल बजानी पड़ती है और वैसे भी साढ़े चार बज गये हैं इसलिये आज हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि कोरम बैल बारबार बजानी पड़ती है और अब टाइम भी ज्यादा नहीं रहा इसलिये सदन की कार्यवाही दिनांक १८ अक्तूबर के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर ४-३५ पर सदन की बैठक गुरुवार दिनांक १८ अक्तूबर, १९५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१६ अक्टूबर, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर देखिये).

LIST OF MULTIPURPOSE SCHOOLS

S. No.	*Name of schools.*	*Total No. of students before conversion into Multipurpose.*	*No. of students in X class before into Multipurpose.*
1.	M.P.H.S. School, Jodhpur	272	177
2.	,, ,, Nagour ..	454	70
3.	,, ,, Barmer ..	313	86
4.	,, ,, Sojat	285	70
5.	,, ,, Nathdwara ..	564	67
6.	,, ,, Shahpura ..	341	63
7.	,, ,, Dungarpur ..	626	75
8.	,, ,, Pratapgarh ..	514	63
9.	,, ,, Kotah	510	187
10.	,, ,, Baran	375	174
11.	,, ,, Karauli ..	357	96
12.	,, ,, Jaipur .. .. (Boys)	1214	460
13.	,, ,, Jaipur .. .. (Girls)	830	120
14.	,, ,, Jhunjhunu ..	553	133
15.	,, ,, Alwar ..	623	197
16.	,, ,, Bharatpur ..	619	205
17.	,, ,, Dholpur ..	439	13
18.	,, ,, Bikaner ..	1339	245
19.	,, ,, Sujangarh ..	550	73
20.	,, ,, Ganganagar ..	628	30

Page No.96

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १०१ का उत्तर देखिये)

LIST OF HIGHER SECONDARY SCHOOLS OPENED IN 1956

Sl. No.	Name of school			Population.
1.	High	school	Pahlodi	15224
2.	,,	,,	Rajgarh (Churu)	14996
3.	,,	,,	,, Alwar ..	9485
4.	,,	,,	Gangapur(Sawaimadhopur)	11417
5.	,,	,,	Chittorgarh ..	11863
6.	Middle	,,	Suratgarh ..	6554
7.	,,	,,	Kalu	2776
8.	,,	,,	Nokha	4557
9.	,,	,,	Jamwa Ramgarh	3273
10.	,,	,,	Khandar ..	2773
11.	,,	,,	Gaurir	2103
12.	,,	,,	Lamba Hari Singh	1963
13.	,,	,,	Pindwara ..	6521
14.	,,	,,	Chotti Khatu ..	4066
15.	,,	,,	Baran (For girls)	20419
16.	,,	,,	Bankhura ..	2032
17.	,,	,,	Gangapur ..	5097
18.	,,	,,	Amet	5583
19.	,,	,,	Roopnagar ..	3342
20.	,,	,,	Pratapgarh (for girls)	14568
21.	,,	,,	Jaitaran ..	5161
22.	,,	,,	Ajitgarh ..	3295
23.	,,	,,	Bijawar Chohan ..	1548
24.	,,	,,	Bejainagar ..	2246
25.	,,	,,	Bichan (Jaipur) ..	2373
26.	,,	,,	Chipa Barod ..	5222

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये)

Compensation Statement of the land acquired for Sanganer Aerodrome :—

	Area Acquired Bigha	Biswa	Amount Estimated.	Amount Paid.
1. Udha S/o Jiwan	..	..	..	..
2. Puran S/o Saliga	29	4½		
3. Jhoota S/o Jiwan	3	15	Rs. 63/6/6	Rs. 63/6/-
4. Ramu S/o Pema	..	..	..	..
5. Krishan S/o Naniga ..	2	2	Rs. 58/13/6	Rs. 58/14/6
6. Birdha S/o Har Baksh ..	17	4½	Rs. 1233/-	Rs. 1233/-
7. Bhura S/o Ganesh	..	..	..	..
8. Gyana S/o Lachhiram ..	5	18	Rs. 132/6/6	Rs. 132/6/6
9. Dayarm S/o Lachhiram ..	..	..		
10. Ghisa S/o Puchu	..	..	Rs. 69/8/-	Rs. 69/8/-
11. Hardeo S/o Bhama	..	..	..	..
12. Suja S/o Bhoma	..	..	..	..
13. Bhoora S/o Uda	6	0	Rs. 110/12/-	Rs. 110/12/-
14. Lala S/o Hareo	3	12	Rs. 50/-	Rs. 50/-
15. Saliga S/o Hurbaksh ..	..	..	..	..
16. Jaila S/o Bhura	0	1	Rs. 289/8/-	Rs. 289/8/-
17. Rodu S/o Harbaksh ..	1	2	Rs. 465/-	Rs. 465/-
18. Hukma S/o Lakchman ..	..	..	Rs. 412/8/-	Rs. 412/8/-
19. Dayaram S/o „ ..	1	19	Rs. 480/-	Rs. 480/-
20. Sarman S/o Srilik	1	11	Rs. 405/-	Rs. 405/-
21. Chhotu S/o Ram Chandra ..	16	17	Rs. 1840/-	Rs. 1840/-
22. Lala S/o Hardeo	..	..	Rs. 50/-	Rs. 50/-
23. Ghisa S/o Pucha	..	..	..	..
24. Chanda S/o Suja	..	..	Rs. 13/-	Rs. 13/-
25. Pura S/o Birdha	..	..	Rs. 55/10/-	Rs. 55/10/-
26. Gyana S/o Krishana ..	..	..	Rs. 8/9/-	Rs. 8/9/-
27. Hukna S/o Sarman	2	11	Rs. 34/2/-	Rs. 17/12/-
28. Nanda S/o Kana	2	11	Rs. 100/-	Rs. 100/-
29. Birdha S/o Harbaksha ..		..	..	..

3. List of those whom amount has been paid.

1339/-	Gulji S/o Birdha Dhobi.
400/-	Kana S/o Deva Dhobi.
1206/-	Nathekhan Sahana.
353/-	Sarupa Narayan S/o Hundi Lal Purbya.
2178/-	Khosadar Narayan Brahmin.
622/-	Pura S/o Kajod Purbya.
132/-	Pratap S/o Kajod Purbya.
266/-	Kalyan S/o Narayan Mali.
132/-	Kaisara S/o Gopi Mali.
181/-	Kaisara S/o Gopi Mali.
237/-	Bhima S/o Mahadeo Dhobi.
126/-	Kana S/o Deva Dhobi.
1076/-	Shyanath S/o Nanaga
674/-	Phula S/o Bhima Gujar.
418/-	Lala S/o Dhanna Raigar.
139/-	Jagannath Balai.
483/-	Mangya S/o Kishana Chamar.
258/-	Magu S/o Jivana Khatik.
93/8/-	Baldeo S/o Hira Khatik.
468/12/-	Jiwana S/o Chanda Khatik.
45/-	Bhawana S/o Ganesh Koli.
453/-	Radhya Shyam S/o Nanu Ram Khati.
273/12/-	Manna S/o Ram Kanwar Bakot.
128/12/-	Kanihya Lal Dakot.
681/-	Gopi S/o Jagannath Bhaduja.
1260/12/-	Alak Banda S/o Jhutha Luhar.
495/-	Hardayaldas Chala Narsingh das.
38/4/-	Chuna S/o Samdarkhan Mewati.
561/8/-	Basirkhan S/o Nazirkhan.
232/12/-	Nurmohammad S/o Sali Mohammad.
148/8/-	Alabuksh S/o Amir.
40/8/-	Alabuksh S/o Amir.
56/8/-	Ahmad Khan S/o Rahim.
593/4/-	Ramjan Baksh S/o Suja Khatiara.
321/-	Rahman Joje Dasen Maniyar.
42/12/-	Molu S/o Bhadula Pinara
135/-	Chandi Baba Abdulla Mewati
263/4/-	Narain S/o Gordhan Mali
309/12/-	Bhonri S/o Gordhan Mali

Page No.99

162/12/-	Suja S/o Sundar Mali
135/-	Chhoti Lal Mahadeo Mali
168/4/-	Kaisra S/o Jagannath Mali
1810/-	
1130/-	Bhura S/o Uda Mali of Budhsinghpura
1130/-	Pura S/o Salagram Mina
1233/-	Bhonra S/o Harbuksh Mina
100/-	Manda S/o Kana Mina Getor
1673/-	Chhotu S/o Ram Chandra Mina
298/8/-	Jela S/o Bhura Mina Getor
465/-	Rddu S/o Harbuksh Mina Getor
405/-	Hukma S/o Lakshaman Mina Getor
50/-	Chhotu S/o Ram Chandra Mina Getor
69/8/-	Ghisa S/o Panchu Mina Ghati
13/-	Chanda S/o Chuna
27/13/6	Pura S/o Salag Mina Budhsinghpura
27/13/6	Bhonra S/o Harbuksha Mina Budhsinghpura
4/4/6	Gyana S/o Gopal
4/4/6	Kishana S/o Nang Mina
17/-	Hukma S/o Lachiram Getor
110/12/-	Bhura S/o Nanda Mina
63/6/-	Jhutha S/o Jivana Mina
226/4/-	Pura S/o Salagram Mina
123/2/-	Gyana S/o Gopal Mina
54/10/-	Kishana S/o Nang Mina Budhsinghpura
183/1/-	Birda S/o Harla Mina Budhsinghpura
137/14/-	Moti S/o Manna Khumar
117/2/-	Bhonra S/o Ghasi Jat Bhudhsinghpura
107/2/-	Raghunath S/o Nanagram Bagra Budhsinghpura
146/14/-	Jainarain S/o Chhiram Mali Manoharpur
8929/9/-	
2202/-	Tulsa S/o Panna Koli
228/-	Radha S/o Nanya Mali
258/1/-	Bhura S/o Narayan Mali
85/8/-	Kishana S/o Balu Mali
7274/4/-	

931/-	Sarup Narain Purohit of Sikar to Surajmal Mukhtar
200/-	Debiram S/o Dhanna Lal Gujar
1131/-	
168/-	Compensation of land of town Sanganer acquired of Kana S/o Baksha Khumar, was deposited.
31,103/13/-	Grand Total

Besides the above a sum of Rs. 2,215/- has been disbursed to the 3 cultivators noted as below :—

22-3-52	Raghunath	1236/-	
	Gulla	102/-	1,676/10/9
	Mangya	138/10/9	
11-9-52	Gulla	51/-	120/5/3
	Mangya	59/5/3	
8-11-52	Raghunath	618/-	618/-
		Grand Total	2,215/-

परिशिष्ट ४

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जाकर मेज़ पर रखे गये)

११५. (४२।एम. एल. एम.) **श्री धूलजी भाई,** एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३८ :—क्या ग्राम सुधार मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम सुधार केन्द्र बडोदिया, जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत कितने वेतनिक कार्यकर्ता काम करते हैं ? अब तक क्या क्या विकास काम की प्रगति की गई है एवम् कितनी रकम खर्च हुई है ? इसकी जानकारी की लिस्ट दी जावे।

(ख) क्या यह सही है कि कुछ बुनकरों को पन्द्रह माह से पूरा समय काम लिया जाने के बावजूद वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि यह केन्द्र अब बन्द किया जा रहा है ? बन्द किये जाने का क्या करण है ?

उत्तर

(क) ६ वेतनिक कार्यकर्ता काम करते हैं। जो विकास प्रगति केन्द्र पर हुई है उसकी सूची संलग्न है। अब तक केन्द्र पर ५५५३०) का व्यय हुआ है, लिस्ट शामिल है।

(ख) हां। कारण यह है कि श्री लेमजी पहले १५) माहवार के हिसाब से पार्ट टाइम रक्खे गये थे परन्तु बाद में उनको सहायक रजिस्ट्रार उदयपुर ने ३०) मासिक वेतन पर बिला स्वीकृत फुल टाइम पर रख लिया। वेतन न मिलने के पत्रादि विचाराधीन हैं और शीघ्र ही उनका निर्णय हो जायगा।

(ग) हां। क्योंकि केन्द्र को राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड बागीडोरा में मिलाया जा रहा है।

लिस्ट व्यय ५५५३०) ग्राम सुधार केन्द्र बडोदिया

सन्	तादाद रकम जो खर्च हुई
१९५१-५२	३३७७)
१९५२-५३	५९४३)
१९५३-५४	१३८५१)
१९५४-५५	१२४३०)
१९५५-५६	१६८८०)
अप्रेल, ५६ से अगस्त, ५६ तक	३०४९)
	५५५३०)

ग्राम सुधार केन्द्र बडोदिया पर विकास कार्य की प्रगति का विवरण

१. प्रौढ़ शिक्षा—

(क) प्रौढ़ों को शिक्षा दी	५१९
(ख) बच्चों को पाठशाला में भरती कराया	४१४

२. मेडिकल रिलीफ—

(क) रोगियों की संख्या जिन का इलाज किया	४९३३९
(ख) प्राथमिक सहायता	५९८

३. पुस्तकालय-वाचनालय—

(क) व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने पुस्तकें पढ़ीं	२३५०
(ख) व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अखबार पढ़े	१२५६४
(ग) व्यक्तियों की संख्या जिनको अखबार पढ़ कर सुनाये गये ..	१४,०२७

४. ग्राम स्वास्थ्य व सफाई—

(क) तादाद रास्ते, सड़कें सार्वजनिक स्थानों जिन की सफाई कराई गई	१८१३
(ख) गंदे पानी के बहाव के लिये नालियां बनाई गईं उनकी संख्या ..	१००
(ग) कुओं का पानी दवा डाल कर साफ किया गया	३५९
(घ) कूड़े के ढ़ेर हटाये	३१९५
(ङ) खंडहर हटाये गये	२३२
(च) छोटे छोटे गड्ढ़े भरवाये गये	५६७
(छ) पेशाब घर बनाये	४
(ज) शौचनालय बनाये गये	३

५. पशु नस्ल सुधार—

खेल बनाई गई	९
केन्द्र पर अच्छा नस्ल का सांड रक्खा गया	१

६. सामाजिक सुधार—

कथा वार्ता व भजन कीर्तन का आयोजन किया	२५५
ग्राम सभा की गई	१८५
त्यौहार अच्छे ढंग से मनाये गये	५७
संख्या ग्रामवासियों जिन्होंने रेडियो से लाभ उठाया	४०३४३

७. ग्राम उद्योग—

(क) चरखे का प्रयोग किया	२१०
(ख) संख्या बच्चों व प्रौढ़ों जिन्होंने तकली से सूत काता	४२९

८. कुटटी काटने की मशीन—

तादाद कुट्टी मशीन जो ग्रामवासियों ने प्रयोग किया	१०
संख्या ग्रामवासियों जिन्होंने लाभ उठाया	१३८६

९. निर्माण कार्य—

(क) चबूतरे ठीक कराये	२३
(ख) कुओं की मरम्मत व नये बनवाये	७
(ग) रोशनदान लगवाये	३२
(घ) नये ढंग के मकान बनाये	१३
(ड) खिड़कियां लगवाई	२५

१०. बीज बागबानी—

संख्या ग्रामीण जिनको सुधरे हुए बीज बांटे गये	३८६
संख्या खेती के कुओं की मरम्मत कराई	१५
संख्या ग्रामीण जिनको पौधे बांटे गये	२५५
खाद के खड्डे खुदवाये गये	३१५
संख्या ग्रामीण जिन्होंने वैज्ञानिक खाद का प्रयोग किया	८५

———

११६ (४३/एम. एल. एम.) रावत श्री शम्भूसिंह एम. एल. ए. डि० नं० १३९—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) म्यूनिसिपल बोर्ड को सहायता (ग्रांट इन एड) एवं सबसीडी देने के वास्ते इस वर्ष बजट में कितनी रकम रखी गई है ?

(ख) किस किस बोर्ड को कितनी कितनी रकम कब दी जा चुकी है व बाकी कब दी जावेगी ?

(ग) क्या भीलवाड़ा जिले के कस्बा गंगापुर से सहायता के वास्ते निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो कब व कितनी रकम दी जावेगी ?

उत्तर

(क) इस वर्ष नगरपालिकाओं को साधारण सहायता के लिये ५,००,००० रु० तथा विकास कार्य हेतु सहायता के लिये १६,००,००० रु० की रकम बजट में स्वीकृत की गई है ।

(ख) टॅक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सहायता के नियम सरकार के विचाराधीन हैं अतः अभी तक किसी नगरपालिका को सहायता नहीं दी जा सकी है ।

(ग) गंगापुर नगरपालिका ने हमेशा की तरह २५६२) रु० की सहायता के लिये प्रार्थना की है। नियम स्वीकृत हो जाने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

११७ (४५/एम. एल. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी एम. एल. ए., डि० नं० १०९—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं जो किसी भी पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं लगाये गये हैं ?

(२) जयपुर जिले में तहसीलवार ऐसे कितने गांव हैं और इनके सम्बन्ध में क्या कायवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) राजस्थान के बत्तीस हजार गांवों में से ९२८ गांव (जिनमें छोटे खेडे, मजरे, गैरआबाद सब सम्मिलित हैं) पंचायतों में लगे हुए नहीं हैं ।

(२) जयपुर जिले के ३०५१ गांवों में से ३८१ गांव निम्न तहसीलों के छुटे हुए हैं :—

तहसील १	छुटे हुए गांवों की संख्या २
१. आमेर	३६
२. कोटपूतली	१०
३. बैराठ	९
४. सिकराय	६

१		२
५.	चाकसू	९६
६.	बसी	४०
७.	लालसोट	३१
८.	फागी	१९
९.	सांगानेर	५९
१०.	जयपुर	३२
११.	दौसा	३२
१२.	फुलेरा	४
१३.	दूदू	७०

राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा ८६ के अन्तर्गत राजस्थान राज-पत्र में आपत्तिएं प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रकाशित हो चुके हैं और गांवों को सम्मिलित करने की कार्यवाही शीघ्र ही हो जायगी ।

११८. (४४एम. एल. एम.) रावत श्री शम्भूसिंह, एम. एल. ए., ड़ि० नं० १३९—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भीलवाड़ा जिले की तहसील सहाड़ा, रायपुर, और मांडल में गत तीन वर्षों में कहां २ ऐलोपेथिक और आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं ?

(ख) उपरोक्त तहसील के किस २ गांव की इस संबंध में और मांग है तथा वह कब तक पूरी की जावेगी ?

उत्तर

(क) ऐलोपेथिक डिस्पेन्सरी केवल तहसील रायपुर के केरड़ा ग्राम में सन् १९५५ में खोली गई व आयुर्वेदिक औषधालय केवल तहसील मांडल में महुआ व भगवानपुरा दो ग्रामों में क्रमवार १९५५-५६ व १९५६-५७ में खोले गये ।

(ख) ऐलोपेथिक व आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलने की निम्नलिखित ग्रामों से मांग की गई है:—

तहसील मांडल:—ग्राम भगवानपुरा—यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

ग्राम पीरास:—इसके लिये डी. एम. एच. ओ. भीलवाड़ा से रिपोर्ट मांगी गई है ।

व

ग्राम लाडपुरः—यहां से आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग आई थी ।

तहसील सहाडा:—इस तहसील से पोटला व कोशियल ग्रामों में ऐलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोलने की मांग की थी मगर इन दोनों ग्रामों की जन संख्या ३००० से कम है । अतः वहां एलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोलना सम्भव नहीं है । इस तहसील के ग्राम लोखोला ने आयुर्वेदिक औषधालय खोलने को मांग की थी । इस पर संचालक, आयुर्वेद विभाग अगले वर्ष खोलने का विचार कर रहे हैं ।

Page No.106

119. (53/M.L.M.) Shri Thakur Mohabbat Singh, M.L.A. (*Div. No.* 100):—Will the Minister for Medical and Health be pleased to state :—

(a) Is it a fact that Anadra Dispensary in Sirohi district has been reduced to First Aid Post? If so, why?

(b) What was the average number of patients in the months of June, July and August, in the above dispensary?

(c) Is there any other dispensary in this backward area within a redious of twenty miles?

(d) Whether it was a full fledged dispensary at the time of the former Sirohi State?

उत्तर

(क) जी हां, क्योंकि बीमारों की औसत संख्या कम थी ।

(ख) जून, सन् १९५६....................................१९.७
जोलाई, सन् १९५६....................................४४.६
अगस्त, सन् १९५६....................................७६.२

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां ।

120. (54/M.L.M.) Maharaj Shri Kesri Singh, M.L.A., (*Div. No.* 75):—Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) How many T.B. Clinics are there in Rajasthan and how many more are to be opened in the next five years and where?

(b) How much amount does the Government contemplate to spend on each of these clinics?

उत्तर

(क) राजस्थान में एक टी. बी. क्लिनिक जोधपुर में है । ६ टी. बी. क्लिनिक द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न जगहों में खुलने के लिये स्वीकृत हुए हैं :—

जयपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, व कोटा ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा प्रत्येक टी. बी. क्लिनिक पर २,६६,६६७ रु० व सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा ५०,००० रु० इक्वीपमेन्ट के लिये खर्च होने की सम्भावना है ।

121. (56/M.L.M.) Shri A. K. Mukerjee, M.L.A. (*Div. No.* 1):—Will the Medical and Public Health Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that applications of doctors for leave on medical grouuds are not sent for verifications of the A.G's office and sanction for leave is delayed for months together ?

उत्तर

(१) जी हाँ, और छुट्टी मंजूर होने में विलम्ब नहीं होता ।

परिशिष्ट ५

(सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर)

१.(५।यू. एस.) **महाराजधिराज श्री अमरसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बनेड़ा के अक्षय हाई स्कूल के लिये जो ६ नये क्लास रूम बनाये गये हैं उनके बाहर पलस्तर और छाजे नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो यह काम कब तक होगा ? और पश्चिम की ओर जो खुला चौक है उसके तीन ओर कठेडा कब तक लगेगा ?

(२) क्या बनेड़ा के प्राचीन भवन जो प्राइमरी स्कूल के लिये दिये गये हैं, उसमें विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए क्लास रूमों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो उनको बनवाने की स्वीकृति कब तक होगी ?

(३) क्या बनेड़ा में कन्या पाठशाला में जो ३ कमरे नये बने हैं उनमें पत्थर जडने बाकी हैं और कन्याओं की संख्या विशेष होने से और क्लास रूमों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस कार्य की स्वीकृति कब होगी ?

उत्तर

(१) अक्षय हाई स्कूल बनेड़ा में ६ कमरे नये बनाये गये हैं। जनता ने प्लास्टर और छज्जे नहीं लगवाये, अब यह पी. डब्ल्यू. डी. की अध्यक्षता में ले लिया गया है। अब यह अधूरा काम पी. डब्ल्यू. डी. के मारफत पूरा कराने की कोशिश की जायेगी।

(२) इस खुले चौक में अभी २ कमरे १०,००० रु० की लागत के पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बनाये जाने वाले हैं। इसलिये यहां अभी कठडा लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(३) जहां तक प्राइमरी पाठशाला के भवन का सवाल है, वहां जनता को सुविधा देने का प्रबन्ध करना चाहिये। अगर जनता ने इसमें सहयोग दिया तो सरकार भी उस खर्चे का एक हिस्सा देने को तैयार होगी।

(४) बनेड़ा कन्या पाठशाला में अभी ३ कमरे डिस्ट्रिक्ट डवलेप्मेन्ट फंड व जनता की सहायता द्वारा बने हैं। आगामी वर्ष में डवलेप्मेन्ट फंड से और सहायता प्राप्त होने पर या शिक्षा विभाग के बजट में से अधिक कमरे बनाये जा सकेंगे तथा जड़ने वाले पत्थर भी लगाये जा सकेंगे।

२.(२३।आर.एम.) **श्री चांदमल मेहता**—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील अरांई में १ जनवरी, १९५६ के बाद किन २ किसानों को नई भूमि के पर्चे बनाकर तहसीलदार द्वारा कब २ दिये गये ?

(२) जिन जमीनों के पर्चे बनाकर दिये गये हैं वे जमीनें पर्चा बनने के पहले किन २ के कब्जे में थीं और बाद में किन २ के नाम पर्चे बनाये गये ?

(३) जिन किसानों के नाम नई भूमि के पर्चे बनाये गये हैं उनके पास पहले से कितनी २ भूमि पर्चे की व बिना नाम की काश्त के लिये मौजूद है ?

(४) उक्त पर्चे किस कानून के मातहत बनाये गये हैं ?

उत्तर

(१) सूचना संलग्न सूची के खंड ३ व ७ पर उपलब्ध है ।

(२) यह सूचना भी उपरोक्त सूचि के खंड ५ पर उपलब्ध है ।

(३) यह भी उपरोक्त सूची के खंड ६ पर उपलब्ध है ।

(४) संयुक्त राजस्थान सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट नोटीफिकेशन दिनांक ३१ अगस्त, १९४८ के कोलम नं० ६ के तहत कार्यवाही की गई, जिसके अनुसार शिकमी काश्तकार को मुस्तकिल शिकमी दर्ज किये जाने का पूरा अधिकार तहसीलदार को था और इस संबंध में जांच जारी है ।

क्रमांक	नाम मौजा	नाम आसामी	नई भूमि जिसका पर्चा दिया गया	जिस भूमि का पर्चा दिया गया वह पहले किसके कब्जे में था	इसके अलावा आसामी के पास पहले कितनी भूमि थी	तारीख व विवरण नं० स्वीकृति
१	२	३	४	५	६	७
१	सादोलिया	रोड वल्द घीसा चमार	१०	सरकार के कब्जे	२।।२	५५०
२	,,	लादू वल्द घीसा घीसा चमार	१५	..	२।।।	५६४, २५-६-५६
३	,,	हरचन्दा वल्द काना नायक	१५	..	..	६०२ ..
४	,,	लाददास मावदास मिं० भूरदास साधू	१५।।।	..	..	५५८ ..
५	,,	कल्याण छोगा सुगना रामरखा मिं० लादू चमार	१५	..	..	५७२ ..

१	२	३	४	५	६	७
६	कैबोनिया	रतना बागरिया सा० काला तालाब	११	..	..	२५-६-५६
७	लाम्बा	सरवन गोपाल मि० किशन जाट सा० लाम्बा	४।	..	..	५५१, ,,
८	अराई	काना वल्द देवा धोबी सा० अराई	८।१	..	७।।	३६०, ,,
९	,,	काल वल्द पन्ना चमार सा० शील	१३।	..	..	६०।७१४, २७-१-५६
१०	,,	धन्ना वल्द रामा गूजर सा० अराई	१६।।।	..	..	४०६, २५-५-५६
११	ढ़सूक	मगना वल्द भीवंडा बलाई सा० ढ़सूक	१२	..	..	१६२।८३७, २४-३-५६
१२	मोगादित	रामनाथ वल्द गोविन्दा जाट	१८।१ १८।	..	१२।२	६४१, १८-१-५६
१३	,,	रामचन्द्र वल्द लालू माली	१५	..	..	२०८, २७-१-५६
१४	,,	उगमा वल्द सुखदेव नायक सा० भामोलाव	२४।४	..	..	५३६, २५-६-५६
१५	,,	जंगला वल्द धूला नाई	१५।।।२	..	..	५३९, २५-६-५६
१६	,,	मांगीलाल वल्द शोना राय तेली	१५	..	..	५३७, २५-६-५६
१७	देवपुरी	हसना पुत्र उजीर मुसलमान पिनाना सा० देवपुरी	।।	..	..	३०४ ,,
१८	गोठियाना	रामकिशना घनशाम हरिप्रशाद नि. नाथूलाल ब्रा. हि. वरा।	४०	..	४०।४	१५५, २४-३-५६
१९	..	बाल माघ पि. कालू गूजर सा. देह	३२।३	..	२२।२	३८८, २४-४-५६
२०	मामोलाव	रामचन्दर वल्द मोती नायक	१५	..	..	७१५।३१-८-५६
२१	मामोलाव	माग वल्द लक्षमण नायक	१२।१	सरकारी कब्जा	..	७१६, ३१-८-५६
२२	..	श्योनाथ वल्द लछमा गूजर	१५।	..	५	७१७ ..
२३	..	नारायन वल्द नाथू हरिजन	१४।।	..	..	३६६ ..

Page No.111

१	२	३	४	५	६	७	
२४	..	पांच वल्द भगता नायक	१६।।।२	..	..	७१३	..
२५	..	छोटू वल्द गोपाल	६।४	..	..	७१४	..
२६	..	श्योकरण वल्द बीजा खटीक	१५	..	..	७२५	..
२७	..	रामधन वल्द छोटू बलाई	१७।।।	..	..	७२४	..
२८	..	नारायण वल्द मजोता गूजर	१५	..	..	७२२	..
२९	..	गोकुल वल्द माधू माली	१६।१	..	..	७२१	..
३०	..	हरजी वल्द बख्या नायक	१०।।	..	..	७१९	..
३१	..	नानडा वल्द रतना नायक	१५	..	४	७१८	..
३२	..	सूवा वल्द नारायण नायक	१२।१	..	..		
३३	साम्बा	नारायण लादू वल्द जवारा गूजर	३०	..	..	४८६,	३१-८-५६
३४	..	कालू वल्द रामा चमार	१७।	..	..	७१२	..
३५	..	रामचन्दा वल्द धन्ना चमार	१५	..	..	६३३	..
३६	..	छोगा धन्ना चमार	१७।	..	४	६३१	..
३७	..	रामा वल्द मन्ना चमार	१५	..	४	६३०	..
३८	..	रंगलाल वल्द जगरी जाट	१७।।१	..	..	६२६	..
३९	..	नौरत काना नायक	१५	..	..	७८२	..
४०	..	माडू वल्द कालू चमार	१५	..	१।	७८०	..
४१	..	बालू चमार	१५	..	१।	७८१	..
४२	..	नौरत वल्द गनेश चमार	१५	..	१।।१	७७९	
४३	..	रामा वल्द गनेश चमार	१५	..	१।।।	७७८	

१	२	३	४	५	६	७
४४	..	हरदेव वल्द गिरधारी	१४।२	..	७।।	७७७	..
४५	..	ईश्वर चमार	१३।।१	..	..	७७५	..
४६	लाम्बा	सूवा वल्द जगन्नाथ चमार	१५	सरकारी कब्जा	१०	७७४,	३१-८-५६
४७	..	छीतर लादूमाली	१४।।।३	..	१६	७७६	..
४८	गोठियाना	भैरू लाल	३४।१	..	..	७७३	..
४९	..	भैरूलाल मांगीलाल साजी	२५	..	..	७८३	..
५०	गागून्दा	सूवालाल वल्द मिश्री दर्जी मगमाराम वल्द नारायण सुनार, हीरा वल्द गोरू कुम्हार	१६।।।३	..	२१	७८५	..
५१	सिरूंज	जैता भोवडा पि. मुकना चमार	२०	..	..	३७८	..
५२	मोगादित्त	तेजपाल वल्द हरलाल चमार	१६।४	..	..	५४६	..
५३	लाम्बा	हरचन्दा वल्द हरलाल चमार	१५	..	३	७७२	..
५४	हीरावता	हीरा वल्द जावारा चमार	१५	..	..	७६८	..
५५	..	मोडू वल्द भरा कुम्हार	१५	..	१५	७६७	
५६	..	नोरतमल भंवरलाल पि. कल्याण ब्रा.	१४	..	८।।।२	७७०	..
५७	..	कमरूद्दीन सुखद्दीन पि. अलावेली	४।४			७३२	
			६०५।३		१६४।२		

३.(१५ सी. आई. एम.) रावत श्री शंभूसिंह—क्या रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान से गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में किस २ प्रकार का कितना अनाज कहाँ २ गया ?

(ख) इन तीन वर्षों के अन्दर प्रत्येक डिविजनों में प्रत्येक प्रकार के अनाज के भावों की षण्मासिक औसत क्या रही ?

Page No.113

(ग) क्या यह सही है इस वर्ष अनाज के भाव असाधारण रूप से बढ़ गये हैं और सर्वसाधारण की क्रय शक्ति कम हो गई है ?

(घ) सरकार ने अनाज की महंगाई से होने वाले जनता के कष्टों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये तथा उठाना चाहती है ?

(ङ) क्या सरकार प्रत्येक तहसील में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की कृपा करेगी ?

(य) अनाज की कमी और महंगाई को देखते हुए क्या सरकार ने राजस्थान में अन्न के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो कब तक लगावेगी ?

(र) क्या सरकार ने राजस्थान में आवश्यकतानुसार अनाज मंगाने का प्रबन्ध किया है ?

उत्तर

(क) सूची संलग्न है ।

(ख) सूची संलग्न है ।

(ग) हां, भाव बढ़ गये हैं, क्रय शक्ति में कोई खास कमी नहीं आई है ।

(घ) अनाज की बढ़ती हुई दरों को रोकने के लिये विदेशी अनाज का आयात किया जा रहा है ।

(ङ) हां, आवश्यकता पडने पर ।

(य) नहीं, इस का सम्बन्ध भारत सरकार की नीति से है ।

(र) हां, प्रत्येक जरूरत मन्द जिले में अनाज मंगाया गया है । तथा मंगाया जा रहा है । जयपुर और जोधपुर में सरकारी स्टाफ भी रक्खे जा रहे हैं ।

विभागीय प्रधान कार्यालयों के अनाज के भावों की सूची

(जनवरी, ५४ से सितम्बर, ५४ तक)

विभागीय कार्यालय के नाम	ज्वार	बाजरा	मक्का	गेहूं	जौ	चना
१	२	३	४	५	६	७
बीकानेर	६-८-० से ९-१२-० तक	८-०-० से ११-१४-० तक	१०-०-०	११-१४-० से १६-१४-० तक	७-०-० से १२-०-० तक	८-०-० से १८-०-० तक
जयपुर	७-८-० से १०-०-० तक	७-८-० से १३-०-० तक	७-०-० से ११-०-० तक	८-६-० से १६-०-० तक	७-८-० से १०-०-० तक	१०-०-० से १५-४-० तक
जोधपुर	७-०-० से १०-०-० तक	७-०-० से ११-०-० तक	८-६-० से १२-०-० तक	१०-८-० से १४-४-० तक	८-१२-० से १०-८-० तक	१०-०-० से १६-०-० तक

१	२	३	४	५	६	७
कोटा	६-०-० से १०-०-० तक	१०-०-० से १३-०-० तक	५-८-० से १०-०-० तक	११-४-० से १४-८-० तक	६-८-० से १०-५-० तक	८-०-० से १४-८-० तक
उदयपुर	८-०-० से १२-८-० तक	८-०-० से १४-०-० तक	६-०-० से १०-०-० तक	१२-०-० से १८-०-० तक	७-८-० से १२-१४-० तक	८-०-० से १६-०-० तक
			(जनवरी, सन् ५५ से दिसम्बर ५५ तक)			
बीकानेर	६-४-० से ९-८-० तक	७-०-० से १२-०-० तक	७-०-० से ७-०-० तक	१०-१२-० से १६-०-० तक	५-१२-० से ८-६-० तक	६-६-० से १०-०-० तक
जयपुर	५-०-० से १०-०-० तक	५-८-० से १२-०-० तक	५-०-० से १०-०-० तक	१०-०-० से १५-८-० तक	५-१२-०-से ९-०-० तक	५-१२-० से ९-०-० तक
जोधपुर	५-८-० से ११-०-० तक	६-६-० से १३-८-० तक	६-८-० से १३-०-० तक	१०-८-० से १८-०-० तक	६-६-० से १०-०-० तक	७-०-० से १०-८-० तक
कोटा	४-०-० से ८-८-० तक	४-०-० से ७-०-० तक	५-०-० से १०-०-० तक	९-६-० से १५-८-० तक	४-८-० से ८-१२-० तक	४-१४-० से ९-४-० तक
उदयपुर	४-१२-० से ९-०-० तक	५-०-० से १३-०-० तक	५-४-० से ८-१४-० तक	१०-०-० से १४-४-० तक	४-१४-० से ८-१०-० तक	५-४-० से ८-१२-० तक
			(जनवरी, सन् ५६ से सितम्बर, सन् ५६ तक)			
बीकानेर	८-०-० से ११-०-० तक	१०-८-० से १४-४-० तक	..	१५-०-० से १८-०-० तक	८-०-० से १४-०-० तक	९-८-० से १२-१४-० तक
जोधपुर	९-५-० से १५-०-० तक	११-६-० से १४-०-० तक	१०-४-० से १५-०-० तक	१५-०-० से १६-१०-० तक	१०-०-० से १३-०-० तक	९-०-० से १२-०-० तक
जयपुर	८-०-० से १८-०-० तक	१०-०-० से १२-०-० तक	७-०-० से १३-०-० तक	१४-०-० से १६-०-० तक	९-८-० से १३-०-० तक	९-०-० से १२-०-० तक
कोटा	११-१०-० से १७-०-० तक	१३-०-० तक	९-०-० से १४-०-० तक	१५-४-० से १८-८-० तक	९-०-० से १३-०-० तक	९-१०-० से १४-८-० तक
उदयपुर	९-०-० से १८-०-० तक	१३-०-० से १६-०-० तक	९-४-० से १३-०-० तक	१३-०-० से १७-०-० तक	८-८-० से १३-०-० तक	८-०-० से १२-८-० तक

परिशिष्ट

EXPORTS OF FOOD GRAINS FROM RAJASTHAN DURING THE APRIL, MAY AND JUNE, 1955.

Exported to (in maunds of 82 2/7 lb.)

Months	Andhra	Assam	Bihar	Bombay	Madhya Pradesh	Madras	Orissa	Punjab	Uttar Pradesh	West Bengal	Hyderabad	Jammu and Kashmir	Madhya Bharat	Mysore	Patiala and East Punjab States	Rajasthan	Saurashtra	Travancore Cochin	Ajmer	Bhopal	Coorg	Delhi	Himachal Pradesh	Kutch	Manipur	Tripura	Vindhya Pradesh	Andhra Port	Bombay Port	Calcutta	Cochin Port	Goa	Madras Port	Other Madras Port	Pondicherry and Karikal	Saurashtra Port	Total exports
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Gram and Gram products																																					
April ..	3481	..	..	12848	1328	47891	..	1632	9266	..	..	..	..	21548	..	..	3399	..	215	..	..	1267	..	646	..	..	..	..	12136	..	685	..	37062	9063	..	353	162830
April and May ..	7537	..	..	27918	4262	98368	..	2814	28956	..	..	..	10	55718	936	..	10912	592	725	..	..	19210	..	646	..	..	..	..	38250	..	3704	..	53427	12456	..	2568	369009
April to June ..	13141	..	..	46236	6861	120242	..	7131	42723	..	..	..	93	76488	2014	..	26535	592	1247	..	..	28742	..	646	..	..	..	..	46958	..	6035	..	70496	18609	..	4988	519770
Maize																																					
April ..	..	..	4030	83448	..	..	..	27240	5860	..	..	..	..	..	7936	..	1248	..	1988	..	..	6925	1015	..	..	..	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..	139755
April and May ..	..	..	9740	144613	..	..	..	50925	6551	..	..	..	25	..	9204	..	2023	..	3136	..	..	9192	1015	..	..	..	..	..	15	..	..	..	..	..	..	7	236446
April to June ..	..	..	9740	177893	..	..	..	59208	6551	..	..	..	396	..	22491	..	2406	..	3201	..	..	12423	2870	..	..	..	..	..	1186	..	..	..	..	..	..	63	298428
Jowar																																					
April ..	..	..	500	88398	500	28960	..	24611	21294	..	495	..	..	696	2232	..	1882	..	155	..	..	410	..	..	..	..	..	..	7238	..	623	..	222	..	..	..	178216
April and May ..	..	..	500	160653	2201	54531	..	49054	23107	..	1014	..	118	696	3243	..	4181	..	155	..	..	2227	1534	..	..	..	..	..	17049	..	623	..	222	1690	..	235	323033
April to June ..	..	..	500	259061	3234	79096	..	64794	27906	..	1014	..	175	696	6651	..	13899	..	155	..	..	4430	1534	..	..	..	..	..	24696	..	623	..	788	1690	..	5272	496514
Bajra																																					
April ..	..	..	..	1284	..	..	..	2026	523	..	..	..	..	..	230	..	1125	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5188
April and May ..	..	..	..	2405	..	..	..	4162	584	..	..	..	..	..	257	..	1125	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	918	9451
April to June ..	..	..	..	26175	..	..	..	4584	589	..	..	..	..	..	303	..	3201	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	128	..	..	..	..	..	..	3464	38844
Wheat																																					
April ..	..	..	..	9417	740	..	..	107	3761	17	..	..	2185	499	376	..	..	..	12499	..	..	36	..	601	..	..	..	..	3202	770	..	..	..	..	..	..	34210
April and May ..	..	..	..	78562	1340	..	..	1187	10656	17	..	..	2200	5328	689	..	658	..	25152	..	..	685	..	3615	..	..	..		26008	770	..	..	..	514	..	..	157381
April to June ..	..	..	..	161355	1340	..	..	4246	14245	17	..	..	6374	14365	1873	..	7513		28853	..	..	1817	..	7317	..	..	..	..	36136	11936	..	..	556	514	..	..	298456

४. (३१आर. एम.) रावत श्री शंभू सिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, सन् १९५२ के बनने से पहले भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में जागीरदारों से बन्दोबस्त (सेटलमेंट) का आधा खर्च वसूल करने का नियम था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कानून बनने के बाद सरकार ने जागीरदारों से खर्चा बन्दोबस्त लेना बन्द कर दिया ? इस सम्बन्ध की क्या २ कार्यवाही विज्ञप्तियां तथा आज्ञाएं किस २ नम्बर से किस २ तारीख को निकाली गईं ?

(ख) क्या उपरोक्त अधिनियम बनने के बाद भी तहसील द्वारा वसूल होने वाली उनकी आमदनी में से वाला वाला ऐसी रकम वसूल की गई ? यदि हां, तो किस किस से, कब और कितनी ?

(ग) क्या किसी की ओर से इस प्रकार की वसूली वापिस लोटाने की पैरवी कमिश्नरी में की गई ? यदि हां, तो कब और किसकी ओर से और उसका उत्तर नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(क) जी हां। भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में जागीरदारों से सेटलमेन्ट का आधा खर्चा व उमरावों से पूरा खर्चा वसूल होता था, जिसका राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, सन् १९५२ से कोई संबंध नहीं था। राजस्थान सरकार ने अपनी आज्ञा संख्या एफ १२.(६६) एस. एल. ५३, दिनांक १२-८-५१ एवं आज्ञा संख्या एफ. १२ (६८) एस. एल.।५३, दिनांक ११-३-५४ द्वारा जागीरदारों से खर्चा बन्दोबस्त लेना बन्द किया गया।

(ख) चूंकि इस अधिनियम से खर्चा बन्दोबस्त का कोई संबंध नहीं है अतः यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी हां। जागीरदार ज्ञानगढ़ में खर्चा बन्दोबस्त जो उनसे १९-३-५३ को वसूल हुआ था वापिस लोटाने के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक १४-७-५५ को प्रस्तुत किया, किन्तु यह रकम सरकार की खन्ड क में वर्णित आज्ञाओं के पूर्व वसूली करली गई थी अतः लोटाये जाने योग्य नहीं समझी गई और प्रार्थी को सूचित करने के लिये जिलाधीश भीलवाड़ा, को आदेश दे दिये गये।

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक १६ अक्टूबर, १९५६

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१.	६२३	२	श्रीमती कमला कुमाफी बेनीवाल	श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल
२.	६३२	५	श्री द मोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
३.	६३३	२५	श्री बृजसुन्द शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
४.	६३४	१६	,,	,,
५.	६३५	२३	अस्वीका	अस्वीकार
६.	६३७	२१	श्री भैरू सिंह	श्री भैरू सिंह
७.	६४०	२३ शीर्षक	कषक	कृषकों
८.	६४७	१८	श्री चादमल मेहता	श्री चांदमल मेहता
९.	६४९	२० शीर्षक	हैडक्वाटर	हेडक्वार्टर
१०.	६८४	१८	श्री हारकृष्ण व्यास	श्री हरिकृष्ण व्यास
११.	६९१	१३	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१२.	६९८	शीर्ष	विधयक	विधेयक
१३.	७१०	,,	बक	बैंक
१४.	७१५	२	परशिष्ट	परिशिष्ट